सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

भाग–3

विषय सूची

क्र. सं.	मैनुअल संख्या	विवरण	पृ.सं.
1.	6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके द्वारा नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण।	1–10
2.	7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसक कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	11
3.	8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनके दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।	12–41
4.	9	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका	42–43
5.	10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	
6.	11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	44–50
7.	12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और एसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।	51–139
8.	13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं की विशिष्टियां।	
9.	14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।	
10.	15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।	142
11.	16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टिया।	143
12.	17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय।	144

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
मैनुअल–6

ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उनके नियंत्रणाधीन हैं, का विवरण

निदेशालय एवं जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया हैः–

1. साधारण पंजिकाएं
2. प्रशासनिक/कार्मिक पंजिकाएं
3. वित्तीय पंजिकाएं

साधारण अभिलेखों के अंतर्गत पंजिकाएं निम्नलिखित हैंः–

1. रजिस्ट्रार आफ पंजिका।
2. डाक प्राप्ति पंजिका।
3. स्थानीय डाक पंजिका।
4. पत्रावली पंजिका।
5. वीडिंग पंजिका।
6. मृत पंजिका।
7. लेखा सामग्री पंजिका।
8. इन्कमवेन्सी पंजिका।
9. प्रपत्रों के मुद्रण संबंधी पंजिका।
10. लेखन सामग्री/प्रपत्रों की मांग संबंधी पंजिका।
11. भ्रमण कार्यक्रम पंजिका।
12. विभागीय वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन।
13. समाप्त पंजियों की पंजिका।

प्रशासनिक/कार्मिक पंजिकाएं/पत्रावलियां

निदेशालय/जनपद स्तर पर निम्न प्रशासनिक/कार्मिक पंजिकाएं/पत्रावलियां व्यवस्थित हैंः–

1. उपस्थिति पंजिका।
2. आकस्मिक अवकाश पंजिका।
3. निरीक्षक टिप्पणी एवं उनके अनुपालन संबंधी पंजिका।
4. अधिकारों के प्रतिधायन संबंधी पत्रावली।
5. दौरों के कार्यक्रम।
6. विधानसभा/लोकसभा व राज्यसभा के प्रश्नों की पत्रावलियां।
7. नियमावलियों, नियम, विनियम, अधिनियम, प्रक्रिया पद्धति तथा उनकी आख्या तथा नियमों में संशोधन संबंधी पत्रावलियां।
8. शासनादेशों की गार्ड फाइलें।
9. शिकायती पत्रों की पंजिका।
10. सरकारी गजट।
11. अनिस्तारित पत्रों की पंजिका।
12. अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां।
13. अस्थाई/स्थानापन्न नियुक्तियों हेतु मांगे गये प्रार्थना–पत्रों की पत्रावलियां।
14. अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति संबंधी पत्रावलियां।
15. वरिष्ठता सूची।
16. सेवा पुस्तिकायें।
17. स्थानापन्न आदेश पंजिका।
18. गोपनीय चरित्र पंजिका, पत्रावलियों की पंजिका।
19. विभिन्न पदों के सृजन संबंधी पत्रावलियां।
20. अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी रजिस्टर।

वित्तीय पंजिकायें / पत्रावलियाँ

1. आडिट आपत्ति पंजिका।
2. राजकीय वाहन लाग बुक पंजिका।
3. टेलीफोन पंजिका।
4. चैकबुक पंजिका।
5. वेतन बिल पंजिका।
6. टी0ए0 चैक रजिस्टर।
7. कोषागार में बिल प्राप्ति पंजिका।
8. 11–सी पंजिका।
9. कैश बुक।
10. बी0एम0–8 पंजिका।
11. लोन रिकवरी पंजिका।
12. ब्राड सीट–चतुर्थ श्रेणी।
13. जी0पी0एफ0 तृतीय, द्वितीय, श्रेणी लेजर।
14. आडिट–महालेखाकार / विभागीय लेखाकार द्वारा की गई आडिट पत्रावलियां।
15. आय व्ययक अनुमान पत्रावलियां।
16. सरकारी डाक पंजिका।
17. विभिन्न प्रकार के अग्रिमों से संबंधित पत्रावलियां।
18. परिश्रमिक / परितोषिक स्वीकृति संबंधी पंजिका।
19. नई मांगों की अनुसूची संबंधी पत्रावलियां।
20. वार्षिक वेतन वृद्धि पंजिका।
21. मासिक व्यय विवरण पंजिका।
22. पर्मनेन्ट एडवांस रजिस्टर।

उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
संख्या 3582–सी/उ0नि0(एक) 2002–04
देहरादून दिनांक 25–02–2005

कार्यालय ज्ञाप

उद्योग निदेशालय स्तर पर अनुभागों का निर्धारण करते हुए उनके अधीन निम्न विवरणानुसार कार्य रखे जाते हैंः–

अनुभाग–1 (कार्मिक अनुभाग)

1. राजपत्री अधिकारियों के सेवा संबंधी समस्त विषयों तथा नियुक्ति, प्रोन्नति, वरिष्ठता स्थाईकरण, स्थानान्तरण, विनियमितीकरण, भविष्य निर्वाह निधि, विभिन्न अग्रिम ऋण एवं तद्विषयक सूचना आदि पर कार्यवाही करना।
2. अधिनस्थ सेवा संवर्ग के सेवा संबंधी समस्त विषयों यथा नियुक्ति, प्रोन्नति, वरिष्ठता, स्थाईकरण, स्थानान्तरण, विनियमितीकरण, भविष्य निर्वाह निधि, विभिन्न अग्रिम ऋण एवं तद्विषयक सूचना आदि पर कार्यवाही करना।
3. लिपिक सेवा संवर्ग के सेवा संबंधी समस्त विषयों यथा नियुक्ति, प्रोन्नति, वरिष्ठता, स्थाईकरण, स्थानान्तरण, विनियमितीकरण, भविष्य निर्वाह निधि, विभिन्न अग्रिम ऋण एवं तद्विषयक सूचना आदि पर कार्यवाही करना।
4. तकनीकी संवर्ग के सेवा संबंधी समस्त विषयों यथा नियुक्ति, प्रोन्नति, वरिष्ठता, स्थाईकरण, स्थानान्तरण, विनियमितीकरण, भविष्य निर्वाह निधि, विभिन्न अग्रिम ऋण एवं तद्विषयक सूचना आदि पर कार्यवाही करना।
5. चतुर्थ सेवा संवर्ग के सेवा संबंधी समस्त विषयों यथा नियुक्ति, प्रोन्नति, वरिष्ठता, स्थाईकरण, स्थानान्तरण, विनियमितीकरण, भविष्य निर्वाह निधि, विभिन्न अग्रिम ऋण एवं तद्विषयक सूचना आदि पर कार्यवाही करना।
6. उत्तर प्रदेश से आवंटित सरप्लस कार्मिकों के सेवा संबंधी समस्त विषयों यथा नियुक्ति, प्रोन्नति, वरिष्ठता, स्थाईकरण, स्थानान्तरण, विनियमितीकरण, भविष्य निर्वाह निधि, विभिन्न अग्रिम ऋण एवं तद्विषयक सूचना आदि पर कार्यवाही करना।
7. विभागीय विभिन्न सेवा संवर्गो की सेवा नियमावलियों के प्रारूप तैयार कर शासन को प्रेषित करना एवं समय–समय पर आवश्यकता के अनुरूप उनमें संशोधन के प्रारूप तैयार कर शासन को प्रेषित करना एवं तद्विषयक सूचनाओं आदि पर कार्यवाही करना।
8. कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, विभागीय जाँच, सर्तकता जांच एवं अभियोजना संबंधी विषयों पर समस्त कार्यवाही करना।
9. जनशक्ति का नियोजन एवं नियंत्रणाधीन प्रक्रियाओं को आवश्यकता के अनुरूप सरलीकरण एवं अधिकारों के प्रतिनिधायन विषयक कार्यवाही करना।
10. निदेशालय स्तर पर कार्यविभाजन संबंधी कार्यवाही करना।
11. कार्मिकों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दायर वादों के संबंध में सभी प्रकार की कार्यवाही करना।
12. विभागीय पद संरचना के संबंध में कार्यवाही।
13. कार्मिकों को समय–समय पर विशेष प्रशिक्षण एवं उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने विषयक विषयों पर कार्यवाही करना।
14. कार्मिक विषयक सभी सूचनाओं का संकलन एवं समीक्षा विषयक कार्यवाही।
15. कार्मिकों के पेंशन एवं सेवा निवृत्त पर देय अन्य सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही करना।
16. कार्मिक अनुभाग से संबंधित जन शिकायतों, लोक सभा एवं विधान सभा प्रश्नों, एवं माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही।

17. सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के प्रकरणों पर कार्यवाही करना।

अनुभाग–2 (बजट अनुभाग)

1. विभाग से संबंधित सभी चालू योजनाओं के आय–व्ययक अनुमान तैयार करने संबंधी समस्त कार्यवाही करना।
2. आयोजनेत्तर पक्ष की बजट मांग की सूचनाओं का संकलन एवं बजट आवंटन, पुर्नविनियोग एवं सर्मपण तथा तद्विषयक कार्यवाही।
3. आयोजनागत पक्ष की बजट मांग की सूचनाओं का संकलन एवं बजट आवंटन, पुर्नविनियोग, सर्मपण एवं सदुपयोगिता तथा तद्विषयक कार्यवाही।
4. जनपदों से प्राप्त मासिक व्यय विवरणों का संकलन एवं तद्विषयक कार्यवाही।
5. महालेखाकार कार्यालय में आय–व्ययक लेखों का मिलान एवं तद्विषयक कार्यवाही करना।
6. वित्त आयोग से संबंधित सभी प्रस्तावों एवं सूचनाओं को तैयार करना।

अनुभाग–3 (लेखा एवं आहरण वितरण अनुभाग

(अ) लेखा कक्षः–

1. महालेखाकार द्वारा किए जाने वाले आडिट प्रतिवेदनों के अनुपालन की कार्यवाही करना एवं उनका उत्तर तथा लम्बित आख्यों के निस्तारण हेतु कार्यवाही करना।
2. जिला उद्योग केन्द्रों में महालेखाकार के आडिट प्रतिवेदनों के संबंध में कार्यवाही करना।
3. विभागीय लेखानिरीक्षण के संबंध में कार्यवाही एवं प्राप्त आडिट प्रतिवेदनों पर कार्यवाही।
4. निदेशालय के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त वित्त संबंधी पत्रावलियों पर वित्तीय टिप्पणी अंकित करते हुए उन्हें व्यवहृत करना।
5. जनपदों से प्राप्त यात्रा कार्यक्रमों के अनुमोदन एवं यात्रीबीजकों पर प्रतिहस्ताक्षर एवं तद्विषयक कार्यवाही।
6. कालातीत देयकों के संबंध में सभी प्रकार की कार्यवाही करना।
7. निदेशालय स्तर पर सभी प्रकार के देयकों की जांच करना।
8. निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों के विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों की जांच करना एवं प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जारी करना।
9. विभिन्न प्रकार के वितरित औद्योगिक ऋणों की वसूली से संबंधित समस्त कार्यवाही।
10. निदेशालय स्तर पर डाक टिकट रजिस्टर, एवं भण्डार से संबंधित पंजिकाओं की जांच करना।

(ब) आहरण एवं वितरण कक्षः–

1. निदेशालय स्तर पर कैश संबंधी कार्य एवं तद्विषयक अभिलेखों का रख–रखाव।
2. बैंकों में स्थित खातों का संचालन एवं तद्विषयक अभिलेखों का रख–रखाव।
3. निदेशालय स्तर पर कार्मिकों के वेतन, एरियर, यात्रा, भविष्य निधि, अग्रिम एवं कार्मिकों से संबंधित अन्य 4 सभी प्रकार के देयकों को तैयार करना एवं तद्विषयक कार्यवाही करना।
4. कार्मिकों के भविष्य निधि पासबुक, लेजर आदि का रख–रखाव एवं तद्विषयक कार्यवाही करना।
5. निदेशालय स्तर पर सभी प्रकार के आकस्मिक बिलों को तैयार करना एवं तद्विषयक समस्त कार्यवाही।
6. आयकर से संबंधित कार्यवाही।
7. निदेशालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान संबंधी कार्यवाही करना।

अनुभाग–4 (नियोजन एवं सांख्यकीय विभाग)

1. राज्य एवं जिला योजनायें तैयार करना एवं तद्विषयक कार्यवाही।
2. नई योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करना एवं तद्विषयक कार्यवाही।
3. जिला उद्योग केंद्रों से प्राप्त नई योजनाओं का परीक्षण एवं उन पर अग्रिम कार्यवाही करना।
4. विभागीय विभिन्न योजनाओं में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करना एवं तद्विषयक कार्यवाही।
5. योजनाओं के सफल संचालन हेतु कार्ययोजनायें तैयार करना।
6. विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समय–समय पर समीक्षा करना एवं उनमें आवश्यकता के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर एकीकृत योजनायें तैयार करना।
7. विभाग की पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
8. वित्त आयोग से संबंधित सभी प्रस्तावों एवं सूचनाओं को तैयार करना।
9. लघु औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण एवं गणना संबंधी कार्य।
10. भारत सरकार से समय–समय पर वांछित सांख्यकी सूचनाओं का संकलन एवं प्रेषण का कार्य।
11. निदेशालय स्तर पर प्राप्त होने वाली निदेशालय के विभिन्न अनुभागों की मासिक/त्रैमासिक/छःमाही एवं वार्षिक सूचनाओं की समीक्षा एवं बैठक हेतु संकलन एवं प्रेषण का कार्य।
12. खादी बोर्ड से प्राप्त योजनाओं पर निदेशालय स्तर पर परीक्षण कर उन पर कार्यवाही करना।
13. नियोजन संबंधी विशेष प्रकार की विभिन्न सूचनाओं का संकलन एवं प्रेषण।
14. निदेशालय स्तर पर निर्धारित विभिन्न सूचनाओं के प्रारूपों की समय–समय पर समीक्षा एवं उनका नवीनीकरण।
15. बुद्धिजीवियों/जनप्रतिनिधियों/सांसदों/विधायकों एवं मंत्रियों से प्राप्त सुझावों के संबंध में कार्यवाही।
16. राज्य स्तरीय परामर्श कक्ष हेतु सभी प्रकार के आवश्यक साहित्य का संकलन एवं परियोजनाओं आदि का संकलन।
17. विभिन्न प्रकार की डारेक्ट्रीयाँ तैयार करना।
18. विभाग से संबंधित गतिविधियों हेतु महामहिम राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री/उद्योग मंत्री एवं उच्च अधिकारियों के भाषण का प्रारूप तैयार करना।
19. नई योजनाओं हेतु एस0एन0डी0 तैयार करना।
20. विभिन्न बैठकों हेतु सूचनाओं का संकलन, बैठकों के कार्यवृत्तों का अनुपालन एवं सभी प्रकार की बैठकों से संबंधित कार्यवाही।
21. विभाग से संबंधित समस्त आंकड़ों का रख–रखाव एवं विभिन्न डायरेक्ट्री तैयार करना।

अनुभाग–5 (औद्योगिक विकास अनुभाग)

1. राज्य के औद्योगिक विकास हेतु समय–समय पर औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करना एवं उद्योग सेक्टर की विभिन्न योजनाओं से संबंधित का अनुश्रवण करना एवं सूचनायें तैयार करना।
2. औद्योगिक इकाइयों के वित्त पोषण संबंधी प्रकरणों पर वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित करने संबंधी प्रकरणों पर कार्यवाही।
3. राज्य के औद्योगिक विकास हेतु जिला उद्योग केंद्रो को दिशा–निर्देश देना।
4. औद्योगिक आस्थान एवं औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन एवं पर्यवेक्षण।
5. वृहद् एवं मध्यम उद्योग से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन।
6. आई0ई0एम0/एल0ओ0आई0/एफ0डी0आई0/एफ0टी0सी0/ई0ओ0यू0 से संबंधित समस्त कार्य।
7. औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल आवंटन से संबंधित कार्य।
8. रूग्ण इकाइयों का पुर्नवासन एवं स्लिक की बैठक से संबंधित कार्य।
9. फैसिलिटेशन काउन्सिल से संबंधित समस्त कार्य।
10. परिवहन उपादान से संबंधित समस्त कार्य

11. केंद्रीय पूँजी उपादान योजना से संबंधित समस्त कार्य।
12. ब्याज उपादान से संबंधित समस्त कार्य।
13. नई औद्योगिक नीति के तहत देय पैकेज के अंतर्गत आयकर/उत्पादन कर आदि से संबंधित समस्त कार्य।
14. व्यापार कर से संबंधित समस्त कार्य।
15. औद्योगिक सेक्टर से संबंधित गोष्ठियों, सेमीनारों, एवं सभी प्रकार के मेलो आदि का आयोजन संबंधी कार्य।
16. औद्योगिक सेक्टर से संबंधित जन शिकायतों, विधान सभा एवं लोक सभा प्रश्नों, माननीय विधायक, सांसदों एवं मंत्रियों से प्राप्त पत्रों का उत्तर एवं उन पर कार्यवाही करना।
17. उद्योग सेक्टर की विभागीय योजनाओं की समीक्षा एवं उनके सफल संचालन हेतु कार्य योजनायें तैयार करना।
18. राज्य में लघुत्तर, लघु एवं ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के समग्र विकास हेतु सभी प्रकार की परियोजनायें एवं नीतियों के प्रारूप तैयार करना एवं तद्विषयक कार्य।
19. उद्योग सेक्टर के आयात एवं निर्यात संबंधी कार्य।

अनुभाग–6 (हथकरघा एवं हस्तशिल्प)

1. हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद से संबंधित समस्त कार्य।
2. राज्य में हथकरघा एवं हस्तशिल्प सेक्टर के विकास हेतु समय–समय पर हथकरघा नीति संबंधी प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करना एवं हथकरघा सेक्टर की विभिन्न योजनाओं का अनुश्रवण करना एवं सूचनायें तैयार करना।
3. बुनकरों के कल्याण एवं विकास हेतु आवास से सम्बद्ध कार्यशाला योजना, थ्रिफ्ट फण्ड योजना, वहबूदी फण्ड योजना, हैल्थ पैकेज, सामुहिक बीमा योजना, हथकरघों के आधुनिकीकरण की योजना, दीनदयाल हथकरघा योजना, हथकरघा पुरस्कार योजना एवं अन्य हथकरघा योजनाओं का कार्य।
4. हथकरघा इकाइयों, हस्तशिल्प इकाइयों के वित्त पोषण संबंधी प्रकरणों पर वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित करने संबंधी प्रकरणों पर कार्यवाही।
5. हथकरघा बुनकरों एवं इकाइयों तथा हस्तशिल्पियों के संबंध में समय–समय पर विभिन्न सूचनाओं का संकलन एवं प्रेषण।
6. हथकरघा बुनकरों एवं इकाइयों तथा हस्तशिल्पियों की डायरेक्ट्री तैयार करना।
7. हथकरघा एवं हस्तशिल्प सेक्टर से संबंधित जन शिकायतों, विधानसभा एवं लोकसभा प्रश्नों, माननीय विधायक, सांसदों एवं मंत्रियों से प्राप्त पत्रों का उत्तर एवं उन पर कार्यवाही करना।
8. बुनकर एवं बुनकर संगठनों तथा हस्तशिल्पियों से प्राप्त प्रस्तावों/पत्रों/शिकयतों पर कार्यवाही करना
9. हथकरघा बुनकरों एवं इकाइयों तथा हस्तशिल्पियों के विकास हेतु जिला उद्योग केन्द्रों को दिशा–निर्देश देना।
10. हथकरघा बुनकरों/इकाइयों एवं समितियों तथा हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित समान की बिक्री हेतु जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों/मेलों का आयोजन विषयक कार्य।
11. असंगठित बुनकरों के संगठित करने हेतु समय–समय पर योजनाएं तैयार करना।
12. रोजगार सृजन हेतु नए बुनकर तैयार करने हेतु बेरोजगारों को प्रोत्साहित करने हेतु हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के तत्वाधान में योजनाएं तैयार करना तथा तद्विषयक कार्य।
13. विभागीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प योजनाओं के आधुनिकीकरण का कार्य।
14. रोजगार सृजन हेतु नये हस्तशिल्पियों को तैयार करने हेतु बेरोजगारों को प्रोत्साहित करने हेतु हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के तत्वाधान में योजनायें तैयार करना तथा तद्विषयक कार्य।
15. हथकरघा एवं हस्तशिल्प सेक्टर के आयात एवं निर्यात संबंधी कार्य।

16. विभिन्न पुरूष्कारों से संबंधित कार्यवाही।

अनुभाग–7 (पी.एम.आर.वाई. एवं उद्यमिता विकास अनुभाग)

1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्यवाही करना।
2. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लक्ष्यों का आवंटन एवं उनकी पूर्ति हेतु दिशा–निर्देश जारी करना।
3. प्रधानमंत्री योजना के सफल संचालन एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बैंकर्स के साथ बैठक का आयोजन संबंधी कार्य।
4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित समस्त सूचनाओं का संकलन एवं प्रेषण।
5. प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत जिला उद्योग केंद्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही करना एवं उन्हें दिशा–निर्देश देने का कार्य।
6. प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित अभ्यर्थियों की राज्यस्तरीय डायरक्ट्री तैयार करना।
7. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के सफल संचालन हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
8. राज्य में उद्यमिता विकास हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संचालन एवं तत्संबंधी कार्य।
9. राज्य में उद्यमिता विकास हेतु आवश्यक साहित्यों तथा परियोजनाओं का संकलन एवं विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं संस्थाओं के माध्यम से कार्यशालायें आयोजित करना।

अनुभाग–8 (उद्योग मित्र/परामर्श/समन्वय अनुभाग)

1. उद्योग मित्र संबंधी समस्त कार्यवाही।
2. परामर्श संबंधी समस्त कार्यवाही।
3. एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत राज्य के औद्योगिकीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार करना एवं उन पर कार्यवाही करते हुए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना।
4. खादी बोर्ड/सिडकुल एवं अन्य संस्थाओं से संबंधित समस्त कार्यवाही।
5. निगमों की परिसम्पतियों के स्थानान्तरण से संबंधित कार्य।
6. उद्योगों हेतु लैण्ड बैंक संबंधी समस्त कार्य।
7. औद्योगिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों/पत्रों/शिकायतों पर कार्यवाही करना।

अनुभाग–9 (नजारत एवं सामान्य अनुभाग)

1. निदेशालय के सभी व्यवस्था संबंधी कार्य एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को कार्य आवंटित करना।
2. डायरी एवं डिस्पैच संबंधी कार्य।
3. कार्मिकों की चरित्र प्रविष्टियों का रख–रखाव।
4. उद्योग निदेशालय के भण्डार अनुरक्षण एवं तत्संबंधी अभिलेखों का रख–रखाव।
5. निदेशालय एवं जिला उद्योग केंद्रो से प्राप्त अनुपयोगी सामानों के निस्तारण संबंधी प्रस्तावों पर कार्यवाही/स्वीकृति।
6. विभागीय परिसम्पतियों से संबंधित अभिलेखों का रख–रखाव, सूचनाओं एवं परिसम्पतियों के सम्बन्ध में स्वीकृतियां जारी करना।
7. भण्डार से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियां जारी करना।
8. पुराने अभिलेखों का रख–रखाव एवं उनके निदान (वीडिंग) संबंधी कार्यवाही।
9. वार्षिक भण्डार सत्यापन संबंधी कार्य।

कैम्प अनुभाग निदेशक उद्योग

1) निदेशक उद्योग के कैम्प कार्यालय से संबंधित समस्त कार्य।

कैम्प अनुभाग अपर निदेशक उद्योग

1) अपर निदेशक उद्योग के कैम्प कार्यालय से संबंधित समस्त कार्य।

(संजीव चौपड़ा)
निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपिः

1. समस्त अधिकारी/सहायक उद्योग निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि वे तत्काल प्रभाव से पत्राचार में अनुभाग का नाम अंकित करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल को इस निर्देश के साथ कि वे निदेशालय से पत्राचार करते समय संबंधित अनुभाग का उल्लेख करें।
3. सचिव औद्योगिक विकास विभाग उत्तरांचल शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0सी0चन्दोला)
संयुक्त निदेशक उद्योग।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
मैनुअल–7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उनकी नीति की संरचना या उसके क्रियान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।

जनता के साक्ष्यों से परामर्श हेतु विभाग में निम्न व्यवस्था स्थापित हैः–

उद्योग विभाग की व्यवस्था की विशिष्टियों हेतु संरचना स्पष्ट है कि इसमें प्रदेश स्तर पर उद्योग निदेशालय की स्थापना है तथा जनपद स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना है। जनता के सदस्यों से परामर्श हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवसों का आयोजन किया जाता है। जिसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारी इसके सदस्य होते हैं तथा जनप्रतिनिधि भी इसके सदस्य होते हैं। यह बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में क्रमानुसार प्रत्येक तहसील में आयोजित होती है, जिसमें सीधे जनता के सदस्यों से विचार–विमर्श होता है एवं विभाग से सम्बन्धित उनकी समस्याओं का समाधान इसी बैठक में किया जाता है। इस बैठक मेंसमस्या के समाधान हेतु समय भी निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार जनता के सदस्यों से प्राप्त सुझाव भी मांगे जाते हैं जिनका समय–समय पर विभागीय कार्यक्रमों में समायोजन भी किया जाता है।

जनपद स्तर पर जनता के सदस्यों से सीधे परामर्श हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में केन्द्र समिति की बैठकों का आयोजन प्रत्येक मास में एक बार क्रमानुसार प्रमुख केन्द्र समिति की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है, जिसमें की सभी केन्द्रीय प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं तथा सभी जिलास्तरीय अधिकारी उसमें अनिवार्य रूप से भाग लेते हैं, जिसमें की सीधे जनता के सदस्यों से परामर्श किया जाता है। इसी प्रकार की बैठकें जनता के सदस्यों से परामर्श हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में भी प्रत्येक त्रैमास में आयोजित की जाती है, जिसमें सभी जिलास्तरीय अधिकारी अनिवार्य रूप से भाग लेते हैं, तथा उक्तानुसार प्रक्रिया होती है। साथ ही जिलों की तहसीलों में/ब्लाक स्तर पर तैनात केंद्रीय सहायक प्रबन्धक उद्योग द्वारा भी समय–समय पर आवश्यकतानुसार उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिप्ररणा शिविर तथा अन्य जिलास्तरीय कार्यक्रमों तथा सीधे भी जनता के सदस्यों से परामर्श किया जाता है।

उपरोक्त के साथ ही स्थानीय उद्यमियों की समस्या के समाधान हेतु जनपद स्तर पर जिला उद्योग मित्र की बैठक प्रतिमाह/द्विमासिक रूप से जिलाअधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है, जिसमें की सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है, तथा बैठक में विचार–विमर्श के बाद जिला स्तरीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। उद्यमियों की जिन समस्याओं का समाधन जनपद स्तर पर नहीं हो पाता है उन्हें राज्यस्तरीय उद्योग मित्र की बैठक में समाधान हेतु भेजा जाता है। राज्यस्तरीय उद्वोग मित्र की बैठक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रत्येक त्रैमास में आयोजित की जाती है। जिला स्तरीय उद्योग मित्र/राज्यस्तरीय उद्योग मित्र की बैठकों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण इसी पुस्तिका के **पृष्ठ 20 से 24 में दिया गया है।**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
मैनुअल–8

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, साथ ही विवरण की क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी ?

प्रदेश के सर्वांगीण औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न शासनादेशों के तहत निम्न परिषदों/समितियों का गठन किया गया हैः–

1. राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास परिषद।
2. राज्य स्तरीय उद्योग मित्र।
3. उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद।
4. लघु उद्योग इकाइयों के लम्बित देयों के निस्तारण हेतु फैसिलिटेशन काउन्सिल।
5. उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम, अलग से विभाग है जिसका मैनुअल अलग से सम्बन्धित विभाग को भेजा जायेगा।

इन समितियों/परिषदों तथा विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विभाग चार्टर के अनुसार इकाइयों के हित में निर्गत की जाने वाली स्वीकृतियों, संस्तुतियों, पंजीकरण इत्यादि के त्वरित निष्पादन हेतु समय–सारणी, शासनादेश संख्या–353 दिनांक 26 अगस्त, 2004 के अंतर्गत ''एकल खिडकी सम्पर्क सूचना एवं सुगमता व्यवस्था'' लागू की गई है, जिसमें निम्न व्यवस्था की गई हैः–

1. औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से पूर्व प्रदेश के विभिन्न विभागों से वांछित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनापत्तियों, अनुज्ञा पत्रों का संकलन।
2. उद्योग स्थापना के पश्चात प्रदेश के विभिन्न विभागों से वांछित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनापत्तियों, अनुज्ञा पत्रों का संकलन।

ये सभी पुस्तिकायें निदेशालय एवं जनपद स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों में उपलब्ध हैं। विभाग द्वारा स्थापित इकाइयों की वार्षिक रूप से पंजिका में अंकित कर निर्देशिका तैयार की जाती है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम बन जाने से इन इकाइयों की मासिक रूप से निर्देशिका तैयार की जायेगी।

विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों एवं संचालित विभिन्न योजनाओं तथा सुविधओं से संबंधित पुस्तिका का प्रकाशन निदेशालय स्तर पर किया जाता रहा है, जिसमें विभागीय योजनाओं एवं केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं को सूचीबद्ध करके उद्यमियों एवं अन्य लाभार्थियों के लिए प्रचारित किया जाता रहा है।

विभाग द्वारा वर्ष भर किए जाने वाले कार्यों की कार्य योजना तथा कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका तैयार की जाती रही है, जिसमें वर्ष भर किये जाने वाले कार्य तथा गत वर्ष हुये कार्यों की प्रगति इंगित होती है। इस पुस्तिका को माननीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, जन प्रतिनिधियों एवं उच्चाधिकारियों तथा जन सामान्य को उपलब्ध कराई जाती है।

नीति बनाने उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व में विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

उद्योग विभाग राज्य के सर्वांगीण विकास तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न नितियों एवं कार्यक्रमों के संचालन हेतु कटिबद्ध है, जिस हेतु राज्य की औद्योगिक नीति घोषित की गई है, जो निम्नवत हैः–

1. माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन परिषद का गठन जिसमें उद्योगों के विशेषज्ञों एवं सरकारी प्रतिनिधियों को समिमलित किया गया है।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र का गठन।
3. प्रदेश में औद्योगिक अवस्थापना संविधाओं के विकास हेतु उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम का गठन किया गया है।
4. हस्तशिल्प एवं छीपी उद्योग के विकास हेतु समुमचित रणनीति तैयार कर उसे क्रियान्वित करने हथकरघा और हस्तशिल्प एवं छीपी उद्योग के संवर्द्धन, प्रदर्शन एवं विपणन की समुचित व्यवस्था करने प्रदेश में शिल्प ग्रामों को शिल्प ग्राम के रूप में चयन कर परम्परागत हथकरघा एवं शिल्पों का संरक्षण संवर्द्धन व प्रचार–प्रसार तथा इन्हें पर्यटन से जोड़ने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद का गठन किया गया है।
5. प्रदेश में औद्योगिक विकास के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित ख्याति प्राप्त उद्यमी संगठनों से समय–समय पर सुझाव आमंत्रित किये जाते हैः–
   1. इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन
   2. कुमाऊँ–गढवाल चैम्बर आफ कामर्स इण्डस्ट्रीज
   3. उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन

उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास विभाग
संख्याः 340/औ.वि./65–उद्योग/2004
देहरादून दिनांकः 28 फरवरी 2004

कार्यालय ज्ञाप

मिता विकास के कार्यक्रमों के विकास, नियोजन एवं क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

त "राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति" के अध्यक्ष पद पर श्री जोत सिंह बिष्ट, 21–राजपुर रोड, देहरादून तथा श्री रमेश पाण्डेय, मल्लीताल, नैनीताल को उपाध्यक्ष पद पर नामित किये जाने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संजीव चौपड़ा
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 340(1)/औ.वि./65–उद्योग/2004, तद्दिनांकितः–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
4. निदेशक, उद्योग, देहरादून।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग।
6. समस्त महाप्रबंधक, उद्योग, उत्तरांचल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. नामित सदस्य।

आज्ञा से,

(संजीव चौपड़ा)
सचिव।

उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास विभाग
संख्याः 340/औ.वि./65–उद्योग/2004
देहरादून दिनांकः 28 फरवरी 2004
कार्यालय ज्ञाप

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के विकास, नियोजन एवं क्रियान्वयन को गति प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति का गठन औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 340/औ.वि./65–उद्योग/2004, दिनांकः 28 फरवरी, 2004 द्वारा किया गया है।

उक्त राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति एवं शासन को समुचित सलाह प्रदान करने के लिए श्री दिनेश थुवाल, ग्राम–नजीबाबाद, पोस्ट–सूर्यनगर (किच्छा) जनपद उद्यमसिंह नगर को उक्त समिति में सलाहकार नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सलाहकार के रूप में पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु श्री थुवाल को गोपन (मंत्रीपरिषद) अनुभाग के पत्र संख्याः 830/14/1/XXI/2004, दिनांकः 15.12.2004 के अनुसार श्रेणी "ख" की सुविधाएं अनुमन्य होंगी।

संजीव चौपड़ा
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 187/VII/65–उद्योग/2004, तद्दिनांकितः–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री दिनेश थुवाल, सलाहकार, राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
5. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
6. अपर निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
7. समस्त महाप्रबन्धक, उद्योग, उत्तरांचल।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे विज्ञप्ति को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर उसकी 60 प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(संजीव चौपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन
संख्याः 778–सी/औ.वि./2006–उद्योग/2006–07
सचिवालय देहरादूनः दिनांकः 18 अप्रैल, 2006

ज्ञाप

उद्यमिता विकास के कार्यक्रमों के विकास, नियोजन एवं क्रियान्वयन को गति प्रदान करने हुतु राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति का गठन शासन के ज्ञाप संख्या 340/औ.वि./65–उद्योग/2004, दिनांकः 28 फरवरी, 2004 द्वारा किया गया है, जिसके तारतम्य में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3029/औ.वि./2005–उद्योग/2005–06/65–उद्योग/04 दिनांक 26 अगस्त, 2005 के द्वारा राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति में अधिकारियों को सदस्य क रूप में नामित किया गया था।

उक्त कार्यालय ज्ञाप में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य स्तरीय उद्यमित विकास सलाहकार समिति में नामित सदस्यो के अतिरिक्त निम्न अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जाता हैः–

1. श्री जोत सिंह बिष्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति, उत्तरांचल, ई0सी0रोड, देहरादून।
2. डॉ. रमेश पाण्डेय, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति, कल्पना होटल, मल्लीताल, देहरादून।
3. श्री दिनेश थुवाल, सलाहकार, राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति, उत्तरांचल, ई0सी0रोड, देहरादून।
4. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निदेशक, पर्यटन, उत्तरांचल, देहरादून।
7. निदेशक, उरेडा, उत्तरांचल, देहरादून।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री जोत सिंह बिष्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति, उत्तरांचल, ई0सी0रोड, देहरादून।
2. डॉ. रमेश पाण्डेय, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति, कल्पना होटल, मल्लीताल, देहरादून।
3. श्री दिनेश थुवाल, सलाहकार, राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति, उत्तरांचल, ई0सी0रोड, देहरादून।
4. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून।

6. निदेशक, पर्यटन, उत्तरांचल, देहरादून।
7. निदेशक, उरेडा, उत्तरांचल, देहरादून।
8. निदेशक, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तरांचल, देहरादून।
9. निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, हल्द्वानी।
10. निदेशक, खादी ग्रामोद्योग आयोग, जी0एम0एस0 रोड़, उत्तरांचल देहरादून।
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तरांचल, देहरादून।
12. अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, मोहब्बेवाला, उत्तरांचल, देहरादून।
13. अध्यक्ष, कुमाऊँ–गढ़वाल चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, औ0आ0, बाजापुर रोड, काशीपुर उत्तरांचल,।
14. अध्यक्ष, गढ़वाल इण्डस्ट्रीज ऐसोसियेशन ओ0आ0 पटेलनगर, देहरादून।
15. अध्यक्ष, कन्फडरेशन आफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज, उत्तरांचल चेप्टर, राजपुर रोडद्व नेपाल हाउस, देहरादून।
16. जोनल मैनेजर/उप महाप्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, देहरादून।
17. वरिष्ठ महाप्रबंधक, बैंक आफ बडौदा, देहरादून।
18. सहायक महाप्रबन्धक, सिडबी, देहरादून।
19. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून।
20. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
21. गार्ड–फाईन।

(संजीव चौपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन
संख्याः 3029/औ.वि./2005–उद्योग/2005–06/65–उद्योग/04
सचिवालय देहरादूनः दिनांकः 26 अगस्त, 2005

कार्यालय ज्ञाप

उद्यमिता विकास के कार्यक्रमों के विकास, नियोजन एवं क्रियान्वयन को गति प्रदान करने हेतु **"राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति"** का गठन शासन के ज्ञाप संख्या 340/औ.वि./65–उद्योग/2004, दिनांक 28 फरवरी, 2004 द्वारा किया गया है।

राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति में निम्न अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जाता हैः–

1.	निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।	सदस्य
2.	निदेशक, पर्यटन, उत्तरांचल, देहरादून।	सदस्य
3.	निदेशक, उरेडा, उत्तरांचल, देहरादून।	सदस्य
4.	निदेशक, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तरांचल, देहरादून।	सदस्य
5.	निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, हल्द्वानी।	सदस्य
6.	निदेशक, खादी ग्रामोद्योग आयोग, जी0एम0एस0 रोड़, उत्तरांचल देहरादून।	सदस्य
7.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तरांचल, देहरादून।	सदस्य
8.	अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, मोहब्बेवाला, उत्तरांचल, देहरादून।	सदस्य
9.	अध्यक्ष, कुमाऊँ–गढ़वाल चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, औ0आ0, बाजापुर रोड, काशीपुर उत्तरांचल।	सदस्य
10.	अध्यक्ष, गढ़वाल इण्डस्ट्रीज ऐसोसियेशन ओ0आ0 पटेलनगर, देहरादून।	सदस्य
11.	अध्यक्ष, कन्फडरेशेन आफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज, उत्तरांचल चेप्टर, राजपुर रोड़, देहरादून।	सदस्य
12.	जोनल मैनेजर/उप महाप्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, देहरादून।	सदस्य
13.	वरिष्ठ महाप्रबंधक, बैंक आफ बडौदा, देहरादून।	सदस्य
14.	सहायक महाप्रबन्धक, सिडबी, देहरादून।	सदस्य
15.	मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून अथवा इनके प्रतिनिधि।	सदस्य
16.	निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।	सदस्य सचिव।

(संजीव चौपड़ा)
सचिव।

उद्योग मित्र

राज्य के उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण, उनके साथ सतत् संवाद एवं परामर्श, एवं नए उद्योगों/उद्यमियों के प्रस्तावों पर विचार हेतु राज्यस्तरीय एवं जनपद स्तरीय उद्योग मित्र का गठन किया गया है। उद्योग मित्र के गठन संबंधी शासनादेश निम्न प्रस्तुत हैः–

उत्तरांचल शासन
संख्याः 2693/औ.वि./2001–150 उद्योग/2001
औद्योगिक विकास विभाग
सचिवालय देहरादूनः दिनांकः 15 नवम्बर, 2001

कार्यालय ज्ञाप

राज्य उद्यमियों से सीधा संवाद स्थापित किये जाने तथा राज्य के औद्योगिक विकास हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर विचार–विमर्श हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठकों में कार्य प्रक्रिया निर्धारित किये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश भी गठित किये जाते हैंः–

1.	मा. मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	मा. औद्योगिक विकास मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	मा. वित्त मंत्री	सदस्य
4.	मा. वन एवं पर्यावरण मंत्री	सदस्य
5.	मा. शिक्षा मंत्री	सदस्य
6.	मा. लोक निर्माण मंत्री	सदस्य
7.	मा. सिंचाई मंत्री	सदस्य
8.	मा. ऊर्जा मंत्री	सदस्य
9.	मुख्य सचिव	सदस्य
10.	सचिव, औद्योगिक विकास	सदस्य सचिव
11.	सचिव, वन एवं पर्यावरण	सदस्य
12.	सचिव, लोक कल्याण विभाग	सदस्य
13.	सचिव, ऊर्जा	सदस्य
14.	सचिव, शिक्षा	सदस्य
15.	सचिव, वित्त	सदस्य
16.	सचिव, सिंचाई	सदस्य
17.	नामित तीन औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
18.	राज्य के तीन लीड बैंकों के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों/विशेषज्ञों को भी नामित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई उद्यमी अपनी समस्या को व्यक्तिगत रूप से भी रखना चाहता है तो उसे भी अध्यक्ष की अनुमति से राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा।

राज्य स्तर पर उद्योग मित्र के कार्य निम्न प्रकार प्रस्तावित हैंः–

1. राज्य में होने वाले औद्योगिकीकरण एवं लम्बी अवधि से लम्बित मामलों की समीक्षा एवं उन पर निर्णय करना।
2. नीति विषयक मामलों तथा उन उद्योगों की विशेष समस्याओं पर निर्णय किया जाना जिनमें विभागीय स्तर पर अथवा औद्योगिक विकास परिषद में निर्णय सम्भव न हो सकें।
3. राज्य में औद्योगिक रूग्णता को दूर करने हेतु प्रस्तावों पर विचार करना एवं मार्ग निर्देशन प्रदान करना।
4. औद्योगिक विकास में बाधक नियम, अधिनियम एवं शासनादेश जिनमें शिथिलीकरण की आवश्यकता हो, से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार एवं निर्णय करना।
5. ऐसे बिंदुओं/प्रस्तावों, जो औद्योगिक नीति 2001 में समाहित नहीं है किंतु उन्हें स्वीकार किया जाना औद्योगिक विकास के हित में है, पर विचार एवं निर्णय करना।

राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक त्रैमास में ए बार आयोजित की जायेगी। बैठक का एजेण्डा निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को प्रेषित कर दिया जाएगा तथा बैठक से तीन दिन पूर्व सदस्यों के द्वारा अपने लिखित सुझाव समिति के सचिव को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा प्रगति से औद्योगिक विकास परिषद् को अवगत करायेंगे। बैठक के ऐजेण्डे का प्रारूप निम्न प्रकार होगाः–

प्रारूप–क

क्रमांक	सुझाव यदि कोई हो, का विवरण	विभाग का नाम	सुझाव में लाभ
1	2	3	4

प्रारूप–ख

क्रमांक	समस्या का विवरण	विभाग का नाम	निदान हेतु सुझाव
1	2	3	4

उपरोक्तानुसार प्रारूप–क एवं ख पर विचारोपरान्त निर्णय अंकित करते हुए कार्यवृत्त तैयार किये जायेंगे जिसकी सूचना औद्योगिक विकास परिषद् तथा निदेशक, उद्योग को दी जायेगी। प्रारूप–ग पर अनुवर्ती कार्यवाही सूचना आगी बैठक में दी जाएगी।

क्रमांक	समस्या/सुझाव	बैठक की तिथि जिसमें प्रस्तुत किये गये	अनुवर्ती कार्यवाही	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5

एस कृष्णन,
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2639/सचिव/औ.वि./पी0एस0/2001 समदिनांकित।

<u>प्रतिलिपिः</u>

1. सचिव, मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव क अवलोकनार्थ।
4. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
5. निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल देहरादून को कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें एवं शासनादेश की प्रति समस्त जिला उद्योग केंद्रों एवं प्रमुख औद्योगिक संगठनों को भी कृपया उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

एस कृष्णन,
सचिव।

संख्या 2639/औ.वि./2001–150 उद्योग/2001
दिनांक 15 नवम्बर, 2001

प्रेषक,

सचिव,
औद्योगिक विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उद्योग,
   उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तरांचल।
3. समस्त महाप्रबंधक,
   जिला उद्योग केंद्र,
   उत्तरांचल।

विषयः **<u>जनपद स्तरीय जिला उद्योग मित्र की स्थापना के संबंध में।</u>**

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य की औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन एवं जनपद स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण, उनके साथ सतत् संवाद एवं परामर्श, एवं नये उद्योगों/उद्यमियों के प्रस्तावों पर विचार हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार जनपद स्तरीय उद्योग मित्र के गठन का निर्णय लिया गया है।

जिला स्तर पर उद्योग मित्र का गठन निम्न प्रकार प्रस्तावित हैः–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र	सदस्य सचिव
3.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4.	व्यापार कर विभाग का जनपद का वरिष्ठतम अधिकारी (नोडल अधिकारी)	सदस्य
5.	विद्युत विभाग का जनपद का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
6.	जिला सेवायोजन अधिकारी	सदस्य
7.	अग्रणी बैंक अधिकारी	सदस्य
8.	प्रबंधक ऋण, जिला उद्योग केंद्र	सदस्य
9.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
10.	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
11.	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
12.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य

13. अन्य अपेक्षित अधिकारी सदस्य
14. दो औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधित्व सदस्य

उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भी विशेष सदस्य विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

उद्योग मित्र की बैठक देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल जनपदों में प्रत्येक माह तथा शेष जनपदों में दो माह में एक बार होगी।

जिला स्तरीय उद्योग मित्र के कार्यः–

जिला स्तरीय उद्योग मित्र के कार्य निम्नवत् होंगेः–

1. जिला स्तर पर उद्योगों के प्रस्तावों पर स्वीकृतियों को संबंधित विभाग द्वारा समय सीमा के अंतर्गत किए जाने की समीक्षा।
2. समयान्तर्गत जारी न होने वाली स्वीकृतियों के संबंध में एकल येज व्यवस्था के रूप में कार्य करते हुए स्वीकृतियां जारी करना एवं समयबद्ध आधार पर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
3. जनपद के उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाइयों के लिए सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना तथा उद्यमियों की व्यक्तिगत समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही करना।
4. आवश्यकतानुसार राज्य स्तर पर मामलों को संदर्भित करना।
5. रूग्ण इकाइयों के संबंध में विस्तृत कार्यवाही के साथ व्यक्तिगत मामलो पर सुरपष्ट प्रस्ताव जिला स्तरीय उद्योग मित्र द्वारा निर्णीत किये जायेंगे।

कार्य प्रणालीः–

1. संबंधित जिले के महाप्रबंधक अपने कार्यालय से संबंधित स्वीकृतियों की सूचना इस प्रमाण–पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे कि सभी स्वीकृतियों/पंजीकरण समय से निर्गत किए गए हैं, यदि नहीं तो स्पष्ट कारण अंकित करते हुए उद्योग मित्र को सूचित करेंगे।
2. प्रत्येक स्वीकृति/पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र के साथ चैक लिस्ट भी उपलब्ध करायी जाएगी।
3. अन्य सभी विभागों के संबंध में प्रत्येक विभाग प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को इस प्रमाण पत्र के साथ कि सभी कार्यवाहियां निर्धारित समय में पूर्ण कर ली गई हैं, यदि नहीं तो उद्योग मित्र को स्पष्ट कारणों से अवगत कराना होगा। जिला स्तरीय उद्योग मित्र के कार्यवृत्त सचिव, औद्योगिक विकास को प्रेषित किये जायेंगे जिसकी समीक्षा औद्योगिक विकास परिषद तथा राज्य स्तरीय उद्योग मित्र द्वारा की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार जनपद स्तरीय उद्योग मित्र के गठन/स्थापना हेतु अग्रेत्तर कार्यवाी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें व शासनादेशों की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

एस0कृष्णन्
सचिव।

उत्तरांचल हथकरधा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद्

मैमोरण्डम ऑफ एसोसियेशन एवं नियमावली वर्ष 2004

उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल
औद्योगिक आस्थान, पटेल नगर,
देहरादून।

उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, देहरादून
नियमावली–2004

1. **सोसाइटी का नाम** उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, देहरादून।
2. **सोसाइटी का मुख्यालय** उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
3. **कार्यक्षेत्र** प्रदेश व देश तथा विदेश (आवश्यकतानुसार)।
4. **परिभाषयें** परिषद का तात्पर्य उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद से है।

   "अधिनियम" का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 से है। शासी निकाय से तात्पर्य परिषद के शासी निकाय से है। "अध्यक्ष" का तात्पर्य परिषद के चयनित या प्रतिष्ठित अध्यक्ष से है।

   "सदस्य सचिव" से तात्पर्य परिषद के सदस्य सचिव से है। "वित्तीय संसाधनों" से तात्पग्र ऐसी धनराशि से है, जो परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा।

   "माह" का तात्पर्य कलैंण्डर माह से है।

   "कार्यालय" से तात्पर्य अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण की सील से है, जो वर्तमान में प्रयोग की जा रही है।

   "राज्यपाल"से तात्पर्य राज्यपाल उत्तरांचल से है।

   "हथकरघा/हस्तशिल्प/छीपी उद्योग" का तात्पर्य बुनकर, दस्तकारी, शिल्प कला तथा छीपी इकाइयों से है। जैसा कि राज्य/भारत सरकार द्वारा समय–समय पर परिभाषित किया जाएगा।

   "शासन" से आशय उत्तरांचल शासन से है।

5. **सोसाइटी के सदस्य** राज्यपाल द्वारा समय–समय पर जैसे नामित किए जायेंगे।
6. **परिषद की संरचना** वर्तमान में परिषद की संरचना निम्नवत् होगीः–

I.	मा. लघु उद्योग, उद्यान एवं खादी मंत्री उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
II.	उपाध्यक्ष शासन द्वारा नामित	सदस्य
III.	सलाहाकार शासन द्वारा नामित	सदस्य
IV.	अपर सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल शासन	सदस्य
V.	प्रतिनिधि वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन (जो अपर सचिव स्तर से नीचे स्तर का न हो)	सदस्य
VI.	प्रतिनिधि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन	सदस्य

	(जो अपर सचिव स्तर से नीचे स्तर का न हो)	
VII.	प्रतिनिधि वन विभाग, उत्तरांचल शासन (जो अपर सचिव स्तर से नीचे स्तर का न हो)	सदस्य
VIII.	प्रतिनिधि कृषि विभाग	सदस्य
IX.	प्रतिनिधि पशु पालन विभाग	सदस्य
X.	प्रतिनिधि पर्यटन विभाग, उत्तरांचल शासन (जो अपर सचिव स्तर से नीचे स्तर का न हो)	सदस्य
XI.	कार्यकारी निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	सदस्य
XII.	शासन द्वारा नामित हथकरघा, हस्तशिल्प क्षेत्र के राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार प्राप्त शिल्पी अथवा इस क्षेत्र में जाने पहचाने विशेषज्ञ।	सदस्य
XIII.	कुमाऊँ/गढ़वाल विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक	सदस्य
XIV.	कुमाऊँ/गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम के महाप्रबन्धक	सदस्य
XV.	विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार, द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
XVI.	विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
XVII.	अपर निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल शासन	सदस्य
XVIII.	सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन	सदस्य सचिव

7. **परिषद के संरक्षक** प्रदेश के माननीय लघु उद्योग मंत्री जी परिषद के पदेन संरक्षक होंगे।

8. **परिषद के सदस्यों को अपना प्रतिनिधि नामित करने का अधिकार** परिषद के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार होगा कि वहयदि स्वयं बैठक में उपस्थित न हो सके तो अपने ही विभाग का कोई प्रतिनिधि नामित कर दें। इस प्रकार नामित प्रतिनिधि को बैठक में विचारार्थ विषय पर मत देने का अधिकार होगा।

9. **सदस्यों का रजिस्टर** परिषद सभी सदस्यों का एक रजिस्टर कार्यालय में रखेगा जिसमें उनके मनोनयन की तिथि, पते, व्यवसाय हस्ताक्षर एवं टेलीफोन नम्बर आदि अंकित होंगें।

10. **पते का परिवर्तन** प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व होगा कि यदि उसके पते में कोई परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना परिषद के सदस्य सचिव को दे, जिसका ज्ञापन सदस्य सचिव सभी के सूचनार्थ जारी कर दिया जाएगा। यदि कोई सदस्य अपने पते में परिवर्तन की सूचना परिषद के सदस्य सचिव को नहीं देता है, तो सदस्य पंजिका में उल्लिखित उसका पता ही सही माना जाएगा। प्रत्येक सदस्य पंजिका में हस्ताक्षर करेगा तथा पंजिका में हस्ताक्षर किए बगैर वह सदस्य के

अधिकारों, विशेषाधिकारों के प्रयोग का हकदार नहीं होगा।

11. **नये सदस्यों का नामांकन** — राज्यपाल के आदेश से ही परिषद में नवीन सदस्य नामित किया जा सकेगा।

12. **सदस्यों के नामांकन को समाप्त किया जाना** — (क) यदि कोई व्यक्ति किसी पद विशेष के धारण करने के कारण परिषद का सदस्य नियुक्त या नामित किया जाता है, तो उक्त पद से हटने या स्थानान्तरित हो जाने से उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जायेगी और इस रिक्ति को उसके प्रतिस्थानी द्वारा भरा जाएगा

(ख) मनोनीत सदस्य का कार्यकालः–

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, किन्तु शासन को यह अधिकार होगा कि वह इससे पूर्व भी उन्हें या उनमें से किसी को हटा सके। किसी हटाये गये सदस्य के स्थान पर नामित किए गए सदस्य का कार्यकाल हटाए गए पूर्व सदस्य की कार्यकाल की शेष अवधि तक होगा। यदि प्रथम कार्यकाल समाप्ति के पूर्व न हटा दिया गया हो तो नामित सदस्य को पुनः नामित किया जा सकेगा। मनोनीत सदस्य की सदस्यता का समापन निम्नलिखित किसी भी परिस्थिति का समापन निम्नलिखित किसी भी परिस्थिति में स्वतः हो जाएगाः–

सदस्यता की उस अवधि की समाप्ति के उपरान्त जब तक के लिए वह मनोनीत किया गया हो।

मृत्यु पर अथवा दिये गये त्याग–पत्र के स्वीकार कर लिये जाने, विक्षिप्तता, दिवालिया निर्णीत कर दिये जाने अथवा अनैतिक आचरण के अपराध मे सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से दण्डित होने पर। शासन किसी भी समय किसी एक अथवा अधिक सदस्यों (पदेन सदस्यों को छोड़कर) की सदस्यता एक अथवा अधिक बार में समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में हुई रिक्तियों में सदस्यो का नामांकन इस नियमावली के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

13. **सदस्यों द्वारा त्याग–पत्र दिया जाना** — यदि कोई मनोनीत सदस्य परिषद की सदस्यता से त्याग–पत्र देना चाहता है तो वह अपना त्याग–पत्र सदस्य सचिव के पास प्रेषित करेगा। जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

14. **किसी सदस्य की अनुपस्थिति का प्रभाव** — परिषद द्वारा लिए गए निर्णय किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण निष्प्रभावी नहीं माने जायेंगे। इसी प्रकार किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने की स्थिति में भी परिषद द्वारा लिया गया निर्णय निष्प्रभावी नहीं माना जाएगा। किंतु केवल वर्तमान कार्यरत सदस्यों की संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत की उपस्थिति परिषद द्वारा

लिए गए निर्णय को वैध मानने हेतु अनिवार्य होगी।

15. **सदस्यों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता**

परिषद के पदेन सदस्यों को परिषद द्वारा कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता देय नहीं होगा और इन पर होने वाले व्यय का वहन उनके संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता परिषद के तथा दैनिक भत्ता राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए अनुमन्य दर पर प्राधिकर द्वारा देय होगा।

16. **शासी निकाय**

राज्यपाल द्वारा नियम 7 में गठित परिषद ही शासी निकाय के रूप में कार्य करेगा। परिषद का शासी निकाय ही आम समिति के रूप में आगे अंकित नियमों के अधीन कार्य करेगा। जो नियम आगे आने वाली धाराओं में अंकित किये गये हैं वे ही परिषद के कार्यकलाप के संचालन हेतु नियमों के रूप में प्रयोग किए जायेंगेः–

(अ) शासी निकाय में परिषद जैसे कि नियम संख्या–7 में अंकित है के सभी सदस्य भाग लेंगे।

(ब) शासी निकाय अपना कार्य सामानय रूप से करतारहेगा, भले ही किसी सदस्य के या उसके कार्यालय केद्वारा उत्पन्न किये गये किसी कारण से वह सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सका हो। ऐसे सदस्य की अनुपस्थिति में शासी निकाय द्वारा लिया गया निर्णय अवैध नहीं माना जायेगा। यही नियम सदस्य सूची में कोई स्थान रिक्त होने की स्थिति में भी लागू माना जाएगा।

17. **शासी निकाय के अधिकार**

जब तक अन्यथा कुछ निर्णीत नहीं किया जाता, परिषद के समस्त अधिकार शासी निकाय में निहित होंगे, जिसका क्रिर्यान्वयन सामान्य बैठक के माध्यम से निर्णय लेते हुए किया जाएगा। समस्त दायित्व अधिकार कार्यकलापों का क्रिर्यान्वयन परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासी निकाय के पास पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेंगे, बशर्ते कि इनमें कोई परिवर्तन उत्तरांचल शासनद्वारा नहीं किया जाता।

18. **शासी निकाय के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य**

(क) नई उपविधियों को बनाना, समाप्त करना एवं संशोधित करना, परन्तु उक्त सेशोधन/नये प्रस्ताव सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के प्राविधानों के अंतर्गत होंगे।

(ख) सदस्य सचिव द्वारा शासी निकाय के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक तथा इससे संबंधित प्राविधानों को प्राप्त करना।

(ग) विभिन्न श्रोतों से केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा उनके उपक्रमों, उद्यमियों या उनके संगठन से प्राधिकरण की उप–विधियों के अंतर्गत दान–अनुदान याऋण प्राप्त करना अथवा अथवा उपयुक्त शर्तो पर अनुदान देना।

(घ) परिषद के लिये नियम तैयार करने के कार्य को छोड़कर अन्य अधिकार शासी निकाय के अध्यक्ष व सदस्य सचिव, अथवा अन्य किसी सदस्य को प्रतिनिधित्व करना।

(च) परिषद हेतु चल एवं अचल संपतियों का क्रय करना यदि ऐसा करना परिषद के लिए उपयोगी व आवश्यक हो।

(छ) प्रदेश के विभिनन हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों की विपणन (मार्केटिंग) व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु मार्केटिंग कम्पनियों में भागीदारी करना।

(ज) प्रदेश के हथकरघा व हस्तशिल्प व्यापार को बढ़ाने हेतु उत्पादों की गुणवत्ता एवं डिजाइन के सुधार एवं विकास हेतु इन्पुट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आदि के सभी आवश्यक प्रबन्ध करना।

19. **परिषद के धन का प्रयोग** — परिषद के पास ऐसी उपलब्ध धनराशि जिसका प्रयोग तुरन्त नहीं होता है, का परिषद के लिये किसी लाभप्रद कार्य में पूँजीनिवेश (इन्वेस्टमेंट) करना तथा समय–समय पर निवेश की गई पूँजी व उससे हुई आय वसूल करना तथा इससे संबंधित समस्त कार्य संपादित करना।

20. **एर्टोनी की नियुक्ति** — परिषद के कार्यकलापों के प्रभावी प्रबन्ध हेतु यदि शासी निकाय उचित व आवश्यक समझे, समय–समय पर एर्टोनी की नियुक्ति करेगा एवं इससे संबंधित शर्तो का निर्धारण करेगा।

21. **धन प्राप्त करना** — परिषद के कार्यों हेतु विभिन्न श्रोतों से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त करना एवं इसके विरूद्ध जमानत देना तथा यथा प्रयोजन इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना।

22. **शासी निकाय के साधारण अधिकार** — परिषद के कार्यकलाप, कारोबार का संचालन और प्रबंध शासी निकाय द्वारा होगा, जैसा अधिनियम और नियम तथा उपविधियों के अंतर्गत ऐसे सभी समझौते करना ऐसी सभी व्यवस्था करना, ऐसी सभी कार्यवाहियां करना तथा ऐसे सारे कार्य करने का अधिकार और उन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होगा, जो परिषद के कार्यों का उचित प्रबंध करें तथा जिन उद्देश्यों से परिषद की स्थापना हुई है, उनकी पूर्ति एवं परिषद के हित साधन एवं उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक एवं उचित हो।

23. **शासी निकाय की सामान्य बैठक** — शासी निकाय प्रति तीन माह में कम से कम एक बैठक आवश्य करेगा तथा परिषद की प्रगति, कार्य–कलाप की समीक्षा करेगा और नये कार्यक्रम पर विचार करेगा। गण–पूर्ति (कोरम) कुल वर्तमान सदस्यों की 50 प्रतिशत उपस्थिति बैठक की गण–पूर्ति होगी, यदि किसी कारण से गण–पूर्ति नहीं होती, तो सदस्य सचिव द्वारा तुरन्त नवीन बैठक आमंत्रित की जाएगी।

24. **बैठक की अध्यक्षता** — प्रत्येक बैठक का सभापतित्व अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा तथा उन्हीं के द्वारा बैठक संचालित की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित अधिकारी बैठक का सभापतित्व एवं संचालन करेगा एवं यदि अध्यक्ष द्वारा किसी अधिकारी का इस प्रयोजन से नामांकन नहीं किया गया है, तो उपस्थित सदस्यों द्वारा यदि कोरम पूरा है, तो केवल उसी बैठक हेतु अध्यक्षता किये जाने के लिये उपस्थित सदस्यों में से किसी सदस्य का चयन कर लिया जायेगा।

25. **बैठक की सूचना** — शासी निकाय की बैठक की सूचना सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा सदस्य पंजिका में उल्लिखित उनके पते पर कर देनी होगी। अति आवश्यक मामले में अध्यक्ष को यह सीमा घटाने का अधिकार होगा।

26. **प्रस्ताव एवं मतदान** — किसी भी सदस्य द्वारा 15 दिन पूर्व लिखित सूचना (नोटिस) सदस्य सचिव को देने के पश्चात अथवा बैठक के अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात बैठक के विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, किंतु किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

27. **बैठक आयोजित किये जाने बिना प्रस्ताव को पारित करना** — यदि किसी समय शासी निकाय की बैठक न हो रही तो किसी संकल्प अथवा प्रस्ताव, जिसे शीघ्र पारित करना आवश्यक हो, को लिखित रूप से सदस्यों के मध्यक्रम में परिचालन से संकल्प अथवा प्रस्ताव के पक्ष में उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने से पारित किया जा सकेगा। इस हेतु कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षर करने मात्र से उक्त संकल्प अथवा प्रस्ताव पारित माना जायेगा।

28. **वार्षिक आम सभा** — प्रत्येक वर्ष एवं किसी भी परिस्थिति में 15 महीने के अंदर परिषद की आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें परिषद के लेखा–जोखा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। आम सभा की गण–पूर्ति एवं अन्य कार्यवाहियॉ शासी निकाय को संबंधित बैठक के अनुसार ही रखी जायेगी।

29. **परिषद के मुख्य कार्य**

I. परिषद का कार्य उपरोक्त सभी कार्यक्रमों का संचालन, प्रगति व स्थानीय शिल्पियों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करना रहेगा तथा समय–समय पर इसकी जॉच व प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा स्थानीय शिल्पियों को ऋण व बाजार व्यवस्था हेतु यथोचित सहयोग दिया जायेगा।

II. परिषद के कार्यकलापों के सहायतार्थ विभिन्न संस्थाओं, शासन से प्रतिभूतियों, ग्रांट्स, चंदा आदि नकद या अन्य

रूपों में यथा चल या अचल सम्पत्ति आदि से सहायता प्राप्त करना।

III. अन्य कोई कार्यकलाप या व्यापार करना, जो परिषद के उद्देश्यों के अनुरूप तथा हथकरघा व हस्तशिल्प इकाइयों के हित में हो।

IV. शासन के अनुमोदन तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के प्राविधानों के अधीन परिषद की सम्पत्ति हस्तान्तरण या विक्रय करना।

V. किसी ट्रस्ट/संस्था/सरकारी विभाग के उद्देश्य यदि परिषद के उद्देश्यों के समान ही हैं, तो उनके प्रबन्ध का अधिकार परिषद को प्रदान करना अथवा उनके साथ नियमानुसार सामन्जस्य स्थापित कर योजना का क्रियान्वयन करना। इसका अनुमोदन विधिसम्मत उस संस्था/ट्रस्ट/सरकारी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान करने के उपरान्त होगा।

VI. परिषद की निधियों, पूंजी तथा सम्पत्ति को उचित ढंग से प्रयोग करना, जिसके अंतर्गत ऐसे काम एवं बातें भी आयेंगी, जो उपरोक्त एक या अन्य उद्देश्यों के पूर्ति में सहायक हों तथा अन्य कार्य करना, जो परिषद के विकास में सहायक हों।

VII. राज्य/केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले अनुमोदन व सुविधाएं संस्था व स्थानीय शिल्पियों को उपलब्ध कराना, जिससे वे अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे।

VIII. शिल्पियों को मॉग के अनुरूप मशीनरी व औजार उपलब्ध कराना तथा उनकी जानकारी देना।

IX. सभी प्रकार के फण्ड व व्यय को समय–समय पर शासी निकाय के सम्मुख रखना तथा फण्ड व व्यय पर सफल नियंत्रण की व्यवस्था करना तथा सोसाइटी को अपनी सभी प्रकार की अस्तियों पर पूर्ण नियंत्रण तथा उसको लीज में देना अथवा बिक्री करने का पूर्ण अधिकारी शासी निकाय का होगा।

X. ग्राम्य विकास अधिकारी/बी0डी0ओ0 से समन्वय स्थापित कर स्वर्ण जयन्ती ग्राम/एस0एच0जी0 ग्रुप को प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।

XI. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय, जो शासी निकालय द्वारा परिषद के हित में उचित समझें, लागू करना।

30. **परिषद के उद्देश्य**

I. उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य हथकरघा, हस्तशिल्प एवं छीपी

II. परिषद द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थानीय हस्तशिल्पियों की पहचान कर उनके उत्पादन और मार्केटिंग आदि क्षेत्रों में उनको समुचित सहायता एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा। उदाहरणार्थ–प्रदेश के सीमांत व अन्य क्षेत्रों में कालीन बुनने के कार्य के क्षेत्र में निर्माण और मार्केटिंग सहायता सुनिश्चित की जायेगी, जिससे उत्तरांचल में निर्मित कालीन विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के स्तर के हो सकें।

III. उत्तरांचल में हथकरघा एवं हस्तशिल्प की प्राचीन धरोहर, उपलब्ध शिल्प के संरक्षण, प्रवर्द्धन एवं प्रदर्शन हेतु एक संग्रहालय की स्थापना।

IV. क्षेत्र के हस्तशिल्प/हथकरघा/काष्ठकला छीपी व अन्य शिल्प उद्योगों का चयन व उनकी कठिनाईयों का निवारण करना तथा एक माडल प्लान का निर्माण करना, जिसमें उत्पादन/पूंजी विनियोजन व बिक्री संबंधी कार्यकलापों से स्थानीय शिल्पियों का विकास हो तथा जिससे स्थानीय बेरोजगारी दूर करने के संसाधनों की वृद्धि हो, जिससे स्थानीय शिल्प कलाओं को बढ़ावा मिलने का अवसर उपलब्ध हो।

V. शिल्प क्षेत्र में परम्परागत आर्ट को बढ़ाने के साथ–साथ उनके आधुनिकीकरण करने व समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा बुनाइ फिनिसिंग एवं डिजाइनिंग पर कम्प्यूटर डिजाइनिंग की प्रशिक्षण व्यवस्था करना। उद्योग विभाग के ऊन विकास योजना, कालीन बुनाई योजना, नर्मदा निर्माण योजना, शॉल बुनाई, सिलाई–कढ़ाई योजना, काष्ठकला आदि योजनाओं का पुनर्गठन का कार्य करना तथा कार्डिंग प्लांटों को लाभकारी स्थिति में लाना।

VI. योजनाओं हेतु कच्चामाल, ऊनी तागा की व्यवस्था करना तथा स्थानीय बुनकरों/शिल्पियों को यथानुसार उत्पादन कार्य हेतु तागा उपलब्ध कराना एवं उत्पादित माल की बिक्री की व्यवस्था करना एवं नर्मदा शिल्प के ऊपर वर्णित डिजाइनों की व्यवस्था करना।

VII. स्थानीय भेड़ पालकों से ऊन क्रय करना तथा उसे कार्डिंग कर नीटिंग यार्न तैयार करना

VIII. काष्ठकला से संबंधित नई तकनीकी यथा सहारनपुर पैटर्न

पर उड कार्विंग की व्यवस्था करना तथा काष्ठ शिल्प को आधुनिक तकनीक देकर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देना, ताम्र शिल्प से संबंधित उद्योग को बढ़ाना तथा इसे मुरादाबाद पैटर्न के अनुरूप आधुनिकीकरण कर स्थानीय बेरोजगारी को दूर कर शिल्प कला को बढ़ावा देना तथा सिलाई/बुनाई उद्योगों का ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप प्रशिक्षण व उत्पादन संबंधी कार्य करना।

IX. प्रदेश व देश क विभिन्न व्यापार मेलों में भाग लेना तथा हथकरघा व हस्तशिल्प विकास के लिये शिल्पियों द्वारा उत्पादित किये जा रहे उत्पादन क विपणन को बढ़ाने के लिए देश व विदेश में व्यापार मेलों की व्यवस्था करना तथा उत्तरांचल के मेलों का देश/विदेश में प्रचार प्रसार करना तथा शिल्पियों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए देश/विदेश के उद्यमियों को मेले में आमंत्रित करना।

X. हथकरघा, हस्तशिल्पियों व छीपियों द्वारा उत्पादित/तैयार किये गये पारम्परिक उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु बाजारों का सर्वेक्षण करना तथा निर्यात हेतु उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये समुचित जानकारी, प्रशिक्षण/बाजार ज्ञान कराना।

XI. प्रदेश के सीमांत जिलों में रहने वाले जनजातियों की विलुप्त होते परम्परागत व्यवसाय को पुर्नजीवित करने हेतु प्राचीनतम वस्त्र, आभूषणों के संकलन एवं संवर्द्धन का कार्य।

XII. हथकरघा, हस्तशिल्प एवं छीपी बुनकरों की इकाइयों की विभिनन जनपदों में उत्पाद/मॉग क अनुरूप श्रेणीबद्ध करना तथा पंजीकृत करना, जिससे उत्पाद की संख्या के अनुसार विभिनन मेलों/बाजार में उनका प्रतिनिधित्व किया जा सके।

XIII. परिषद क उद्देश्य की पूर्ति हेतु चल, सेविंग,मियादी जमा तथा अन्य लेखों द्वारा धन प्राप्त करना और समय–समय पर सीमा एवं शर्तों, जिन्हें शासी निकाय उचित समझे के अधीन प्राप्त करना।

XIV. परिषद के उद्देश्यों के अनुरूप पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र, परामर्श कक्ष की स्थापना करना, जिसके द्वारा प्रदेश के उद्यमियों को अपने उत्पाद को स्थानीय, प्रदेश व देश के उद्यमियों में निर्यात करने या उनके बाजार बढ़ाने में

सहायता प्राप्त हो।

XV. आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय केंद्रों का जनपद/ तहसील स्तर पर स्थापना करना, जिसका मुख्य उद्देश्य हथकरघा, हस्तशिल्प व छीपियों के कार्यों को क्षेत्रानुसार, परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपयोगी बनाया जाना होगा।

XVI. परिषद यदि आवश्यक समझती है, कि किसी अंतराष्ट्रीय संस्था, जिसका उद्देश्य परिषद के समान हो, का सदस्य बनना है, तो सदस्यता हेतु शुल्क का भुगतान करना।

XVII. परिषद के लिए नियम तैयार करना, संशोधित करना या समय पर आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन करना।

XVIII. परिषद के कार्यों के संचालन के लिये जमानत या बगैर जमानत पत्र के हुण्डी या अन्य विनियम पत्रों का लिखना, स्वीकार या पृष्ठांकन करना या अन्य प्रकार से उसे प्रयोग कर प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनियमन करना।

XIX. कानूनी दृष्टिकोण से परिषद के हितों की रक्षा हेतु वह कार्य करना, जो परिषद के उद्देश्य से संबंधित हो।

XX. उत्तरांचल शासन के निर्देशों पर उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति तथा अन्य कार्यक्रमों को सम्मिलित करना।

31. **लेखा पुस्तिका व रजिस्टर** शासी निकाय परिषद का समस्त लेखा–जोखा ढंग से रखने का प्रबन्ध करेगा, जिससे परिषद का वास्तविक वार्षिक लेखा परिक्षण कराने के लिए समय–समय पर तैयार रहे तथा सभी लेखा–जोखा नियमानुसार ऐसे रजिस्टरों में इस ढंग से रखा जाये, कि जिस ढंग से शासी निकाय आदेश दें। बिना शासन के अनुमोदन के शासी निकाय किसी अभिलेख या पुस्तिका की छटनी नहीं करेगा।

32. **परिषद के वित्तीय संसाधन** परिषद की चल पूँजी निम्नलिखित स्रोतों से गठित की जाएगीः–

(अ) राज्य/केंद्र सरकार से अनुदान/दान।

(ब) रक्षित निधियॉ या अन्य निधि।

(स) राज्य सरकार से प्राप्त एकमुश्त धनराशि के में रिवाल्विंग फण्ड के रूप में जो विभिन्न स्थानों से परिषद के कार्यों, उत्पादन, बाजार, विपणन, मेला प्रदर्शन आदि के लिये उपयोग में लाया जायेगा।

(द) किसी अन्य स्रोत से यथा विधि प्राप्त धन।

(य) विभिन्न स्रोतों से परिषद को जो आय होगी, उसका सदुपयोग शासी निकाय केवल परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करेगा।

(र) शासन की पूर्वानुमति से परिषद का बैंकिग का कार्य एक या अधिक अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से संपादित होगा। बैंक का नाम शसी निकाय द्वारा तय किया जाएगा तथा उसमें परिषद की समस्त पूँजी रखी जायेगी। किसी एक समय में अध्यक्ष को किसी भी सीमा तक हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। सदस्य सचिव, एक समय में रू. 1,00,000 तक का चैक हस्ताक्षर करने को सक्षम होंगे, जिसमें अध्यक्ष का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। विशेष परिस्थितियों में सचिव अनुमोदन की प्रत्याशा में कि वे स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर लेंगे, इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

33. **सदस्य सचिव के कर्तव्य**

(अ) वार्षिक आम बैठक में सदस्य सचिव द्वारा परिषद के लाभ का लेखा–जोखा सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत करना। यह बैठक किसी भी परिस्थिति में छः माह से अधिक हेतु स्थगित नहीं की जायेगी।

(ब) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा और बैठक के अध्यक्ष द्वारा उसका अनुमोदन किया जायेगा। अनुमोदित कार्यवृत्त अगली बैठक में पढ़कर सुनाया जायेगा।

(स) सदस्य सचिव ऐसे सभी कार्य करेगा, जो उसे शासी निकाय द्वारा सौंपा जायेगा।

34. **बैलेंस शीट** बैलेंस शीट शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही तैयार की जायेगी।

35. **वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन** प्रत्येक वर्ष परिषद द्वारा वार्षिक लेखा एवं कार्यकलापों का प्रकाशन एक पुस्तिका द्वारा किया जायेगा, जिसकी प्रतियॉ सदस्यों एवं परिषद के कार्यकलापों में भाग लेने वाली इकाई, सदस्यों एवं व्यक्तियों को अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी। प्रतिवेदन तथा संपरीक्षित लेखा खाते वार्षिक आम सभा में रखे जायेंगे।

36. **लेखा का संप्रेक्षण**

(अ) परिषद के लेखों की बैलेंस शीट शासी निकाय की पूर्व लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये गये मान्यता प्राप्त आडिटर से की जायेगी **'मान्यता प्राप्त आडिटर'** से तात्पर्य किसी ऐसे चार्टड एकाउण्टैन्ट से है, जो चार्टड एकाउण्टैन्ट एक्ट 1949 के अनुसार अर्ह हो।

(ब) परिषद के लेखों की संपरीक्षा प्रत्येक वर्ष स्थानीय निधि परीक्षा विभाग द्वारा ही करायी जायेगी।

(स) परिषद में उपलब्ध परीक्षित लेखों को दोबारा आडिट कराने का भारत सरकार के आडिटर एवं कम्पट्रोलर एवं आडिटर जनरल के अधीन सुरक्षित रहेंगे।

(द) परिषद के लेखों की बैलेन्स शीट तैयार करने के संबंध में मानयता प्राप्त आडिटर के अधिकार, दायित्व तथा उनको देय धनराशि का निर्धारण व भुगतान शासी निकाय द्वारा किया जायेगा।

37. अध्यक्ष द्वारा नियुक्त चार्टड एकाउण्टैन्ट को परिषद की आम सभा में सम्मिलित होने और मत देने की अनुमन्यता होगी।

38. चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा तैयार की गयी बैलेन्स शीट एवं स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा गया प्रतिवेदन परिषद की आम सभा में पढ़ा जायेगा और सदस्यों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा।

39. वार्षिक रिटर्न बनाये जाने के संबंध में परिषद अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन करेगा।

40. वार्षिक आम सभा के 30 दिन के अन्दर रजिस्ट्रार, सोसाइटी उत्तरांचल के समक्ष निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जायेंगेः–

1. परिषद के पद धारकों के नाम, पते तथा व्यवसाय।
2. गतवर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन।
3. बैलेनस शीट तथा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित एक प्रति।
4. उपयुक्त अभिलेख तथा वार्षिक प्रतिवेदन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव द्वारा सत्यापित किये जायेंगे।

41. **परिषद के पंजीकृत कार्यालय में निम्न लिखित से संबंधित लेखा वाहियॉ रखी जायेंगी**

(अ) परिषद को प्राप्त धन और उसक स्रोतों का विवरण, व्यय के आंकड़े तथा व्यय किये धन का उद्देश्य व लक्ष्य।

(ब) समिति की परिसंपत्तियों तथा दायित्वों और

(स) समिति द्वारा किया गया क्रय विक्रय उन्हीं पंजीकाओं में रखा जायेगा, जो परिषद को सही एवं निष्पक्ष जानकारी देने और इसक कार्यकलापों को स्पष्ट करने हेतु आवश्यक हो। उक्त सभी पंजिकाएं परिषद की कार्यविधि में सदस्यों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी।

42. **रजिस्टरों का रख–रखाव व निरीक्षण** परिषद अपने कार्यालय में निम्न रजिस्टरों का रख–रखाव अधिनियम के प्राविधानों के तहत करेगाः–

1. जनरल

2. लेजर

3. बजट अनुमान
4. कैशबुक
5. चैक निगर्मन रजिस्टर
6. प्राप्ति बुक रजिस्टर
7. चैक बुक रजिस्टर
8. एक्यूटेन्स रजिस्टर
9. स्थायी देयों का रजिस्टर
10. पेटी कैशबुक
11. रिक्यूपमेंट रजिस्टर
12. लोन रजिस्टर
13. सब्सिडी रजिस्टर (अनुदान पंजिका)
14. स्टॉक रजिस्टर
15. शासकीय दान/अनुदान रजिस्टर
16. उपभोग योग्य वस्तुओं का रजिस्टर
17. अचल संपत्ति का रजिस्टर
18. अग्रिम धनराशि देय दजिस्टर
19. अन्य कोई रजिस्टर जो आवश्यक हो।

43. **उप विधियों का अर्थ**

यदि इस नियमावली के किसी नियम के अर्थ के संबंध में कोई मतभेद हो, तो शासी निकाय ऐसे मामले को अध्यक्ष के पास भेजेगा और इस संबंध में अध्यक्ष का निर्ण अन्तिम होगा।

44. **राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषद अधिनियम के अधीन**

(क) यदि शासी निकाय ऐसे परिवर्तन/विस्तार लिखित रूप में अथवा मुद्रित आख्या के रूप में परिषद के सदस्यों को प्रेषित करें।

(ख) यदि परिषद उक्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए इस नियमावली के अनुसार परिषद के सदस्यों की एक विशेष सामान्य बैठक आहूत करें।

(ग) यदि ऐसी आख्या, परिषद के हर सदस्य का ऐसी विशेष सामान्य बैठक से 14 दिन पहले उपलब्ध करा दी जाय अथवा डॉक से भेज दी जाय।

(घ) यदि ऐसी विशेष सामान्य बैठक में इस प्रकार के प्रस्ताव पर मतदान द्वारा परिषद के तीन पंचमांश सदस्यों की सहमति हो जाय।

(ड़) यदि उक्त बैठक के बाद एक महिने के अन्तर पर पषिद द्वारा बुलाई गई दूसरी विशेष बैठक में उपस्थित परिषद के सदस्यों के तीन पंचमांश द्वारा मतदान के माध्यम से ऐसे प्रस्ताव की पुष्टि कर दी जाए।

45. **नियमावली में संशोधन** परिषद की नियमावली में संशोधन इस उद्देश्य से विधिवत् बुलाई परिषद की विशेष बैठक में उपस्थित परिषद के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लिया जा सकता है। परिवर्तित नियम सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 के अधीन निहित प्राविधानों के अनुसार प्रभावी मानी जाएगी।

46. अधिनियम के अंतर्गत गठित सामान्य उद्देश्यों वाले किसी अन्य परिषद/विभाग की किसी कारण से अथवा विघटन से या समाप्त होने की स्थिति में परिषद इसके लिए सक्षम व अधिकृत होगा कि इस प्रकार विघटित, समाप्त अथवा जैसी भी स्थिति हो, तो उसकी सम्पत्ति, द्रव्य, प्रतिभूतियों इत्यादि अथवा दूसरे और सोसाइटी के दावों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करें तथा दयताओं को भी यदि कोई हो राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अधीन, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से ऐसी शर्तों पर स्वीकार कर सकता है। जिसे शासी निकाय वर्तमान परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझें।

47. अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत परिषद के समाप्त होने पर ऋण और देयताओं को भुगतान करने के बाद, यदि कोई सम्पत्ति अथवा देयताऐं बच जाती हैं, तो उनका न तो किसी को भुगतान किया जायेगा और न परिषद के सदस्यों के बीच अथवा उनमें से किसी को भुगतान किया जाएगा और परिषद के सदस्यों के बीच अथवा उनमें से किसी को वितरित किया जाएगा, बल्कि उसको ऐसी प्रक्रिया के अनुरूप व्यवहृत किया जायेगा, जिसे अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करे।

48. परिषद के अध्यक्ष, सदस्य सविच, अधिकारी, सम्प्रक्षक, कर्मचारियों की समिति के सदस्य, मैनेजर, एजेण्ट, लेखाकार लिपिक अथवा अन्य कर्मचारी परिषद के बाहर के लोगों के साथ होने वाले समस्त लेन–देन में गोपनीयता बनाए रखेंगे और किसी भी मामले को जो कार्य सम्पादन के दौरान संज्ञान में आये, प्रकट नहीं करेंगे सिवाय उस दशा में, अध्यक्ष, सदस्य सचिव, द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो अथवा किसी मीटिंग में अथवा किसी न्यायालय अथवा किसी सम्बद्ध द्वारा इस नियमावली के प्राविधानों के अनुपालन में ऐसा किया जाना आवश्यक न हो।

49. अधिनियम अथवा इस नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सदस्यों, अध्यक्ष, सदस्य सचिव, लेखाकार, कैशियर को परिषद के व्यय पर ऐसी सभी देयताओं के विरूद्ध प्रतिरक्षित किया जाएगा जिनका सृजन ऐसे सदस्य, अध्यक्ष, सदस्य सचिव, लेखाकार, कैशियर या अधिकारी के रूप में किसी भी सिविल अथवा आपराधिक कार्यवाही में अपने कर्तव्यों का वहन करने में हुआ हो।

50. **आर्बिट्रेशन** तत्समय प्रचलित किसी विधि के किसी बात के हल हेतु भी परिषद के विधान, प्रबन्धक अथवा कार्य के संबंध में परिषद के कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न कोई विवाद होने की स्थिति में विवाद न्याय सचिव, उत्तरांचल अथवा उनके द्वारा नामित न्यायिक अधिकारी, जो अपर सचिव स निम्न स्तर का न हो, आर्बिट्रेशन का अधिकारी होगा और वह आर्बिट्रेशन एण्ड काउन्सिलेशन एक्ट–1996 के अधीन होगा। आर्बिट्रेशन द्वारा संदर्भित विवाद में कारणों सहित एवार्ड होगा।

51. **परिषद का मोनोग्राम** परिषद का अपना मोनोग्राम होगा, जिस पर उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, देहरादून अंकित होगा। वही मोनोग्राम भविष्य में व्यवहार में लाया जायेगा।

52. **विलेखों का निष्पादन** परिषद से संबंधित सभी संविधाओं तथा विलेख/सलेख परिषद के नाम से किए जायेंगे तथा परिषद की ओर से उनका निष्पादन सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा।

53. **वाद एवं कार्यवाहियाँ** परिषद, सदस्य सचिव के माध्यम से अपने विरूद्ध दायर वादों/कार्यवाहियों में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा तथा परिषद की ओर से दायर किये जाने वाले वाद/कार्यवाहियॉ परिषद के सदस्य सचिव की ओर से दायर किये जायेंगे।

54. **परिषद के सदस्यों एवं परिषद के मध्य संविदा पर रोक** परिषद को किसी वस्तु या माल की आपूर्ति, बिक्री या प्राधिकार से किसी वस्तु या माल के क्रय के लिए कोई संविदा परिषद की ओर से एवं उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति, जो परिषद या उसकी शासी निकाय समिति का सदस्य हो या ऐसे सदस्य का संबंधी हो या ऐसे फर्म जिसमें ऐसा सदस्य या उसका संबंधित भागीदार या अंशधारक हो या किसी ऐसी संस्था, प्राईवेट कंपनी या फर्म के भागीदार या अंशधारक, जिसमें ऐसे सदस्य भागीदार या निदेशक हों, से नहीं की जाएगी।

55. **परिषद की विशेषताएं, कार्य संचालन**

(क) परिषद का संचालन निदेशक, उद्योग कार्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर जनपदीय कार्यालयों से कराया जायेगा।

(ख) क्षेत्रीय स्तर पर उद्योग विभाग की भूमि/भवन व मशीनरी का उपयोग परिषद के उद्देश्य पूर्ति/कार्य संचालन के लिए किया जाएगा। उद्योग विभाग की भूमि, भवन व मशीनरी को परिषद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अन्य को बगैर शासन की अनुमति के हस्तान्तरण का अधिकार नहीं होगा।

(ग) क्षेत्रीय स्तर पर उद्योग/हथकरघा से संबंधित केंद्रों के कर्मचारी कार्य संचालन के लिए परिषद के दायित्वाधीन रहेंगे, परन्तु उनकी सेवा शर्ते पूर्ववत रहेंगी। भविष्य में आवश्यकतानुसार कार्य संचालन के लिए शासन की अनुमति से पदों का सृजन कर यथानुरूप व्यवस्था की जायेगी।

(घ) शासन स्तर से परिषद को एक करोड़ का रिवाल्विंग फण्ड दिया जाएगा, जिसके द्वारा संस्था के कार्यकलापों को बढ़ाने व स्वरोजगार व शिल्पियों का उत्थान मुख्य उद्देश्य होगा। रिवाल्विंग फण्ड के सही उपयोग का उत्तरदायित्व शासी निकाय का होगा।

56. **सामान्य**

(क) शासन समय–समय पर परिषद के ऐसे मामलों में, जिनमें राज्य की सुरक्षा निहित हों अथवा जो पर्याप्त सार्वजनिक हित के हों, उसके कृत्यों के प्रयोग एवं सम्पादन के संबंध में निर्देश दे सकता है, जिन्हें परिषद के कार्य संचालन और वित्तिय मामलों के संबंध में शासन आवश्यक समझें और इसी प्रकार किसी निर्देश/निर्देशों को परिवर्तित अथवा विखण्डित कर सकता है। परिषद इस प्रकार जारी किये गए निर्देश/निर्देशों को तात्कालिक प्रभाव से कार्यान्वित करायेगा तथा परिषद की शासी निकाय का कोरम पॉच सदस्यों पर पूर्ण माना जाएगा।

(ख) शासन परिषद की सम्पत्ति और उसके कार्य–कलाप के संबंध में ऐसे विवरण, लेखों तथा आय सूचना की मॉग कर सकता है, जिसकी उसे समय–समय पर आवश्यकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल–9

अधिकारियों एवं कार्मिकों की निर्देशिका

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारियों के नाम	पदनाम	फोन नं.	
			कार्यालय	आवासीय/कान्टे.
1.	श्री. संजीव चौपड़ा	सचिव/निदेशक	2728227	9837044250
2.	श्री एस0सी0चन्दोला	अपर निदेशक उद्योग	2520604	9837361630
3.	श्री एस0सी0नौटियाल	संयुक्त निदेशक उद्योग	2728227	9412054548
4.	श्री एस0एस0रावत	उप निदेशक उद्योग	2728226	2722003
5.	श्री मनमोहन सिंह	सहायक निदेशक उद्योग	2728226	9412992765
6.	श्री वाई0पी0नौटियाल	सांख्यकीय सहायक	2728226	5532593
7.	श्री डी0सी0देवरानी	सांख्यकीय सहायक	2728226	9897107642
8.	श्री के0के0कोटनाला	प्रशासनिक अधिकारी	2728226	9358131939
9	श्री एच0आर0नौटियाल	सहायक प्रबंधक	2728226	9412947231
10.	श्री के0सी0त्रिपाठी	सहायक प्रबंधक	2728226	9358100507
11	श्री शैलेन्द्र डिमरी	सांख्यकीय सहायक	2728226	2669220
12.	श्री पी0एस0मेहता	प्रशासनिक अधिकारी	2728226	9837356397
13.	श्री एम0एस0नेगी	अन्वेषक	2728226	9412325538
14.	श्रीमती सावित्री नौटियाल	लेखाकार	2728226	6532953
15.	श्री एम0एस0पंवार	आशुलिपिक	2728226	2450709
16.	श्री अमित कुमार सिंह	आशुलिपिक	2728226	9411974586
17.	श्री सूर्यकान्त	आशुलिपिक	2728226	268475
18.	श्री चन्द्रमोहन	आशुलिपिक	2728226	9319734688
19.	श्री पी0एस0गुनसोला	प्रधान लिपिक	2728226	2670872
20.	श्री डी0पी0पुरोहित	अन्वेषक	2728226	2685961
21.	श्री राजेन्द्र प्रकाश आर्य	अन्वेषक	2728226	9837543407
22.	श्री ऐ0पी0रतूडी	प्रवर सहायक	2728226	
23.	श्री आर0एस0नेगी	प्रवर सहायक	2728226	241855
24.	श्री महाजन सिंह रावत	प्रवर सहायक	2728226	234430
25.	श्री प्रवीण सिंह पंचपाल	प्रवर सहायक	2728226	
26.	श्री विजय सिंह	प्रवर सहायक	2728226	2710867
27.	श्री राजेन्द्र प्रसाद थपलियाल	प्रवर सहायक	2728226	9412966251
28.	श्री जे0एम0 बहुगुणा	कनिष्ठ सहायक	2728226	9319715190
29.	श्री कैलाश चमोली	औ0पा0	2728226	9412956281

30.	श्री अरूण कुमार बमराडा	कनिष्ठ सहायक	2728226	9412952998
31.	श्री हरिचरण सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	2728226	9219827076
32.	श्री माधौ सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	2728226	9837359565
33.	श्रीमती हेमलता डोवाल	कनिष्ठ सहायक	2728226	2607967
34.	श्रीमती निर्मला जोशी	कनिष्ठ सहायक	2728226	2676365
35.	श्री सुखदेव सिंह रावत	अनुसेवक	2528226	9411711363
36.	श्री यशवीर सिंह	प्रा0 परिचर	2528226	9412933111
37.	श्री दलवीर सिंह	अनुसेवक	2728226	9412987530
38.	श्रीमती राजेन्द्र कौर	अनुसेवक	2728226	2723691
39.	श्री मोहन लाल मिस्त्री	अनुसेवक	2528226	9412939718
40.	श्री हरिसिंह	अनुसेवक	2528226	2521592
41.	श्री आनंद सिंह नेगी	अनुसेवक	2528226	2454719
42.	श्रीमती लक्ष्मी उनियाल	अनुसेवक	2528226	2722068
43.	श्री जगदीश प्रसाद	अनुसेवक	2528226	
44.	श्री गमाल सिंह	अनुसेवक	2528226	2822595
45.	श्री पूरनचन्द जोशी	अनुसेवक	2528226	2669824
46.	श्री लाखीराम	अनुसेवक	2528226	281259
47.	श्री दिगम्बर सिंह	चालक	2528226	9412355948
48.	श्री राजेश कुमार	चालक	2528226	233866
49.	श्री प्रदीप सिंह	अनुसेवक	2528226	

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल बिन्दु–10
प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धिक प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारियों के नाम	पदनाम	वेतनमान	कुल वेतन
1.	श्री. संजीव चौपड़ा	सचिव/निदेशक	सचिवालय से	–
2.	श्री एस0सी0चन्दोला	अपर निदेशक उद्योग	12000–16500	29,799
3.	श्री एस0सी0नौटियाल	संयुक्त निदेशक उद्योग	12000–16500	26,691
4.	श्री एस0एस0रावत	उप निदेशक उद्योग	10000–15200	19,532
5.	श्री मनमोहन सिंह	सहायक निदेशक उद्योग	8000–13500	19,195
6.	श्री वाई0पी0नौटियाल	सांख्यकीय सहायक	8000–13500	15,923
7.	श्री डी0सी0देवरानी	सांख्यकीय सहायक	8000–13500	15,923
8.	श्री के0के0कोटनाला	प्रशासनिक अधिकारी	5500–9000	10,657
9	श्री एच0आर0नौटियाल	सहायक प्रबंधक	8000–13500	18,731
10.	श्री के0सी0त्रिपाठी	सहायक प्रबंधक	8000–13500	
11	श्री शैलेन्द्र डिमरी	सांख्यकीय सहायक	8000–13500	2669220
12.	श्री पी0एस0मेहता	प्रशासनिक अधिकारी	5000–8000	12,056
13.	श्री एम0एस0नेगी	अन्वेषक	5000–8000	10,407
14.	श्रीमती सावित्री नौटियाल	लेखाकार	5000–8000	11,793
15.	श्री एम0एस0पंवार	आशुलिपिक	6500–10500	13,757
16.	श्री अमित कुमार सिंह	आशुलिपिक	4000–6000	5883
17.	श्री सूर्यकान्त	आशुलिपिक	4000–6000	5883
18.	श्री चन्द्रमोहन	आशुलिपिक	4000–6000	5883
19.	श्री पी0एस0गुनसोला	प्रधान लिपिक		
20.	श्री डी0पी0पुरोहित	अन्वेषक	5000–8000	9923
21.	श्री राजेन्द्र प्रकाश आर्य	अन्वेषक	5000–8000	9,670
22.	श्री ऐ0पी0रतूडी	प्रवर सहायक		
23.	श्री आर0एस0नेगी	प्रवर सहायक	4000–6000	9,319
24.	श्री महाजन सिंह रावत	प्रवर सहायक	4000–6000	9,495
25.	श्री प्रवीण सिंह पंचपाल	प्रवर सहायक	4000–6000	
26.	श्री विजय सिंह	प्रवर सहायक	4000–6000	7,891
27.	श्री राजेन्द्र प्रसाद थपलियाल	प्रवर सहायक	4000–6000	8,368
28.	श्री जे0एम0 बहुगुणा	कनिष्ठ सहायक	4000–6000	9,670
29.	श्री कैलाश चमोली	औ0पा0		

30.	श्री अरूण कुमार बमराडा	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	
31.	श्री हरिचरण सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	6,328
32.	श्री माधौ सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	6,388
33.	श्रीमती हेमलता डोवाल	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	6,328
34.	श्रीमती निर्मला जोशी	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	
35.	श्री सुखदेव सिंह रावत	अनुसेवक	2550–3200	6,900
36.	श्री यशवीर सिंह	प्रा0 परिचर	2650–4000	6,637
37.	श्री दलवीर सिंह	अनुसेवक	2750–4400	7,023
38.	श्रीमती राजेन्द्र कौर	अनुसेवक	2610–3540	6,585
39.	श्री मोहन लाल मिस्त्री	अनुसेवक	2750–4400	7,023
40.	श्री हरिसिंह	अनुसेवक	2610–3540	7,023
41.	श्री आनंद सिंह नेगी	अनुसेवक	2610–3540	
42.	श्रीमती लक्ष्मी उनियाल	अनुसेवक	2550–3200	6,216
43.	श्री जगदीश प्रसाद	अनुसेवक	2610–3540	7,088
44.	श्री गमाल सिंह	अनुसेवक	2610–3540	6,130
45.	श्री पूरनचन्द जोशी	अनुसेवक	2610–3540	6,585
46.	श्री लाखीराम	अनुसेवक	2750–4400	7,023
47.	श्री दिगम्बर सिंह	चालक	3050–4590	
48.	श्री राजेश कुमार	चालक	3050–4590	
49.	श्री प्रदीप सिंह	अनुसेवक	2550–3200	

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
मैनुअल–11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और संवितरणों पर रिर्पोटो की विशिष्टयॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट

बजट क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2005–06		वर्ष 2006–07		
		प्राविधान	कुल व्यय	परिव्यय (नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित / केंद्रांश के प्रस्तावित परिव्यय सहित)		प्राविधान
				राज्य परिव्यय	केंद्रांश परिव्यय	
1	2	3	4	5 (1)	5 (2)	6
	अनुदान सं. 23 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग					
0101	लघु उद्योगों की गणना	984	809	–	986	1000
0102	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	6000	6416	–	20000	8000
0104	पर्वतीय क्षेत्रों के लिए परिवहन सहायता	10000	–	–	500000	01
0105	केंद्रीय पूँजी उपादान					
0106	अरबन हाट की स्थापना	01	–	01	–	01
04	उद्यमकर्ता विकास योजना	3500	2244	6000	–	6000
05	व्यापार कर आस्थगन योजना	01	–	–	–	–
07	यू0पी0कारवाइड केमिकल लि. के दायित्वों का भुगतान	–	–	–	–	5222
24	औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन	5000	417	5000	–	5000
16	जिला उद्योग केंद्र का आधुनिकीकरण	2400	2400	13000	–	3000
17	लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान	20000	2492	20000	–	20000
19	राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विवरण परिषद को सहायता	2000	3000	4000	–	2400

20	उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना	10000	–	10000	10000	10000
21	कजस्टर विकास योजना	4500	–	5000	32000	5000
22	पी.एम.आर.वाई.प्लस योजना	12500	253	12500	–	12500
23	दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्य पूंजी उपादान	25000	961	25000	–	25000
24	औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधायें	20000	20000	20000	–	20000
25	कौशल विकास प्रशिक्षण (नई योजना)	–	–	20000	–	–
	योगः– 102	**121886**	**38992**	**140501**	**571000**	**123110**
103–हथकरघा उद्योग						
0101	दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन	8500	2500	2500	8000	10500
0102	आवास से सम्बद्ध कार्यशाला निर्माण	2500	–	–	–	–
0108	हथकरघा बुनकरों एवं छीपियों की कल्याणकारी योजनायें	3500	–	–	5000	5000
05	काशीपुर–जसपुर की रूग्ण कताई मिलों की पुर्नस्थापना एवं वी0आर0एस0	40000	40000	40000	–	65900
06	क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना	1000	1000	5000	–	1100
07	उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	12500	12500	20000	–	13200
08	श्री गांधी आश्रम चनौंधा, अल्मोड़ा को कार्डिंग प्लांट हेतु अनुदान	–	–	–	–	1000
9102	काशीपुर स्थित डिजाइन केंद्र का आधुनिकीकरण	200	200	–	–	–
9105	ऊनी कार्डिंग/वीविंग का सुद्ढ़ीकरण	500	500	–	–	–
	योगः– 103	**68700**	**58240**	**67500**	**130001**	**96700**
105–खादी ग्रामोद्योग						
03	खादी ग्रामोद्योग परिषद को सहायता	7500	7500	10000	–	10000
19	ऊन बैंक की स्थापना	1	–	–	–	–
9101	बैंक वित्त ब्याज उपादान स्वतः रोजगार योजना	5000	4011	5000	–	5000
	योगः– 105	**12501**	**11511**	**15000**	**–**	**15000**
800–अन्य व्यय						
03	खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट	17500	17500	20000	**–**	20000
04	औद्योगिक मेले–प्रदर्शनी,	29500	28000	39500	**–**	30000

	गोष्ठी–सेमीनार व प्रचार–प्रसार					
06	उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार योजना	600	600	600	–	600
	योगः– 800	**47600**	**46100**	**60100**	**–**	**50600**
	कुल योगः– 2851	**250687**	**154843**	**283101**	**584000**	**285410**
4851–ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 102–लघु उद्योग						
03	अवस्थान विकास निधि की स्थापना	1	–	–	–	–
04	उत्तरांचल अवस्थापना विकास कंपनी की स्थापना (इक्विटी)	–	–	–	–	–
05	ऊधमसिंह नगर में जिला उद्योग केंद्र के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण	4000	4000	4000	–	4000
06	समन्वित उद्योग निदेशालय हेतु भवन निर्माण	20000	20000	20000	–	22000
07	टूल रूम की स्थापना	10000	–	10000	90000	10000
	योगः– 4851	**34000**	**24000**	**74000**	**90000**	**36000**
4885–उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय						
04	निजी क्षेत्र में अवस्थापना विकास के लिए निधि का सृजन/आई0टी0 पार्क की स्थापना	01	–	200000	–	200000
05	नये औद्योगिक आस्थानों हेतु सिडकुल को सहायता	900000	900000	50000	–	50000
06	गोथ सेन्टर की स्थापना	100000	–	01	–	01
07	एकीकृत अवस्थापना केंद्रों की स्थापना	40000	–	01	90000	10
	योगः– 4885	**104000**	**1040000**	**250002**	**90000**	**250002**
	महायोगः– उद्योग अनुदान सं.–23	**1358788**	**1230749**	**607103**	**76400**	**581712**

अनुदान संख्या–30 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

वर्ष 2005–06				वर्ष 2006–07
	प्राविधान	व्यय	प्रस्तावित परिव्यय	प्राविधान
2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग				
102–लघु उद्योग				
02–अनुसूचित जाति के अधीन जिला योजना	800	468	800	800
0203–उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम				
103–हथकरघा उद्योग				
0204–उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता			5000	0
105–खादी ग्रामोद्योग				
0203–व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज				
उपादान	1000	800	1240	1240
योगः– अनु.सं.–30	**1800**	**1268**	**7040**	**2040**

अनुदान संख्या–31 ट्राईवल सब प्लान

	प्राविधान	व्यय	प्रस्तावित परिव्यय	प्राविधान
2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग				
102–लघु उद्योग				
02–अनुसूचित जाति के अधीन जिला योजना				
0203–उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	200	158	200	200
103–हथकरघा उद्योग				
0202–उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता			5000	0
0203–ऊनी कार्डिंग/वीविंग का सुद्ढ़ीकरण 105– खादी ग्रामोद्योग	–	–	1500	0
0203–व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान	200	200	260	260
0206–ऊन बैंक की स्थापना	4000	1814	5000	2200
0206–ऊन बैंक की स्थापना				
योगः– अनु.सं.–31	**4400**	**2172**	**11960**	**2660**

उद्योग निदेशालय एवं अधीनस्थ जिला उद्योग केंद्रों के लिए बजट अनुमान वर्ष 2006–07

अनुदान सं.– 23 (आयोजनेत्तर)
लेखाशीर्षक– 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
102–लघु उद्योग
03–अधिष्ठान व्यय

(धनराशि हजार रु. में)

मानक मद संख्या	स्वीकृत प्राविधान वर्ष 2005–06	व्यय वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07 हेतु प्रस्तावित बजट अनुमान
01–वेतन	31001	29456	34000
03–महँगाई भत्ता	9301	8457	14280
04–यात्रा व्यय	450	445	500
05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20	190	200
06–अन्य भत्ते	3411	3098	3740
07–मानदेय	75	75	75
08–कार्यालय व्यय	250	243	300
09–विद्युत व्यय	200	180	250
10–जलकर	100	68	50
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	200	200	250
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200	179	200
13–टेलीफोन व्यय	100	96	110
14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ/मोटर गाडियों का क्रय	3200	2463	1500
15–गाडियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	350	349	350
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	200	0	200
17–किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	100	97	150
18–प्रकाशन	50	10	50
19–विज्ञापन, बिक्री और विज्ञापन व्यय	60	59	60
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	1	0	1
21–छात्रवृत्तियॉ और छात्र वेतन	30	11	1
22–अतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता अदि	1	0	1
25–लघु निर्माण कार्य	500	500	500
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	100	47	150
27–चिकित्सा व्यय पूर्ति	1000	429	1000
29–अनुरक्षण	1	1	1
42–अन्य व्यय	100	95	200
45–अवकाश यात्रा व्यय	900	0	800
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर व्यय	300	299	300
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण संबंधी स्टेशनरी का क्रय	100	70	100
48–महंगाई वेतन	15501	13669	17000
योग :	**67982**	**60786**	**76319**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
मैनुअल–12
सहायिकों कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।
अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हों

ब्याज प्रोत्साहन सहायताः– योजना का क्रियान्वयन/अनुश्रवण जिला स्तर पर संबंधित जनपद के लिजा उद्योग केंद्र तथा राज्य स्तर पर निदेशक उद्योग द्वारा किया जाता है।

शासनादेश सं.–1040/औ.वि./ब्याज प्रोत्साहन सहायता–7/2004/69–उद्योग दिनांक 24 मई, 2004 द्वारा ब्याज प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति तथा उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिये जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति सक्षम है।

केन्द्रीय पूंजी निवेश राज्य सहायता योजनाः– शासनादेश सं. 177/औ.वि./उद्योग/03–04 दिनांक 29 फरवरी, 2004 द्वारा उपादान स्वीकृत करने हेतु राज्य/जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति को 1.50 लाख तक उपादान की धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार प्रतिनिधानित किया गया है तथ उससे अधिक उपादान की धनराशि के दावें संबंधित महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु संसतुति/सन्दर्भित करेंगे।

केन्द्रीय परिवहन उपादानः– शासनादेश सं. 132/औ.वि.–242–उद्योग/2002 दिनांक 25 फरवरी, 2003 द्वारा केन्द्र सरकार की परिवहन उपादान योजना के दावों की स्वीकृति के लिये पूर्व में गठित समितियों को अतिक्रमित करते हुए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रदेश में स्थित औद्योगिक आस्थानों में उद्यमियों को भूखण्ड आवंटन करने हेतु सचिव, औद्योगि विकास उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में शासनादेश सं.–1234/औ.वि.–1/69–उद्योग/2000 दिनांक 15 जनवरी, 2002 द्वारा समिति का गठन किया गया है।

फैसिलिटेशन काउन्सिलः– शासनादेश सं. 2221/औ.वि./182–उद्योग/2000 दिनांक 06 नवम्बर, 2001 द्वारा लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों के विलम्बित दावों से संबंधित विवादों के तुरन्त निराकरण हेतु प्रदेश में राज्य स्तर पर उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज फैसिलिटेशन काउन्सिल का गठन किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के उपयोग पर प्रोत्साहनः– वित्तीय प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पर्यावरण को अधिकाधिक सुरक्षित रखें जाने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थापित उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रक उपकरण स्थापित करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 1.00 लाख रुपये प्रति इकाई प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध करायी जायेगी।

पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन पर प्रोत्साहन सहायताः– योजना के अन्तर्गत पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में व्यय की गई धनराशि का 75 प्रतिशत अधिकतम 2.00 लाख की सीमा तक आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल जनपदों के पात्र उद्यमियों के आवेदन पत्र निदेशालय को संस्तुति सहित अग्रसारित करेंगे, जिन पर राज्य स्तर पर गठित समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

आई0एस0ओ0–9000/14000 प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायताः– योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी गुणवत्ता तथा पर्यावरण प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार हेतु प्रदेश में स्थापित कार्यरत उद्योगों को इनके द्वारा आई0एस0ओ0–9000/14000 प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने हेतु किये गये व्यय का 75 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 2.00 प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जायेगी। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र जनपद की पात्र औद्योगिक इकाइयों के आवेदन पत्र वांछित अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों सहित निदेशालय को परीक्षण उपरान्त अपनी संस्तुति के अग्रसारित करेंगे तथा इस हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा उन्हें स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन के अन्तर्गत सुविधायें

NO.1(10)/2001-NER
Government of India
MINISTRY OF COMMERCE&INDUSTRY
(Department Of Industrial Policy&Promotion)
New Delhi, dated 7th January, 2003

OFFICE MEMORANDUM

Subject: New Industrial Policy and other concessions for the State of Uttaranchal and the State of Himachal Pradesh.

The Hon'ble Prime Minister, during the visit to Uttaranchal from 29th to 31st Maarch, 2002, had inter-alia made an announcement that "Tax and Central Excise concessions to attract investments in the industrial sector will be worked out for the Special Category States including Uttaranchal. The industries eligible for such incentives will be environment friendly with potential for local employment generation and use of local resoures"

2. In pursuance of the above announcement, discussion on Strategy and Action Plan for develoment of Industries and generation of emploment in the States of Uttaranchal and Himachal Pradesh were held with the various related Ministries/agencies on the issue, inter-alia, infrastructure, development, financial concessions and to provied easy markedt access. The new initiatives would provide the required incentives as well as an enabling environment for industrial development; improve availability of capital and inerease market access to provide a fillip to the private investment in the State.

3. Accordingly, it has beeb decided to provide the following package of incentives for the States of Uttaranchal and Himachal Pradesh.

Fiscal Incentives to new Industrial Units and to existing units on their substantial Exapansion.

(i) New industrial units and existiong industrial units on their substantial expansion as defined, set up in Growth Centres, Industrial Infrastructure Development (HDCs), Industrial Estates Export Processing Zones, Theme Parks (Food Processing Parks, Software Technology

Parks, etc.) as stated in annexure-1 and other areas as notified from time to time by the ccentral Government are entitled to.

(a) 100% (Hundred percent) outright excies duty exemption for a period of 10 years from the date of commencement of commercial production.

(b) 100% Income tax exemption for initial period of five years and there after 30% for companies and 25% for other than companies for a further period of five years for the centire States of Uttaranchal and Himachal Pradesh from the date of commencement of commerical production.

(ii) All New industries in the notified location would be eligible for capital investment subsidy @ 15% of their invfestment in plant&machiner, subject to a ceiling of Rs. 30 lakh. The existing unit's wil also be entitled to this subsidy on their substantial expansion, as defined.

(iii) Thrust Sector Industries as mentioned in Annexure-11 are entitled to similar consensus as mentioned in para 3(i)&(ii) above onthe entire State of Uttaranchal and Himachal Pradesh any aca restrictions.

3.2 Development of Industrial Infrastructure:

(i) The funding pattern under the Growth Centre Scheme currently envisaging Central assistancce of Rs. 10 crore per centre is raised to Rs. 15 crore per centre.

(ii) The financing pattern of integrated infrastructure Development Centres (IIDC) between Government of Indisa and SIDBI will change from 2:3 to 4:1 and the GOI funds would be in the nature of a grant, so as to provide the required infrastructural support.

3.3 Othefr Incentivfes:

(i) Deendayal Hathkargha Protsahan Yojna and other incentives of Minis – Textiles: The funding pattern between Government of India and both the States would be changed from 50:50 to 90:10 under this Scheme; Ministry of Textiles would extend its package of tives, as notified for North-eastern States, to the States of Uttaranchal and Himachal Pradesh also.

(ii) Ministry of Food Processing Industries would include Uttaranchal in difficult category. The State of Himachal Pradesh is already included in the difficult areas category.

(iii) Pradhan Mantri Rozgar Yojana (PMRY): Ministry of Agro&Rural Industries provide for States of Himachal Pradesh and

Uttaranchal relaxation under PMRY with respect to Age (i.e 18-35 years) and subsidy @ 15% of the project cost subject ceiling of Rs. 15,000/- per entrepreneut.

3.4 Ineliglble Industries under the polley:

The list of Industries excluded from the purview of proposed concessions is at Annexure.

In addition, the Doon valley Notification (S.O. No. 102 (E) dated 1st February, (Annexure-IV) as amended from time to time, issued by Ministry of Environment&Forests continue to operate in the Doon Valley area and the industries notified under it are exclude the proposed concessions, in the State of Uttaranchal.

3.5 Nodal Agency:

The Nodal Agency for fouting the subsidies/incentives under various schemes under Policy will be notified separately.

4. Government reserves the right to modify any part of the policy in the interest of public.

5. The Ministry of Finance&Company Affairs (Department of Revenue), Ministry of&Rural Industries, etc. are requested to amend Act/Rules/Notifications etc. Are requested to amend Act/Rules/Notifications etc. And issuer sary instructions for giving effect to these decisions.

(S.JAGADEESAN)
Joint Secretary to the Govt. of India

To:

1. Chif Secretary, Govefrnment of Himachal Pradesh, Shimla.
2. Chif Secretary, Govefrnment of Uttaranchal, Dehradun.
3. Secretary, Industries Department, Government of Himachal Pradesh, Shimla.
4. Secretary, Industries Department, Government Of Uttaranchal. Dehradun.
5. Secretary, Department of Revenue, North Block, New Delhi.
6. Secretary, Ministry of Textiles, Udyog Bhavan, New Delhi.
7. Secretary, Agro Rural Industry, Udyog Bhavan, New Delhi.
8. Secretary, Small Scale Industry, Udyog Bhavan, New Delhi.
9. Secretry, Planning Commission, Yojana Bhavan, New Delhi.
10. Joint Secretary (CBDT-TPL-11), Department of Revenue, North Block, Bew Delhi.
11. Joint Secretary (TRU), Department of Revenue, North Block, New Delhi.

Copy for information to
All Ministries and Departments.

THRUST INDUSTRIES FOR STATES OF UTTARANCHAL PRADESH

SI. No	Activity	4/6 digit Excise Classification	Sub-class under NIC Classification 1998	IIC(IIS) Classifiention 4/6 digit
1	FLoriculture	-	-	0603/060120/060
2	Medicinal herbs and aromatic herbs etc. rocessing	-	-	
3	Honey	-	-	040900
4	Horticulture and Agro based Industries such as (a) Sauces, Ketchup, etc. (b) Fruit Juices&fruit pulp (c) Jams, Jellies, Vegetable juices, Puree, Pickles, etc. (d) Preserved frouts and vegetables (e) Processing of fresh fruits and vegetables including packaging. (i) Processing, preservetion, Packaging of mushrooms.	21.03 2202.40 20.01	15135 to 15137 & 15139	
5	Food Processing Industry excluding those included in the negative list.	19.01 to 19.04		
6	sugar and its by-products	-	-	17019100
7	Silk and silk products	50.04 50.05	17116	
8	Wool and wool products	51.01 to 51.12	17117	
9	Woven fabrics (Excisable garments)	-	-	6101 to 6117
10	Sports goods and equipment for general physical exercise and equipment for adventue sports/activities, tourism (to be separately specified)	9506.00		
11	Paper&paper products excluding those in negative	-	-	-

	list (as per excise classification)			
12	Pharma products	30.03 to 30.05		
13	Information&Communication Technology Industry Computer Hardware Call Centres	84.71	30006/7	
14	Bottling of mineral water	2201		-
15	Eco-tourism Hotels, resort, spa, entertainment/ amusement parks and ropeways	-	55101	
16	Industrial gases (based on atmospheric fraction)			
17	Handicarafts			
18	Non-timber forest products based industries.			

SI. No	Activity	Excise Classification	Sub-class under NIC Classification 1998
1	Tobacco and Tobacco products including cigarettes and pan masala	24.10 to 24.04 & 21.06	1600
2	Thermal Power Plant (coal/oil based)		40102/40103
3	Coal washeries/coal processing		
4	Inorganic Chemicals excluding medicinal grade oxygen (2804.11). Medicinal grade hydrogen peroxide (2847.11). Compressed air (2851.30)	Chapter-28	
5	Organic chemicals excluding provitamins/vitamins, Hormones (29.36). Glycosides (29.39). Sugars (29.40).	Chapter-29	24117
6	Tanning and dyeing extracts, tanins and their derivatives, dyes, colours, paints and varnishes, putty, fillers and other mastics, inks.	Chapter-32	24113/24114
7	Marble and mineral substances not classified elsewhere	25.04 25.05	14106/14107
8	Flour mills/ricce mills	11.01	15311
9	Foundries using coal		
10	Minerals fuels, mineral oils and products of their distillation. Bituminous substances mineral waves	Chapter-27	
11	Synthetic rubber products	40.02	24131
12	Cement clinkers and asbestors, raw including fiber.	2502.10 2503.00	
13	Explosive (including industrial explosives, detonators&fuses, fire works, matches, propellant powders, etc.	36.01 to 36.06	24292

14	Mineral or chemical fertilisers	31.02 to 31.05	2412
15	Insecticides, fungicides&pesticides (basic manufacture and formulation)	3808.01	24211/24219
16	Fibre glass&artieles thereof	70.14	26102
17	Manufacture of pulp-wood pulp, mechanical or chemical (including dissolving pulp)	47.01	21011
18	Branded aerated water/soft drinks (non-fruit based)	2201.20 2202.20	1554/15542
19	Paper Writing or printing paper, etc Paper or paperbord, etc. Maplitho paper, etc. News print, in rolls or sheets Craft papet, etc. Sanitary towels.etc. Gigaretter paper Grease-proof paper Toilet or facial tissue, etc. Paper & paperboard, laminated internally with bitumen, tar or asphalt carbon or similar copying paper Products consising of sheets of paper paperbord, inpregnated, coated or covered with plastic, etc. Paper and paperboard, coated impregnated or covered with wax, etc.	4801 4802.10 4802.20 4802.30 4801.00 4804.10 4818.10 48.13 4806.10 4803 4807.10 4809.10 4811.20 4811.40	21011 to 21019
20	Plastic and articles thereof	39.09 to 39.15	

Serial No: 5 Reproduction by synthesis not allowed as also downstream industries for sugar.

केन्द्रीय पूँजी उपादान
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
अधिसूचना
देहरादून, 22 अप्रैल, 2003

फा0सं. 1(10)/2001–एन0आर0–भारत सरकार ने उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से इन राज्यों में औद्योगिक एककों हेतु केन्द्रीय अनुदान अथवा राजसहायता की निम्नलिखित योजना बनाईः

संक्षिप्त नामः– यह योजना केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2003 कहलायेगी।

योजना का प्रारम्भ और अवधिः– यह योजना 7 जनवरी. 2003 से प्रभावी होगी तथा 06. 01.2013 तक प्रवृत्त रहेगी।

योजना का लागू होनाः– यह योजना उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के लिए अनुमोदित विकास केन्द्रों में उन सभी औद्योगिक एककों में और नई औद्योगिक एककों अथवा उनके विकास केंद्रों में पर्याप्त विस्तार अविा औद्योगिक अवसंरचनात्मक विकास केंद्रों (आई0आई0डी0सी0) अथवा उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों द्वारा स्थापित औद्योगिक एस्टेटों/पार्कों/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों और वाणिज्यिक संपदाओं तथा इन विकास केंद्रों से बहार स्थापित तथा अन्य अभिज्ञात स्थापना स्थलों के विनिर्दिष्ट जोर दिये जाने वाले उद्योगों (अनुबंध के अनुसार) में नये औद्योगिक एककों अथवा उनके पर्याप्त विस्तार में भी लागू रहेगी।

पात्रता की अवधिः– यह राजसहायता पात्र औद्योगिक एकक के लिए योजना की अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

परिभाषाएंः–

(क) "औद्योगिक एकक" से अभिप्रेत है कोई भी औद्योगिक एकक जिसमें विनिर्माणकारी कार्यकलाप किया जा रहा हो अथवा लघु उद्योग मंत्रालय के दिनांक 30.09.1991 के पत्र संख्या 2(3)/91–एस0एस0आई0बी0डी0 में यथा परिभाषित एक उपयुक्त सेवा एकक जो सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाया जा रहा है।

(ख) "नया औद्योगिक एकक" से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसको स्थापित करने के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाही 7 जनवरी, 2003 से पूर्व नहीं की गई थी।

(ग) "विद्यमान औद्योगिक एकक" से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेस है जो 7 जनवरी, 2003 को विद्यमान है।

(घ) "पर्याप्त विस्तार" से क्षमता के विस्तार/आधुनिकीकरण और विविधीकरण के प्रयोजन के लिए किसी औद्योगिक एकक के संयत्र तथा मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में 25 प्रतिशत से अन्यून की वृद्धि अभिप्रेत है।

(ड) "प्रभावी उपाय" से निम्नलिखित कार्यवाहियों में से एक या अधिक उपाय अभिप्रेत हैं:–

1. कि औद्योगिक एकक के लिए जारी पूंजी का 10 प्रतिशत अथवा अधिक प्रदत्त किया जा चुका है।
2. कि विनिर्माणकारी कार्यकलाप के लिए अपेक्षित फैक्ट्री बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा निर्मित कर दिया गया है।
3. कि औद्योगिक एकक के लिए अपेक्षित किसी संयत्र तथा मशीनरी हेतु निश्चित आर्डर दे दिया गया है।

(च) "स्थिर पूंजी निवेश" से इस योजना के प्रयोजन के लिए संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश अभिप्रत है।

6. **स्वीकार्य राजसहायता की सीमाः–** विकास केंद्रों में स्थापित सभी पात्र औद्योगिक एककों अथवा आई0आई0डी0सी0 अथवा उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में स्थापित औद्योगिक संपदाओं/पार्कों/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को उनके नये एककों के संबंध में उनके निवेश की 15 प्रतिशत की दर पर पूंजीगत निवेश राजसहायता दी जायेगी अथवा संयत्र तथा मशीनरी में पर्याप्त विस्तार के संबंध में अतिरिक्त निवेश दिया जायेगा जिसकेक अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये होगी।

6.1 उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित नये औद्योगिक एककों अथवा अन्य विकास केंद्रों में उनके पर्याप्त विस्तार अथवा आई0डी0सी0 अथवा औद्योगिक एस्टेट/पार्क/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों और वाणिज्यिक संपदाओं में भी इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायेगी। इन विकास केंद्रों से बाहर तथा अन्य अभिज्ञात स्थापना स्थलों में स्थापित विनिर्दिष्ट जोर दिये जाने वाले उद्योगों (अनुबंध के अनुसार) में नए औद्योगिक एकक अथवा उनका पर्याप्त विस्तार भी इसी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहनों के पात्र होंगे।

7. **संयंत्र तथा मशीनरीः–** संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करने में स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाने पर औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी की लागत को हिसाब में लिया जायेगा जिसमें टूल, जिग्स, डाइयां तथा मोल्ड्स जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत, बीमा प्रीमियम और उनकी परिवहन लागत भी शामिल होगी।

7 (क) कच्चे माल के परिवहन तथा तैयार उत्पादों के विपणन हेतु वास्तविक रूप से उपयोग की गई राशि को, माल लाने ले जाने में निवेश की गई राशि के बराबर ही हिसाब में लिया जायेगा।

7 (ख) कच्चे माल तथ अन्य उपभोज्य भंडारों सहित कार्यशील पूंजी को संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय शामिल नहीं किया जायेगा।

8. **राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसीः–** पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी को राज्य सरकारों के परामर्श से अधिसूचित किया जायेगा।

9. **पूंजी निवेश राजसहायता का दावा करने हेतु प्रक्रियाः–** उक्त योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र औद्योगिक एककों को नये एककों को स्थापित करने अथवा विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने से पूर्व राज्य औद्योगिक विभाग में अपने आपको पंजीकृत कराना होगा तथा निवेश राजसहायता के दावों में अपने एककों की संयंत्र तथा मशीनरी में उनके द्वारा की जाने वाली कुल अतिरिक्त संभावित स्थिर पूंजी का अपना निर्धारण दर्शाना होगा।

10. **पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु प्रक्रियाः–** राज्य सरकार प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में राजसहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित करेगी, जिसमें राज्य वित्त विभाग और राज्य उद्योग निदेशालय का एक–एक प्रतिनिधि तथा यदि औद्योगिक एकक की सहायता वित्तीय संस्थान करता है, तो सम्बन्धित वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

10.1 वित्तीय संस्थानों अथवा राज्य सरकार से सहायता के बिना स्थापित नये औद्योगिक एकक के सम्बन्ध में एकक को राजसहायता विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा एकक के उत्पादन शुरू करते समय राज्य सरकार की सिफारिश पर वितरित की जायेगी। इसी तरह राज्य सरकार के वित्तीय संस्थानों के बिना सहायता प्राप्त विद्यमान औद्योगिक एकक द्वारा उसके पर्याप्त विस्तार के सम्बन्ध में एकक को राज्य सहायता विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश पर एकक में पर्याप्त विस्तार किये जाने और एकक द्वारा बढ़ाया गया उत्पादन शुरू कर दिये जाने के पश्चात दी जायेगी। तथा ऐसे मामलों में जहां सम्बन्धित राज्य सरकार सरकारी निधियों के सुरक्षा के बारे में संतुष्ट है, अनुमानित राजसहायता की आधे से अधिक राशि एकक के उत्पादन शुरू होने से पूर्व उद्यमी द्वारा राज्य उद्योग निदेशालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रभावी कदम उठाये जाने सम्बन्धी एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी की जाए तथा शेष राशि एकक द्वारा उत्पादन शुरू होने के पश्चात् ही जारी की जाए।

10.2 राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक एकक के संबंध में राजसहायता राज्य सरकार की सिफारिश पर विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा वितरित की जायेगी। ऐसे मामलों में राज्य सरकार तथा सम्बन्धित एकक के बीच एक अनुबंध/करार किया जाए, जिसमें गिरवी शपथा राजसहायता की राशि तक परिसम्पत्तियों को गिरवी रखना शामिल हो। वित्तीय संस्थान से सहायता प्राप्त नये औद्योगिक एकक अथवा विद्यमान औद्योगिक एकक पर्याप्त विस्तार के संबंध में एकक को राजसहायता उतनी ही किस्तों में वितरित की जायेगी जैसे कि वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वितरित किया जाता है तथा साथ ही साथ विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी से वित्तीय संस्थान द्वारा दावा किया जाए। ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थान सम्बन्धित एकक के बीच अनुबंध/करार कर लिया जाए जिसमें गिरवी/शपथ/सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिम राशि तक एकक की परिसम्पत्तियों को गिरवी रखना तथा राजसहायता शामिल हों।

11. **केन्द्र/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थानों के अधिकारः–** यदि केन्द्रीय सरकार/सम्बन्धित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान इस बात से संतुष्ट है कि किसी औद्योगिक एकक ने राजसहायता अथवा अनुदान किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्याकथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके प्राप्त किया है अथवा यदि वह एकक प्रारम्भ होने से पांच वर्ष के अंदर उत्पादन बंद कर देता है तो केंद्र सरकार/सम्बन्धित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान सम्बन्धित एककों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अनुदान अथवा राजसहायता वापिस करने के लिए कह सकते हैं।
12. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/सम्बन्धित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना औद्योगिक एकक के किसी भी स्वामी को, संपूर्ण अनुदान अथवा राजसहायता या उसका कोई भाग प्राप्त करने के पश्चात उस सम्पूर्ण औद्योगिक एकक या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिए या उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के अंदर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में प्राप्त संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।
13. उन सभी एककों के संबंध जिनको अनुदान अथवा राजसहायता का वितरण सम्बन्धित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इस आशय का प्रमाण–पत्र कि अनुदान अथवा राजसहायता का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए वह दी गयी है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को सम्बन्धित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार द्वारा उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिया जायेगा, जिस तिथि को अंतिम किस्त/पूरी रकम प्राप्त हुई हो।
14. अनुदान अथवा राजसहायता प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक औद्योगिक एकक उत्पादन प्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने कार्यकलापों के बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/राज्य सरकार (जैसा विनिर्दिष्ट किया जायेगा) को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

एस. जगदीशन,
संयुक्त सचिव।

No.SIDCUL/October, 30/101 **Date: 30 October, 200**

To

The Managing Director,
SIDCUL

Joint Director Industries.

All General Managers,
Distt. Industries Centre.

All Industry Associations.

Sub: <u>Certification of capacity and Investment for thef purpose of the Concessional Industrial Package and New Industrial Policy, 2003 and benefits there under.</u>

Dear Sir,

The Govt, has beeb pleased to decide that for the purpose of certifying existing capacity, existing investment capacity enhancement, additional investment etc. The following steps shall suffice for official purposes:

(i) Certificate of Chartered Engineer certifying capacities and expansion (enclosing list of value of machinery);
(ii) Certificate of Chartered Accountant to certify investments (enclosing list of investment sectorally&for what purpose);
(iii) Affidavit of the promoter along with an undertaking that he has read the clauses of the scheme and is furnishing true facts accordingly;
(iv) Intimation to DIC with a copy to SIDCUL, stating the name of thef unit, khasra number, location product, existing capacity&investment, proposed expansion in capacity and investment, source of finance, list of machinefry of sectors in which investment is proposed time limit for undertaking the said work etc;
(v) All the other formalities stipulated in the Capital Investmefnt Scheme etc. of Govt. of India shall also be adhered to.

The concerned General Managers, Distt. Industry Centres shall be maintaining the true record of these formats and shall also be making sample check of 5% at random.

Yours faithfully

(Sanjeev Chopra)
Secretary (ID)

Note: Chartered Engineer and Chartered Accountant shall also certify that the have gone through the contents of the scheme and cefrtifying the capacity as required under the schem.

संख्या 177/औ.वि./उद्योग/03–04

प्रेषक,

सचिव,
औद्योगिक विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल,
देहरादून।

औद्योगिक विकास विभाग देहरादून दिनांक 29 जनवरी, 2004

विषयः पूंजीगत निवेश उपादान स्वीकृत करने हेतु राज्य/जिला स्तरीय समिति का गठन एवं अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2180/औ.वि.–के0यू0उ0 दिनांक 29.01.2004 के संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि पूंजीगत निवेश उपादान स्वीकृत करने हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया हैः–

1.	सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन) द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो अनुसचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
4.	प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल	सदस्य
5.	सम्बन्धित वित्तीय संस्था के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि (यदि इकाई अनुमोदित वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हो)	सदस्य
6.	अपर निदेश/संयुक्त निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल	सदस्य सचिव

2. इसी प्रकार के जिला स्तर पर पूंजीगत निवेश उपादान स्वीकृत करने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया हैः–

1.	जिलाधिकारी	सदस्य
2.	जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी	सदस्य
3.	जिला अग्रणी बैंक अधिकारी/सम्बन्धित वित्तीय संस्था के जिलास्तरीय प्रतिनिधि	सदस्य

4. प्रभारी महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र सदस्य

3. राज्य सरकार सतद्धारा जिला स्तरीय समिति को रू. 1.50 लाख तक उपादान धनराशि स्वीकृत करने के अधिकार प्रतिनिधानित करती है। रू. 1.50 लाख से अधिक उपादान धनराशि के दावे सम्बन्धित प्रभारी महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक द्वारा राज्य स्तरीय समिति को स्वीकृति हेतु संस्तुति संदर्भित किये जायेंगे।

4. लघु स्तरीय उद्योगों का केन्द्रीय पूंजीगत निवेश उपादान योजनान्तर्गत पंजीकरण करने का अधिकार स्म्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में निहित होगा तथा लघु स्तरीय उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी एकक एवं वृहत् व मध्यम स्तरीय औद्योगिक एककों का पंजीकरण उद्योग निदेशालय स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

भवदीय

संजीव चोपड़ा
सचिव।

संख्या /औ.वि./03–04/तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., देहरादून।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5. जिला अग्रणी बैंक अधिकारी, उत्तरांचल।
6. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली को विज्ञप्ति संख्या 1(10) 2001–एन0ई0आर0, दिनांक 8 जनवरी, 2003 के अनुपालन में।

संजीव चोपड़ा
सचिव।

DIRECTORATE OF INDUSTRIES
UTTARANCHAL

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION UNDER THE CENTRAL CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY SCHEME -2003

(a) Name of the industrial unit :

(b) Office address with telephone no. :

(c) Factory address with telephone no. :

(d) Whethefr the unit is located in the areas as specified in the notification of G.O.I. dated 07.01.03, if yes, please specify :

(e) If the proposed/Expansion unit falls under the specified thrust industries, if yes, please specify :

Constitution of thfe unit (please specify, whethefr Proprietor/ Partnership/ Private Limited/ Limited Company/ Co-operativfe Society) :

(a) Name (s), address (es) of thef Proprietor/Partners/ Directors of the Board of Directors/Secretary and President of thef Co-operativfe Society/Trustee :

(b) Date of Registration under the Companies Act/or the concerned Act (Act should Be clearly stated) :

(c) Registered Head Officce of the company :

Details of Registration of thef Unit :

(a) SSI Registration

(i) Provisional Registration No. :

(ii) Permanent Registration No. :

(b) Number and date of industrial licencce/lettefr of Intent/Industrial Entrepreneurs Memorandom :

Name of the product of manufacture/Activity :

(a) New/Proposed unit :

(b) Substantial expansion unit-Before expansion :
-After expansion

(a) Whether the unit is new expansion :

(b) * Details of effective steps taken for establishment of new/ substantial expansion of the unit :

* Substantial expansion as defined in G.O.I. notofication dated 08-03-2003 Vide para- 5(d)/

Details		Prior to 7.1.2003	After 7.1.2003
(i)	Total capital issue (Rs.)		
(ii)	Capital issued paid up (Rs.)		
(iii)	% of capital issued paid (Rs.)		
(iv)	State of construction of factory building repuied for manufacturing activity		
(v)	State of placement of order for pland & machinery (in Rs.)		

(b) Expected date of commencement of production in case of proposed/ new/ under expansion unit :

6. Details of Capital Investment:

		For proposed/ new unit (Please specify Actual or Proposed investment)	For existing unit undergoin expansion (Please specify actual Proposed investment)		
			Prior expansion upto 7-1-2003	Expansion after 7-1-2003	% Increase
(a)	Land				
(b)	Building				
	(i) Office Building				
	(ii) Factory				
(c)	*Plant&Machinery				
(d)	*Accessories/ Productive equipments				
(e)	Installation and electrification				
(f)	Preliminaty & Preopefrative exp.				
(g)	Miseellancous fixed assets (Goods Carrier etc.)				
(h)	Goods Carrier				
TOTAL'					

7. (i) Means of Finance:

		For proposed/new unit (Please specify Actual or Proposed investment)	For existing unit Undergoing expansion (Please specify Actual or Proposed Investment)	
			Prior Expansion	Aftefr Expansion
(a)	Own Capital			
(b)	Financial Institution/ Bank			
	1 Term Loan			
	2 Working capital			
(c)	Other sources			

*As specified in para-7 of the G.O.I. s notification dated 8-1-2003

(ii)	Name of Bank/ Financial Institution from where Term Loan/ Working Capital Obtained and Account no.			

8. Proposed/Working employment position in the unit:

Sl. No.	Category	Nos.
1.	Manaagerial	
2.	Supefrvisory	
3.	Skilled	
4.	Semi Skilled	
5.	Others	

9. Tentative Assessment of Capital Invefstment Subsidy:

Particulars		**Total value in Rs.**	
(a)	The cost of insustrial plant & machinery erected or likely to be erected at site		
(b)	Cost of productive equipment, such as tools, Jigs, dies and moulds, insurance premium and their transportation cost		
(c)	Cost of goods carrier as admissible under		

REPORT OF THEF RECOMMENDING AUTHORITY

Certified that the informations furnished by the unit M/s.....for grant of CIS Registration found correct and acceptable with the following modifications.

1.

2.

Recommended/Non-Recommended for CIS Registration due to the following reasons: -

1.

2.

Date:

Signature of the Recommending Authority,
Designation and Seal.

Place:

CIS Registration Certificate

The application has beeb accepted for registration under the Central Capital Invfestment Subsidy Scheme, 2003 and the Registration No. Given is.....Dated.....

Signature of the Registration Authority
Directorate of Industries, Uttaranchal/
District Industries Centre.

केन्द्रीय परिवहन उपादान

वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25–5–2000 से यह योजना पूर्ववर्ती राज्य उ.प्र. के समय आठ पहाड़ी जिलों (वर्तमान में उत्तरांचल) के लिए 1–4–2000 से 31–3–2007 तक के लिए और बढ़ाई गई है।

भारत सरकार द्वारा संचालित उक्त योजनान्तर्गत औद्योगिक इकाई को निकटस्थ रेल शीर्ष से इकाई के कार्यस्थल तक कच्चा माल लाने एवं तैयार माल निकटस्थ रेल शिर्ष तक ले जाने पर निर्धारित दरों के अनुसार हुये परिवहन व्यय का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति केन्द्रीय परिवहन उपादान योजना के अन्तर्गत की जाती है। परिवहन उपादान की प्रतिपूर्ति स्वीकृति जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तथा राज्य स्तर पर सचिव औद्योगिक विकास, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाती है। स्वीकृति के पश्चात उपादान की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल
संख्या/132/औ.वि. 242–उद्योग/2002
दिनांक 25 फरवरी, 2003

केन्द्र सरकार की केन्द्रीय परिवहन उपादान योजना के दावों की स्वीकृति के लिए पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश मे जनपद स्तरीय एवं मण्डल स्तरीय समितियां गठित की गई थी। उत्तरंचल राज्य गठन के उपरान्त शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2911/औ.वि.–308–उद्योग/2002, दिनांक 26 फरवरी, 2002 के द्वारा मण्डल स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया था। पुनः कार्यालय ज्ञाप संख्या 122/औ.वि. –1–उद्योग/2002, दिनांक 09 जुलाई, 2002 द्वारा समिति का पुनः पुनर्गठन किया गया।

शासन द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा पुनर्गठित मण्डल स्तरीय समिति को अतिक्रमित करते हुये राज्य स्तरीय समिति का गठन एतद्द्वारा निम्नवत किया जाता है।

1.	प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव वित्त अथवा उनके वरिष्ठ प्रतिनिधि	सदस्य
3.	औद्योगिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	सचिव, परिवहन उत्तरांचल शासन	सदस्य
5.	सम्बन्धित मण्डलायुक्त	सदस्य

6.	अपर सचिव/अपर निदेशक, उद्योग	सदस्य
7.	महाप्रबन्धक, सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र	विशेष आमंत्री
8.	सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी	विशेष आमंत्री
	योजना सम्बन्धी अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।	

एस. कृष्णन,
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 132/औ.वि.–1/तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।
2. अपर सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, औद्योगिक विकास उत्तरांचल शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
5. सचिव, परिवहन, उत्तरांचल शासन।
6. मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
7. निजी सचिव, मा. लघु उद्योग मंत्री जी, उत्तरांचल।
8. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री औद्योगिक विकास।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
10. नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
11. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
12. संयुक्त निदेशक उद्योग, पटेल नगर, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति समस्त जिला उद्योग केन्द्रों/ जिलाधिकारियों/ औद्योगिक संगठनों/क्षेत्रीय विकास अधिकारियों को अपने स्तर से वितरित करें।
13. गोपन अनुभाग, सचिवालय, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
14. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी।
15. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की से आगामी गजट में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।
16. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
17. गार्ड पत्रावली हेतु।

पराग गुप्ता,
अपर सचिव।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना
(PMRY)

भारत सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से चलाई जा रही है।

स्वीकार्य परियोजनाऐंः– आर्थिक दृष्टि से उपयोगी कोई भी उद्योग, सेवा व व्यवसाय सीधे कृषि कार्य जैसे फसल उगाने का कार्य व खाद आदि का क्रय अनुमन्य नहीं है।

पात्रताः–

1. **शैक्षिक योग्यताः**– कक्षा 8 से पास अथवा आई0टी0आई0/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुमोदित ट्रेड में कम से कम 6 महीने की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
2. **आयुः–** सामान्य वर्ग के लिए 18 से 35 वर्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिला वर्ग व शारीरिक रूप से विकलांगों के लिये 18 से 45 वर्ष तक। उत्तरांचल राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित औद्योगि पैकेज के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लिये आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तथा अनु0 जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिला वर्ग व शारीरिक रूप से विकलांगों हेतु 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
3. **परिवारिक आयः–** समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू. 1,00,000/– से अधिक न हो।
4. **निवासीः–** सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष से स्थाई रूप से रह रहा हो।
5. अभ्यर्थी किसी वित्तीय संस्था का चूककर्ता (डिफाल्टर) न हो। किसी सब्सिडी वाली सरकारी योजना में पहले से लाभान्वित व्यक्ति पात्र नहीं होगा।

परियोजना लागतः– सेवा एवं व्यवसाय मद में अधिकतम रु. 2,00,000/– तथा उद्योग मद में अधिकतम रु. 5,00,000/– कर दिया गया है। सेवा व्यवसाय क्षेत्र के अन्तर्गत पार्टनरशिप अथवा समूह में अधिकतम 5 व्यक्तियों हेतु रु. 10,00,000/– तथा उद्योग क्षेत्र में पार्टनरशिप अथवा समूहन्तर्गत रू. 25,00,000/– तक की परियोजनाएं सम्मिलित की जा सकती हैं।

मार्जिन मनीः– 5 प्रतिशत से 16.25 प्रतिशत तक (सब्सिडी+मार्जिन मनी अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा में)।

अनुदानः– 15 प्रतिशत व अधिकतम रू. 7,500/– प्रति लाभार्थी। उत्तरांचल राज्य में भारत सरकर द्वारा घोषित औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत अनुदान की अधिकतम सीमा रू. 15.000/– प्रति लाभार्थी है।

ब्याज दरः– बैंक की सामान्य दर पर ब्याज लिया जायेगा।

आरक्षणः– योजना में अनु0जाति/जनजाति के लिये 22.5 प्रतिशत तथा पिछड़ी जाति के लिये 27 प्रतिशत का प्राविधान है।

ऋण अदायगीः– अदायगी 3 से 7 वर्ष क बीच होगी। 6 से 18 माह तक ऋण वापसी स्थगन।

ऋण के स्रोतः– ऋण केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

कोलेटरल सिक्योरिटीः– एक लाख रुपये तक की योजना के लिये कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। एक लाख रुपये से ऊपर की योजना पर कोलेटरल सिक्योरिटी का प्राविधान है।

प्रशिक्षणः– इस योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के बाद व्यवसाय हेतु 10 दिन तथ उद्योग/सेवा हेतु 20 का अनिवार्य प्रशिक्षण का प्राविधान है।

आवेदन प्रक्रिया

उक्त पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन–पत्र दो प्रतियों में सत्यापित फोटो, स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, आयु के प्रमाण–पत्र में अंक तालिका व प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति व प्रस्तावित योजना (प्राजेक्ट रिपोर्ट) साटे कागज पर परिवार के मुखिया तथा आवेदक का शपथ–पत्र के साथ जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में अथवा क्षेत्र में सहायक प्रबन्धक कार्यदिवस में जमा कर सकते हैं। अपूर्ण आवेदन–पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

आवेदन–पत्र का प्रारूप संलग्न है।

वर्ष 2003–2004
शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु
प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 2003–2004 हेतु
आवेदन–पत्र का प्रारूप

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम.....
2. पिता/पति का पूरा नाम.....
3. पूरा पता.....
   (अ) स्थाई पता.....
   .....
   (ब) वर्तमान पता.....
   .....
   (स) रोजगार/उद्योग चलाये जाने का पता.....
   .....
   (द) नगरीय क्षेत्र/विकास खण्ड का नाम.....
4. प्रार्थी की आयु (प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति सहित).....
5. शैक्षिक योग्यता.....
6. प्राविधिक योग्यता.....
7. क्या रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है.....
   यदि हां तो पंजीकृत संख्या व दिनांक.....
8. परिवार सम्बन्धी सूचनायें.....

क्र.सं.	परिवार के सदस्यों के नाम	सदस्य व्यवसाय	आमदनी प्रतिमाह	यदि किसी वित्तीय संस्था से ऋण लिया हो तो उसका विवरण
(क)	अविवाहित लाभार्थी के मामले में			
1.	पिता/			
2.	माता			
3.	भाई/बहन (अ)			
	(ब)			
(ख)	विवाहित लाभार्थी के मामले में			
	(अ) पति/पत्नी			
	(ब) बच्चे			

9. वर्तमान में अभ्यर्थी क्या कर रहा है?.....
10. रोजगार/उद्योग जो लगाया या प्रारम्भ करना चाहता है.....
11. आपके अनुसार अनुमानित लागत तथा वांछित धनराशि.....
    (प्रस्तावित योजना के साथ क्रियात्मक अनुभव विवरण भी दे).....
12. योजना लागत का 5 प्रतिशत से 12.50 प्रतिशत तक अंशदान अपने पास से लगाने को तैयार हूँ।
13. नजदीकी बैंक शाखा का नाम
14. क्या प्रार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक का है ?
15. प्रशिक्षण (यदि किसी सरकारी संस्था से छः माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो)
16. क्या प्रार्थी आई0टी0आई0/पॉलीटैक्निक से प्रशिक्षित है। ?
    यदि हॉ तो प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)।

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दिये गये सभी विवरण पूर्णतः सत्य हैं एवं मैंने किसी भी तथ्य को छिपाने का प्रयास नहीं किया है तथा जांच के दौरान यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मेरा प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जा सकता है तथा आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान.....
दिनांक.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर.....
प्रार्थी का नाम.....
पता.....
.....

आवेदन–पत्र तथा उसके साथ संलग्न किये जाने वाले सभी प्रपत्र
दो प्रतियों में प्रस्तुत किये जाने हैं।

1. आवेदन–पत्र (दो प्रतियों पर) अभ्यर्थी की सत्यापित फोटों चिपका दी जाये।
2. जनपद में अभ्यर्थी की तीन वर्ष से अधिक अवधि तक निवास किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतियां, जिसमें निम्न उल्लेख किया जाये –
   (क)अभ्यर्थी की समस्त श्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय रुपये 40,000 से अधिक नहीं है।
   (ख)अभ्यर्थी आवेदित ऋण से पूर्व किसी भी वित्तीय संस्था (राष्ट्रीयकृत बैंक को–ओपरेटिव बैंक आदि से) प्राप्त किये गये ऋण का बकायेदार/डिफाल्टर नहीं रहा हो।
   (ग) अभ्यर्थी ने सरकार द्वारा संचालित किसी भी सब्सिडी योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया है।
3. जन्म–तिथि के संदर्भ में मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र तथा शैक्षिक प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतियां।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियां।
5. योजनान्तर्गत व्यवसाय क्षेत्र में रू. 1.00 लाख तक तथा सेवा एवं उद्योग में रू. 2.00 लाख तक की परियोजनाएं ही अनुमन्य हैं। साझेदारी में सेवा एवं उद्योग क्षेत्र में अधिकतम रू. 10.00 लाख तक की परियोजनाएं अनुमन्य होंगी।
6. उद्योग, सेवा व्यवसाय जो करना चाहते हैं, की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें परियोजना लागत का 80 प्रतिशत बैंक ऋण तथा 20 प्रतिशत धनराशि में अधिकतम देय सब्सिडी रुपये 15,000/– तथा शेष धनराशि द्वारा मार्जिन मनी के रूप में लगाई जायेगी।
7. प्राविधिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिया।
8. प्राविधिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता कक्ष–8 उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलाग भू0पू0 सैनिक एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
9. प्रत्यक्ष कृषि क्षेत्र की परियोजनाओं को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाओं पर ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।

कार्यालय प्रयोग हेतु

शाखा प्रबन्धक

.....

.....

श्री.....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....
निवासी.....जनपद देहरादून के हित में.....
.....उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु अंकों में.....
शब्दों में.....में ऋण रुपये.....
.....के रूप में दिये
जाने हेतु सरकार द्वारा गठीत कार्यदल की बैठक दिनांक.....अनुमोदन
के आधार पर संस्तुति की जाती है।

अध्यक्ष
समिति/महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,

घोषणा–पत्र
समक्ष–महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र

मैं.....पत्नी/पुत्री/पुत्र.....
निवासी.....
एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि

(क) मेरी समस्त स्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय रुपये 40,000 से अधिक नहीं है।
(ख) मैं आवेदित ऋण से पूर्व किसी वित्तीय संस्था (राष्ट्रीय बैंक, को–ओपरेटिव बैंक आदि से) प्राप्त किये गये ऋण का बकायेदार/डिफाल्टर नहीं हूं।
(ग) मैंने सरकार द्वारा संचालिहत किसी भी सब्सिडी सम्बन्धी योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया है।
(घ) मैं जनपद में विगत तीन वर्ष से अधिक अवधि से निवास कर रहा/रही हूँ।

हस्ताक्षर
नाम व पता.....
.....

भारत सरकार की क्रेडिट गारण्टी योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना–प्लस के लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से ऋण सहायता पर एक ही बार में देय गारण्टी फीस की प्रतिपूर्ति

योजना का नाम : यह योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना–प्लस 2005 कहलायेगी।

योजना का प्रारम्भ : योजना 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगी।

योजना का उद्देश्य :
1. प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वित्त पोषित सफल एवं अनुभवी लाभार्थियों को लघु उद्योग/लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों को बैंकों के माध्यम से अतिरिक्त अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. बैंकों को केंद्रीय व राज्य सरकार की क्रेडिट गारण्टी फण्ड स्कीम निधि तथा अन्य प्रोत्साहन सुविधाओं से लाभान्वित किये जाने हेतु प्रोहित करना।
3. बैंक सफल एवं विश्वसनीय लघु उद्यमियों को क्रेडिट ऋण आधार बढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे।

ऋण की पात्रता :
1. प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वित्त पोषित राज्य के ऐसे लाभार्थी, जो बैंक ऋण का नियमित रूप से भुगतान कर रहे हों तथा जिनका पिछले तीन वर्षों का ट्रेक रिकार्ड अच्छा हो तथा जो अपने लघु उद्योग/लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम की स्थापना एवं विस्तार करना चाहता हों।
2. अन्य किसी प्रकार का उद्योग, जो CGFTSI के अन्तर्गत पात्रता रखता हो, वह स्वयं ही इस योजनान्तर्गत पात्र होंगे।

लघु उद्योग/लघु उद्योग सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम की परिभाषा :

क. <u>लघु उद्योग इकाई</u>:– किसी भी औद्योगिक उपक्रम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी (स्वामित्व/लीज/हायर पर्चेज) में पूंजी निवेश रू. 1 करोड़ से अधिक न हों। ऐसे औद्योगिक उपक्रम, जो 13 विशिष्ट स्टेशनरी उत्पादों, 10 विशिष्ट उच्च प्रौद्योगिकी एवं निर्यातहमूलक हथकरघा तथा निटवेयर उत्पादों का निर्माण करती हों, में प्लाण्ट व मशीनरी में पूंजी विनियोजन रू. 5 करोड तक हो। ऐसे उद्योगों का विवरण परिशिष्ट–ए में दिया गया है।

ख. <u>लघु उद्योग सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम</u>:– उद्योग

सम्बन्धी सेवाओं और व्यवसाय उपक्रम, जिनके भूमि, भवन को छोड़कर, प्लाण्ट एवं मशीनरी में अचल पूंजी निवेश रू. 10 लाख तक हो, लधु उद्योग सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम के अन्तर्गत आयेंगे। ऐसी गतिविधियों का विवरण परिशिष्ट–बी में दिया गया है।

सहायता का स्वरूप व मात्रा : ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक द्वारा ऋणी से स्वीकृत सहायता (टर्मलोन व कार्यशील पूंजी की तुलना में) पर एक ही बार में ली जाने वाली 2.5 प्रतिशत गारण्टी फीस की राशि, जिसकी अधिकतम सीमा रू. 50,000/– तक होगी, प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अनुमनय होगी।

सहायता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया बैक CGFTSI के अन्तर्गत आच्छादित इकाइयों के दावे त्रैमासिक रूप से तैयार कर संकलित विवरण राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे।

लाभ :
1. उद्यमी का ट्रेक रिकार्ड सिद्ध होना।
2. परियोजना की असफलहता की कम सम्भवना।
3. वृहत ग्राहक आधार।
4. स्थानीय संसाधनों का उपयोग।

बैंक का दायित्व :
1. CGFTSI के क्रियाकलापों का अनुपालन और सम्बन्धित इकाई का आच्छादन करना।
2. त्रैमासिक आधार पर राज्य सरकार से दावों की प्रतिपूर्ति। ऋणी से कोई गारण्टी फीस नहीं ली जायेगी तथा बैंक जिला स्तर तक नोडल अधिकारी नामित करेगा, जो दावों का संकलन कर प्रेषण करेगा।
3. सहायता प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर बढ़ाई जायेगी, जो PLR रेट से अधिक नहीं होगी।

अभ्युक्ति योजनान्तर्गत वित्त पोषित इकाइयों को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज एवं राज्य सरकार की औद्योगिक नीति, 2003 के अन्तर्गत प्राविधानित प्रोत्साहन सुविधायें एवं छूट भी नियमानुसार पात्रता पूर्ण करने पर प्राप्त होंगी।

सुख्याः 1767 / VII / 98–उद्योग / 2005

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग देहरादून, दिनांकः 13 जून, 2005

विषयः प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस–2005

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 399 / उ.नि.–पी.एम.आर.वाई. –प्लस / 05–06 दिनांक 09 मई. 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से भारत सरकार की क्रेडिट गारण्टी योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस के लाभार्थियों को बैंकों केक माध्यम से क्रेडिट सहायता पर एक बार में देय गारण्टी फीस की प्रतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस नामक प्रतिपूर्ति सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. शासन द्वारा योजना के अनुमोदित प्रारूप एवं दिशा7निर्देश पत्र के साथ संलग्न हैं। आपसे कहना है कि शासन द्वारा अनुमोदित योजना एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार योजना का व्यपक प्रचार–प्रसार कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1767 / VII / 98 / 2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

1. स्टाफ ऑफिसर–अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उत्तरांचल।

6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आंचलिक कार्यालय, 1–कैन्ट रोड, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तरांचल, सचिवालय परिसर, देहरादून को राज्य सरकार की वेबसाइट में प्रसारण हेतु।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

दूरस्थ एवं पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में लघु, लघुत्तर उद्योगों के विकास हेतु विशेष राज्य पूंजी निवेशा प्रोत्साहन सहायता।

1. **योजना का नाम** : यह योजना उत्तरांचल राज्य विशेष राज्य पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना–2005 कहलायेगी।

2. **योजना का प्रारम्भ और अवधि** : यह योजना 2 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2007 तक अथवा उस अवधि तक जब तक कि उत्तरांचल शासन द्वारा इसे संशोधित/समाप्त न कर दिया जाय, लागू रहेगी।

3. **उद्देश्य** : योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य के लिये घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज में प्रदत्त वित्तीय सहायताओं तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से इहतर दूरस्थ एवं पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में लघु/लघु स्तरीय उद्योगों तथा लघु स्तरीय सेंवा एवं व्यवसाय उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, उद्योग स्थापना के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देने तथा लघु उद्योग क्षेत्र में स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना प्रमुख है।

परिभाषायें

1. राज्य पूंजी निवेश सहायता उन इकाइयों को देय होगी, जो उद्योग निदेशालय (जिला उद्योग केन्द्रों), उत्तरांचल से लघु (DDI), लघुत्तर (Tiny), तथा लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम (SSSBE), के रूप में पंजीकृत हों। लघु/लघुत्तर उद्योगों तथा लघु स्हतरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों की परिभाषायें वही होंगी, जो विकास आयुक्त (लघु स्तरीय उद्योग), भारत सरकार द्वारा निम्नवत् अधिसूचित एवं परिभाषित हैंः–

4. (क) लघु उद्योग– किसी भी औद्योगिक उपक्रम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी (स्वामित्व/लीज/हायर परचेज) में पूंजी निवेश रू. 1 करोड़ से अधिक न हो। हाई–टेक और निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिये भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हस्त औजारों और निटवेयर वस्तुओं, स्टेशनरी एवं औषधी और भेषजीय की 66 मदों में से किसी मद का कोई औद्योगिक उपकरण निर्माण हेतु संयंत्र और मशीनरी में पूंजी निवेश रू. 5 करोड़ तक हो सकता है।

(ख) लघुत्तर उद्योग– अति लघु उद्यमों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा रू. 25 लाख है, चाहे इकाई कहीं भी स्थित हो।

(ग) लघु उद्योग सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमः– भूमि एवं भवन को छोड़कर उद्योग सम्बन्धी सेवाओं और व्यवसाय में नियत परिसम्पत्तियों में पूंजी निवेश रू. 10 लाख तक है। लघु उद्योग सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियां लधु उद्योग के रूप में प्राप्त सभी सुविधाओं के लिये पात्र है।

2. नई इकाई से तात्पर्य, उस औद्योगिक इकाई से है, जिसकी स्थापना हेतु प्रभावी कदम दिनांक दिनांक 01 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात उठाये गये हैं।

3. प्रभावी कदम से तात्पर्य, निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक कार्यों से हैः–

(क) किसी वित्तीय संस्थान अथवा मान्यता प्राप्त बैंक से ऋण आवेदन पत्र पर स्वीकृति प्राप्त हो गई हो।

(ख) मशीनों व संयंत्रों के लिये आपूर्तिकर्ता को निश्चित क्रयादेश दे दिये गये हों।

(ग) कार्यशाला भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हो।

4. वर्तमान इकाई से तात्पर्य, उस औद्योगिक इकाई से है, जिसकी स्थापना हेतु प्रभावी कदम दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व उठाये गये हों।

5. इकाई, जिसका विस्तार/विविधीकरण या आधुनिकीकरण किया गया है, का तात्पर्य ऐसी इकाई से हैः–

(क) जिसने 1 अप्रैल, 2005 के पश्चात् किसी समय विस्तार, विविधिकरण या आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिये प्रभावी कदम उठाये हों।

(ख) जिसकी उत्पादन क्षमता, विस्तार या आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप कम से कम 25 प्रतिशत बढ़ गई हो या जिसमें विविधीकरण के पश्चात् पूर्वत्तर निर्माण किये गये माल से भिन्न प्रकार के माल का निर्माण किया जाता हो।

(ग) जिसमें (अवक्षयण के लिये व्यवस्था किये बिना) भवन एवं मशीनरी व संयंत्र पर ऐसे मूल अचल पूंजी विनियोजन का कम से कम 25 प्रतिशत या उससे अधिक का अतिरिक्त अचल पूंजी विनियोजन किया गया हो।

6. अचल पूंजी विनियोजन से तात्पर्य उद्योग के भवन/कार्यशाला मशीनरी, संयंत्र व उपकरण पर विनियोजित पूंजी से है, जिसकी गणना निम्नवत् की

जायेगीः–

(क) भवन : केवल उद्योग के उत्पादन कार्य हेतु स्वयं की भूमि पर अथवा विधिसम्मत तरीके से लीज/पट्टे पर ली गई भूमि में निर्मित किये गये उद्योग के कार्यशाला भवन मेहं किये गये पूंजी निवेश पर सहायता अनुमन्य होगी। किराये की भूमि/भवन पर सहायता अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) मशीनरी संयंत्र एवं उपकरण : मशीनरी, संयंत्र एवं उपकरणों के मूल्य की गणना करते समय जो मशीनें, संयंत्र व उपकरण इकाई की कार्यशाला में प्राप्त हो गये हों, उनके मूल्य को सम्मिलित किया जायेगा। अन्य उपकरणों, जैसे औजार, जिग्स, डाई, मोल्ड, परिवहन व्यय, डेमरेज व बीमा प्रीमियम के व्यय को भी, यदि यह पाया जाता है, मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा, किन्तु कार्यशील पूंजी, जैसेः कच्चामाल, उपभोग वाला भण्डार आदि को मशीनरी, उपकरण व संयंत्रों के मूल्य मं सम्मिलित नहीं किया जायेगा। विविध परिसम्पत्तियों जैसेंः कार्यालय उपकरण, विद्युत लाईन चार्जेज आदि पर सहायता देय नहीं होगी।

5. ऋण की पात्रता

1. राज्य मं दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पश्चात स्थापित होने वाली लघु, लघुत्तर एवं लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों तथा पूर्व से स्थापित लधु, लघुत्तर एवं लघु स्तहरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों का पर्याप्त विस्तार विविधीकरण व आधुनिकीकरण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को यह सुविधा प्राप्त होगी।
2. इकाई को प्रदेश के सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में लघु, लघुत्तर एवं लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम के रूप में प्रस्तावित अथवा स्थाई रूप से पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
3. स्वत वित्त पोषित उद्योगों को भी योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त होगी।
4. इस योजना के अन्तर्गत दूरस्थ एवं पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों का तात्पर्य राज्य सरकार की ''व्याज प्रोत्साहन सहायता नियमावली–2005'' में विनिर्दिष्ट/ परिभाषित दूरस्थ क्षेत्रों से है।
5. पूंजी निवेश सहायता राज्य शासन/भारत

सरकार/वित्तीय संस्थाओं आदि, जहां भी पूंजी निवेश सहायता मिलती हो, में से किसी एक स्रोत से ली जा सकेगी। इस योजना के अर्न्तगत सहायता प्राप्त करने हेतु उद्यमी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने अन्य किसी स्रोत से पूंजी निवेश सहायता नहीं ली है और न ही आवेदन किया है एवं न ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त होने पर लेंगे।

6. राज्य पूंजी निवेश सहायता की मात्रा

भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत प्रदत्त सहायता से इतर दूरस्थ एवं पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में 01.04.2005 के पश्चात स्थापित नये अथवा पर्याप्त विस्तार/विविधीकरण अथवा आधुनिकीकरण लघु/लघुत्तर इकाइयों तथा लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों को उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा मशीनरी एवं यंत्र संयंत्र पर किये गये स्थाई पूंजी निवेश का 10 प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा रू. 1.00 लाख तक होगी, राज्य पूंजी निवेश प्रोत्साहन सहायता के रूप में राज्य शासन, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

1. इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु औद्योगिक इकाई अपने को सम्बन्धित जिला के जिला उद्योग केन्द्र में योजनान्तर्गत पंजीकृत करायेगी।
2. पंजीकरण हेतु प्रस्तावित योजना का प्रारूप, प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन, वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण हेतु दिये गये आवेदन पत्र का प्रमाण–पत्र (जैसी भी स्थिति हो) जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेगा।
3. इकाई में अचल स्थाई निवेश करने के उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र पर राज्य निवेश सहायता पत्र निम्न प्रमाण पत्रों/साक्ष्यों के साथ देना होगाः–

(क) स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण–पत्र/उत्पादन प्रमाण–पत्र।

(ख) वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा स्वीकृत/ वित्तीय ऋण प्रमाण–पत्र (यदि ऋण लिया हो)

(ग) स्थाई पूंजी निवेश सम्बन्धी तिथिवार, मदवार निवेशित व्ययों की सूची एवं बिल बाउचर।

(घ) रु. 50,000.00 से अधिक का अनुदान होने पर निर्धारित प्रारूप में चार्टड एकाउन्टेंट/चार्टड इंजीनियर का

प्रमाण–पत्र।

(ड) उद्योग स्थापना हेतु अन्य सम्बन्धित विभागों से वांछित स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनापत्तियों की प्रमाणित प्रतियां।

8. अन्य

जिला उद्योग मित्र समिति द्वारा सहायता स्वीकृत होने के पश्चात् स्वीकृति की दशा में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा, जिसमेहं अनुमोदित अचल पूंजी निवेश एवं स्वीकृत अनुदान राशि का उल्लेख होगा। स्वीकृत आदेश के साथ औद्योगिक इकाई व राज्य शासन के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा, जिसका प्रारूप विभाग निर्धारित करेगा। यह अनुबन्ध राज्य शासन की ओर से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र एवं इकाई के मध्य निष्पादित किया जायेगा।

अनुबन्ध निष्पादित होने के पश्चात् अनुदान का वितरण विथ्भागीय बजट आवंटन उपलब्ध होने पर किया जायेगा। विभागीय आवंटन उपलब्ध न होने पर विलम्ब से भुगतान हेतु राज्य शासन का कोई दायित्व नहीं होगा।

औद्योगिक इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्योग चालू रखना होगा। नियंत्रण से परे कारणों के कारण उद्योग के बन्द होने या रुग्ण होने को उद्योग बन्द की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय जिला उद्योग मित्र समिति द्वारा ही लिया जायेगा।

यदि औद्योगिक इकाई द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर अथवा कोई तथ्य छुपाकर अनुदान प्राप्त कर लिया गया हो अथवा अनुदान वितरण एजेन्सी द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर ओद्योगिक इकाई द्वारा सूचना जानकारी न दी जाय, तो पूंजी निवेश सहायता की वसूली एक मुश्त तथा भू–राजस्व वसूली के सदृश की जा सकेगी।

योजना के अन्तर्गत किसी बिन्दु पर विवाद होने पर राज्य शासन का निर्णय अन्तिम व बन्धनकारी होगा।

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु निदेशक उद्योग सक्षम होंगे।

संख्याः 1644/VII/98–उद्योग/2005

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग देहरादून, दिनांकः 13 जून, 2005

विषयः पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिये विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 399/उ.नि.–पी.एम.आर.वाई.–प्लस/05–06 दिनांक 09 मई, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में लघु स्तरीय उद्योगों तथा लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, उद्योग स्थापना के लिये वित्त पोषण को बढ़ावा देने तथा लघु उद्योग क्षेत्र में स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. शासन द्वारा योजना के अनुमोदित प्रारूप एवं दिशा–निर्देश पत्र के साथ संलग्न है। आपसे कहना है कि शासन द्वारा अनुमोदित योजना एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1644/VII/98–उद्योग/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

1. स्टाफ ऑफिसर–अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल शासन।

4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उत्तरांचल।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आंचलिक कार्यालय, 1–कैन्ट रोड, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तरांचल, सचिवालय परिसर, देहरादून को राज्य सरकार की वेबसाइट में प्रसारण हेतु।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

Annexure-A

SSI inits in which the investment in fixed assets in Plant & Machinery is Rs. 5 crore.

Stationery Sector

1. Writing inks and fountain pen inks.
2. Ball point pens.
3. Fountain pens.
4. pen nibs.
5. Fountain pens and ball pens components excluding metallic tips.
6. Pencils.
7. Hand staping machine.
8. Paper pins.
9. Carbon paper.
10 Tyewriter ribbon for mechanical typewriters.
11. Hand numbering machines.
12. Pencil sharpners.
13. Pen holdefrs.

Drugs and Pharmaceuticals Sector

1. Para amoni phenol-lndl, grade.
2. Pyrazolones.
3. Benzy benzonate.
4. Niacinamide.
5. Paracetamol.
6. Methyl parabens and soudium salt starting from para hydroxy benzoic acid.
7. Ethyl parabens and sodium salt starting from para hydroxy benzoic acid.
8. Calcium gluconae.
9. Alumium hydroxide gel.

High-tech and Export Oriented Units

1. Cotton Cloth Knitte
2. Cotton vests Knitted
3. Cotton Socks Knitted
4. Cotton Under Garments knitted
5. Cotton Shawls Knitted
14. Syntheftic knitted Socks and Stocking.
15. Syntheftic knitted Undewears such Vests Brief and Drawer.
16. Syntheftic Knitted Outerwears such Art Silk/Man made Fibre Hosiery

Jersey silpovfers pullover, Cardigans and Jackefts

6. Other Cotton Knitted Wears
7. Wollen Cloth knitted
8. Wollen Vests knitted
9. Wollen Socks Knitted
10. Wollen Seaves Knitted
11. Wollen Under Garments Knitted
12. Wollen Caps knitted
13. Wollen Shawls Knitted
14. Wollen Gloves
15. Wollen Muffefrs Knitted.
16. Other Wollen Knitted Wears.
17. Synthetic Knitted Children wear such as baby suit, knicker, frock, underwear and outefr wear.
18. Synthetic Knitted Fabrics Except highile fabric made by sliver knitting and Synthetic Knitted blanketts.
19. Syntheftic Knitted swimwear such trunk and costume.
20. Synthetic Knitwear such scarf, muffer, Shawls, coties, blouse and gean.
21. Synthetic Knitted shirt, T-shirt, Collar Shirt and sports-skirts.
22. Synthetic Knitted Hose.
23. Synthetic Knitted Gas mantle fabric.

24 Othefr Syntheftic Knitwear.

17. Hacksaw Frames.
18. Pliers.
19. Screw drivers.
20. Spanners.
21. Hammers.
22. Envils.
23. Wood working saws.
24. Wrenthes.
25. Knives and Shearing blades (all types including those of matal, paper, bamboo and wood for manual operations)
26. Nail pullers.
27. Chisels.
28. Pincers.
29. Wire cutters.
30. Other hand tools for blacksmithy, carpentry, hasn forging, foundry, etc.

Annexure-B
ILLUSTRATIVE LIST OF RECOGNISED SMALL SCALE SERVICCE&BUSINESS (INDUSTRY-RELATED) ENTERPRISES (SSSBE)

1. Advertising Agencies.
2. Marketing Consultancy.
3. Industrial Consultancy.
4. Equipment renting and leasing
5. Typing Centres.
6. Photocopying Centres (Xeroxing)
7. Industrial photography
8. Industrial Testing Labs.
9. Desk Top Publishing.
10. Internet browsing/Setting up of Cyber Fafes.
11. Auto repair service and garages.
12. Documentary films on themes like, family planning, social forestry, energy conservation, commefrcial advfertising.
13. Laboratories engaged in testing of raw material, finished products.
14. "Servicing Industry" Undertaking engaged in maintenanee, repair, testing or servicing of all types of vehieles and machinery of any description including electronic/electrical equipment/instruments i.e. measuring/control instruments, televisions, tape recorders, VCRs, Radios, transformrts, motors, watches etc.
15. Laundry and Dry cleaning.
16. X-Ray Clinic.
17. Tailoring.
18. Servicing of agriculture farm equipment e.g. Tractor pump, rig, boring Machine, etc.
19. Weigh Bridge.
20. Photographic Lab.
21. Blue printing and enlargement of drawing/designs facilities.
22. ISD/STD Booths.
23. Teleprinter/Fax services.
24. Sub-Contrct Exchanges (SCXs) established by non-govefrnment industry Associations.
25. EDP institutes established by Voluntary Associtions/Non-Government Organisations.
26. Colour or Black and White Studios equipped with processing laborator.
27. Ropeways in hilly areas.
28. Installation&operation of Cable T.V. Ntwork

29. Operating EPABX under franchises.
30. Beauty Parlours and Creches.

ILLUSTRATIVE LIST OF ACTIVITIES NOT RECOGNISED AS SMALL SCALE SERVICE&BUSINESS (INDUSTRY-RELATED) ENTERPRISES (SSSBE)

1. Transportation.
2. Storage (except cold storage which is recognized as SSI)
3. Retail/Wholesale trade establishments.]
4. General Merchandize Stores.
5. Sale outlets for industrial components.
6. Health services including pathological laboratores.
7. Legal Services.
8. Educational Services.
9. Social Services.
10. Hotels.

फैसिलिटेशन काउन्सिल

लघु सतरीय औद्योगिक इकाइयों/सहायक इकाइयों को विलम्बित देय पर ब्याज आदि के भुगतान के सम्बन्ध में दीवानी वादों की प्रक्रिया के कारण इकाइयों को समय एवं धन की हानी होती है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु भारत सरकार द्वारा Interest on Delayed Payment Act, 1993 (Amended-1998) लागू किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयों/सहायक इकाइयों के विलम्बित दावों से सम्बन्धित विवादों के त्वरित निराकरण हेतु प्रदेश में राज्य स्तर पर उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज फैसिलिटेशन काउन्सिल का गठन किया गया। काउन्सिल के अन्तर्गत निम्न सदस्य शामिल होंगेः–

1.	सचिव एवं निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल	अध्यक्ष
2.	जिला विधि अधिवक्ता (सिविल), देहरादून	सदस्य
3.	सचिव, लघु उद्योग धारा नामि औद्योगिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
4.	राज्य लीड बैंकों के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	अपर निदेशक उद्योग, उत्तरांचल	सदस्य सचिव

काउन्सिल एक आर्विट्रेटर या काउन्सिलेटर की हैसियत से विवादित भुगतान प्रकरणों का अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत निर्णय करेगी। अधिनियम के अन्तर्गत शासनादेश तथा परिषद को प्रस्तुत किये जाने वाले दावों, आवेदन–पत्र का प्रारूप एवं चैक लिस्ट प्रस्तुत हैं।

उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास शाखा
संख्या 2221/औ.वि./182–उद्योग/2002
देहरादूनः दिनांक 06 नवम्बर, 2001

अधिसूचना

लघु औद्योगिक इकाइयों एवं सहायक इकाइयों को विलम्बित भुगतान पर देय ब्याज से सम्बन्धित औद्योगि अन्डरटेकिंग अधिनियम, 1993 (अधिनियम सं. 32, 1993) के अनुचछेद 7–बी में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय इण्डस्ट्रीय फैसीलिटेशन की स्थापना किये जाने हेतु रिक्तियों को भरने और कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 की शक्तियों के अधीन उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 172/18–5–2000 18(एस.पी.)/92, दिनांक 22 जनवरी, 2000 में कतिपय संशाधनोपरांत निम्न नियमों को विनियमित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज फैसीलिटेशन काउंसिल, 2001

(1) ये नियम उत्तरांचल प्रदेश इण्डस्ट्रीज फैसीलिटेशन काउंसिल, 2001 कहलायेंगे।
(2) ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई तथ्य न हों, इन नियमों में:–

(अ) ''एक्ट'' का तात्पर्य स्माल स्केल इण्डस्ट्री और सहायक इण्डस्ट्री में विलम्ब से हुए भुगतान पर ब्याज, औद्योगिक अन्डरटेकिंग अधिनियम, 1993 से है।
(ब) ''परिषद'' का तात्पर्य उपरोक्त अधिनियम के अनुच्छेद 7–ए के अधीन स्थापित उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज फैसीलिटेशन काउंसिल से है।
(स) ''सदस्य'' का तात्पर्य परिषद के सदस्य तथा अध्यक्ष से है।

3. (1) परिषद में निम्न सदस्य शामिल होंगे:–

(अ) सचिव एवं निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल	अध्यक्ष
(ब) जिला विधि अधिवक्ता (सिविल) देहरादून	सदस्य
(स) सचिव, लघ उद्योग द्वारा नामित, औद्योगिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
(द) राज्य लीड बैंकों के प्रतिनिधि	सदस्य

4. अपर निदेशक (उद्योग) अथवा सचिव, उद्योग द्वारा नामित अपर निदेशक (स्टोर एवं पर्चेज) परिषद के सचिव होंगे।
5. परिषद के निम्नलिखित कार्य होंगे:–

(अ) परिषद एक आर्विट्रेटर या काउंसिलेटर की हैसियत से उसको सन्दर्भित प्रकरणों को अधिनियम के नियम 6 के उप–नियम (1) के अनुरूप निर्णित करेगी।
(ब) परिषद का संदर्भित विवादित मामलों एवं जिनमें पक्षकार सहमत न हों या सहमति सम्भव न हो सके, ऐसे मामलों पर परिषद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वह राशि निर्धारित करेगी, जो खरीदार से आपूर्तिकर्ता को विलम्बित भुगतान व उस पर ब्याज सहित सम्मिलित होगा, यह प्रक्रिया आर्बिट्रेशन एवं काउंसिल अधिनियम, 1996 पर आधारित होगी तथा उपरोक्त सभी विवादों के लिये निर्णय (एवार्ड) लिखित रूप से परिषद घोषित करेगी।

अनुमन्य प्रक्रिया 1. (1) परिषद की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी।
(2) सदस्यों को बैठक हेतु दिनांक आदि की सूचना देने का उत्तरदायित्व सचिव परिषद का होगा।
(3) परिषद के समक्ष विचार हेतु रखे जाने के लिये सभी सन्दर्भ परिषद के सचिव द्वारा प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व होगा।

(4) नियमों के अन्तर्गत तैयार किये गये परिषद का निर्णय (एवार्ड) परिषद के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(5) ऐसी स्थिति में जहॉ परिषद के सदस्य किसी बिन्दु पर एक मत न हो तो वह निर्णय मान्य होगा, जिस पर परिषद के अधिक सदस्य सहमत हों, अर्थात ऐसी स्थिति में निर्णय बहुमत से लिया जायेगा।

आज्ञा से,

एस.कृष्णन,
सचिव।

पृष्ठांकन सं. 2221/औ.वि./182–उद्योग/2001, तद्दिनांकितः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल शासन।
2. परिषद के समस्त सदस्यगण।
3. उपनिदेश रुड़की प्रेस (राजकीय मुद्रणालय) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे उक्त अधिसूचना असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 60 प्रतियॉ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. गार्ड–फाइल।

एस.कृष्णन,
सचिव।

उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास शाखा
संख्या 101/औ.वि./01/182–उद्योग/2001
देहरादूनः दिनांक 03 दिसम्बर, 2001

ज्ञाप

उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज फैसिलिटेशन काउन्सिल के स्थापना विषयक उत्तरांचल औद्योगिक विकास शाखा द्वारा प्रख्यापित अधिसूचना संख्या 2221/औ.वि./01/182–उद्योग 2001 देहरादून दिनांक 6 नवम्बर, 2001 के अनुसार उत्तरांचल इण्डस्ट्री फैसिलिटेशन परिषद में निम्नलिखित औद्योगिक संगठनों को एतद्द्वारा नियमित सदस्य नामित किया जाता है।

1. अध्यक्ष कुमाऊँ गढ़वाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज काशीपुर, ऊद्यमसिंह नगर।
2. अध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एशोसियेशन देहरादून।

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष उत्तरांचल इंडस्ट्रीज एशोसियेशन, देहरादून को को–आप्टेड सदस्य नामित किया जाता है।

(एस.कृष्णन)
सचिव उद्योग।

उद्योग निदेशाल, उत्तरांचल, देहरादून
सं. 630/उ0नि0/01 देहरादून : दिनांक 03 दिसम्बर, 2001

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. अध्यक्ष कुमाऊँ गढ़वाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स इण्डस्ट्रीज काशीपुर, ऊद्यमसिंह नगर।
3. अध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एशोसियेशन, देहरादून।
4. अध्यक्ष उत्तरांचल इंडस्ट्रीज एशोसियेशन, देहरादून।
5. परिषद के अन्य सभी सदस्यगण।

संयुक्त निदेशक उद्योग/
नोडल अधिकारी उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

भारत सरकार द्वारा निर्गत इन्टरेस्ट ऑन डिलेटपेमेन्ट टू स्माल स्केल एण्ड एन्सिलरी इण्डस्ट्रीयल अन्डरटेकिंग्स एक्ट 1998 के तहत प्रदेश में गठित इण्डस्ट्री फेसिलिटेशन कौन्सिल के समक्ष लम्बित भुगतान के दावों की याचिका हेतु आवेदन–पत्र का निर्धारण प्रारम्भ।

क्लेग पेटीशन का प्रारूप

मैसर्स.....
.....वादी

बनाम

मैसर्स.....
.....प्रतिवादी
मैं.....आयु.....वर्ष.....
निवासी
वादि इकाई मैसर्स.....पता.....

जो एक लघु उद्योग/ एन्सिलरी इकाई है, का स्वामी/ भागीदार/ अध्यक्ष/ सचिव/ पेटीशन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत प्रस्तुत करता हूँ तथा वादी इकाई की ओर से निम्न क्लेम पेटीशन ससम्मान प्रस्तुत करता हूँ।

लघु उद्योग/अनुपूरक इकाइयों को उनके लम्बित भुगतान पर ब्याज देय करने के अधिनियम, 1999 (संशोधित) अधिनियम 32/1998 की धारा.....के अधीन क्लेम पेटीशन

प्रस्तर 1	विवाद का मुख्य कारण	
प्रस्तर 2	लघु उद्योग/एन्सिलरी इकाई का प्रमाण–पत्र	
प्रस्तर 3	लम्बित देयों के भुगतान हेतु प्रेषित नोटिस व अनुस्मारक नोटिस का साक्ष्य सहित उल्लेख	
प्रस्तर 4	यदि वाद से सम्बन्धित 'प्रतिवादी' उत्तरांचल के अतिरिक्त किसी अन्य प्रदेश का है तो वादी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र की सम्बन्धित वाद किसी न्यायालय/फोरम में प्रस्तुत नहीं किया गया है/लम्बित नहीं है। पेटीशन के साथ प्रस्तुत किया जाए।	

प्रस्तर 5	आपूर्ति आदेश या अन्य साक्ष्य की प्रति (मात्रा, दर, भुगतान की शर्त के उल्लेख सहित)	
प्रस्तर 6	मूलधन का भुगतान लम्बित होने की दशा में आपूर्ति की सामग्री का : 1. नाम 2. मात्रा 3. आपूर्ति की दिनांक 4. क्रेता द्वारा निर्गत माल प्राप्ति की (रसीद प्रति संलग्न करे)	

प्रस्तर 7	देय भुगतान में विलम्ब एवं लम्बित अवधि पर देय ब्याज का ब्यौरा आपूर्ति आदेश वार (Supply orderwise)				
आपूर्ति आदेश सं. दिनांक	प्राप्त भुगतान की			प्राप्त भुगतान मेुं विलम्ब की अवधि दर पर ब्याज दि. से.....तक.....	
	धनराशि	तिथि	विलम्ब की अवधि	ब्याज दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6

लम्बित अवशेष मूल धनराशि पर ब्याज दिनांक.....से.....तक			ब्याज की कुल देय धनराशि दि.....से.....तक (8+9)	कुल लम्बित धनराशि (मूलधन+ब्याज) (7+10)
अवशेष मूल धनराशि	विलम्ब की अवधि	ब्याज की धनराशि प्रतिशत		
7	8	9	10	11

प्रस्तर 8	क्लेम पेटीशन शुल्क रू. 1000 नकद बैंक ड्राफ्ट सं.....दिनांक.....द्वारा उत्तरांचल फेसिलिटेशन कौन्सिल के कार्यालय में जमा करने की पुष्टि	
प्रस्तर 9	अनुतोश हेतु प्रार्थना	

फेसिलिटेशन काउन्सिल की बैठक दिनांक 17.02.04 द्वारा निर्धारित चैक लिस्ट

1. क्लेम पिटीशन (8+प्रतिवादियों की संख्या के बराबर)।
2. क्लेम पिटीशन की प्रत्येक प्रति के साथ एक इन्डेक्स लगाएं। (8 प्रतियॉ)।
3. क्रेता फर्म स्तर पर देय तिथि के तीन वर्ष के अन्दर पिटीशन द्वारा 15 दिन की दी गई पंजीकृत नोटिस की प्रति (8 प्रतियॉ)।
4. दी गई नोटिस के अनुस्मारक के रूप में भेजे गये पंजीकृत पत्र की प्रतिलिपि जिसमें यह उल्लेख हो कि 15 दिन के अन्दर भुगतान न करने पर मामला फेसिलिटेशन काउन्सिल को संदर्भित कर दिया जाएगा
5. क्लेम पेटीशन 8+ प्रतिवादियों की संख्या के बराबर सेटों में प्रस्तुत किया जाए।
6. पेटीशन शुल्क रू. 1000.00 जमा करना भी सुनिश्चित करे अथवा ''उत्तरांचल इण्डस्ट्री फेसिललिटेशन काउन्सिल'' के नाम से चैक ड्राफ्ट प्रेषित करें।
7. याची अपने क्लेम पेटीशन की प्रतियॉ पंजीकृत डाक द्वारा प्रतिवादियों को सीधे भेजना सुनिश्चित करें एवं इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र पिटीशन के साथ संलग्न करें। (8 प्रतियॉ)।

   लघु स्तरीय/पूरक उद्योग के साथ में विभाग से निर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति (8 प्रतियॉ)।

   आपूर्ति आदेशों की प्रतियॉ (8 प्रतियॉ)।

   अनुबंध की प्रति जिसमें:– (8 प्रतियॉ)।

   (क) भुगतान की शर्त का उल्लेख हो।

   (ख) इंस्पेक्शन क्लाज का उल्लेख हो।

   माल प्राप्ति/स्वीकार होने का प्रमाण–पत्र

   भुगतान हेतु लम्बित धनराशि का स्पष्ट उल्लेख।

   लम्बित भुगतान पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के प्राइज लेन्डिग रेट के आधार पर देय ब्याज सहित आगणित धनराशि के ब्यौरों का क्लेम पेटीशन में स्पष्ट उल्लेख।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न अभिलेख भी आधार पर निम्न भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें:

(1) क्लेम पेटीशन की प्रत्येक प्रति सुनवाई हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

(2) चैक लिस्ट के अनुसार अभिलेखों एवं उनके एनक्जर सं. का उल्लेख करते हुए पेटीशन की प्रत्येक प्रति पर इन्डेक्स लगाए।

प्रेषक,

अपर निदेशक उद्योग,
सचिव–परिषद,
उत्तरांचल इण्डस्ट्री फेसिलिटेशन काउन्सिल,
उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल,

सेवा में,

मै.....
.....
.....
पत्रांक.....
विषयः.....को की गई आपूर्ति के लम्बित भुगतान के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय अपने पत्र सं.....दिनांक..... जो..... के माध्यम से प्राप्त हुआ है, संदर्भ लें।

इस सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि इस पत्र के साथ संलग्न ''चैक लिस्ट'' के अनुसार अपना क्लेम पेटीशन उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज फेसिलिटेशन काउन्सिल, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, सामग्री क्रय अनुभाग, देहरादून को शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं साथ ही क्लेम पेटीशन शुल्क रु. 1000.00 (रू. एक हजार मात्र) नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा ''उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज फेसिलिटेशन काउन्सिल'' के नाम से जमा/प्रेषित करें ताकि काउन्सिल द्वारा विचार किया जा सके।

संलग्नः

भवदीय

अपर निदेश उद्योग
सचिव–परिषद
उत्तरांचल इण्डस्ट्री फसिललिटेशन काउन्सिल,
उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।

पत्रांक /उपरोक्त तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, उत्तरांचल, संस्था इण्डस्ट्रीज मोहबेवाला इण्डस्ट्रीयल एरिया, देहरादून को उनके पत्र सं.....दिनांक.....के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर निदेश उद्योग
सचिव–परिषद
उत्तरांचल इण्डस्ट्री फसिललिटेशन काउन्सिल,
उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक अवस्थापना सुविधायें

उत्तरांचल राज्य के गठन के समय उद्योग स्थापना हेतु निम्न अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध थीः–

1. उद्योग निदेशालय द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानः

(अ) वृहत् औद्योगिक आस्थान

(ब) मिनी औद्योगिक आस्थान

उपरोक्त औद्योगिक आस्थानों की सूची संलग्न है। इनमें जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा आवंटन किया जाता है।

1. यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रः
2. कोऑपरेटिव औद्योगिक क्षेत्रः

उत्तरांचल राज्य में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (सिडकुल) की स्थापना की गई है। सिडकुल द्वारा निम्न औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र विकसित किये गये हैं/जा रहे हैंः–

1. एकीकृत औद्योगिक आस्थान, हरिद्वारः

बी.एच.ई.एल. हरिद्वार से लगी 1500 एकड़ भूमि में अतयाधुनिक औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की जा रही है। कई बड़ी कम्पनियां जैसे हिन्दुस्तान लीवन, एंकर, कन्ट्रोल एण्ड स्विचगियर आदि द्वारा अपना निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इस औद्योगिक आस्थान में भूमि आवंटन हेतु आवेदन–पत्र तथा नियम एवं शर्ते संलग्न है।

2. एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पन्तनगरः

पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में लगभग 3500 एकड़ भूमि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त औद्योगिक आस्थान विकसित किया जा रहा है। इस आस्थान में एग्रो पार्क, एपरल पार्क, हर्बल पार्क, बायोटेक्निकल पार्क, फार्मास्युटिकल पार्क विकसित किये जा रहे हैं। पारले, डाबर, ब्रिटानिया आदि कम्पनियों द्वारा यहां अपनी इकाई स्थापित किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

3. ग्रोथ सेन्टर कोटद्वारः

भारत सरकार की ग्रोथ सेन्टर योजना के अन्तर्गत कोटद्वार के पास लगभग 150 भूमि पर ग्रोथ सेन्टर की स्थापना की जा रही है।

4. आई.टी.पार्क, देहरादूनः

देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर 50 एकड़ भूमि पर आई0टी0पार्क की स्थापना की जा रही है।

5. एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्रः

लघु उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की आई0आई0डी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में लगभग एक–एक आई0आई0डी0 स्थापित किये जाने का प्रस्ताव

है। प्रारम्भ में देहरादून, पन्तनगर एवं हरिद्वार में आई0आई0डी0 स्थापित किये जा रहे हैं।

6. सितारंगज में औद्योगिक आस्थानः

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज में राज्य सरकार द्वारा 1500 एकड़ भूमि पर एक आधुनिक औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

7. निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों की स्थापनाः

प्रदेश की औद्योगिक नीति के अनुरूप औद्योगिक आस्थानों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों की स्थापना हेतु नीति निर्धारित की गई है, जो संलग्न है। अब तक राज्य में निजी क्षेत्र में 4 औद्योगिक आस्थानों के प्रस्ताव क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

उद्योग निदेशालय द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थान

1. वृहद विकसित औद्योगिक आस्थानः

क्र. सं.	जनपद	औद्योगिक आस्थान/स्थान का नाम	क्षेत्रफल (एकड़)
1	देहरादून	1. पटेल नगर	10.00
		2. विकास नगर	4.00
2	पौड़ी	1. सिताबपुर	7.00
		2. श्रीकोट	11.63
3	हरिद्वार	1. रुड़की	30.227
		2. रानीपुर	16.00
4	नैनीताल	1. भीमताल	7.00
5	ऊधमसिंह नगर	1. काशीपुर	19.99
		2. रुद्रपुर	11.26
6	अल्मोड़ा	1. पाताल देवी	3.3
7	बागेश्वर	1. गरुड़	6 शेड
8	पिथौरागढ़	1. विण	7.00

2. मिनी औद्योगिक आस्थानः

क्र. सं.	जनपद	औद्योगिक आस्थान/स्थान का नाम	क्षेत्रफल (एकड़)
1	देहरादून	1. रानीपोखरी	2.35
		2. छरवा	2.55
		3. रगवाड	3.22
2	पौड़ी	1. बुवारवाल	2.15
3	टिहरी	1. नागणी (चम्बा)	1.67
		2. लक्षमोली (देवप्रयाग)	1.71
		3. सरोठ (छाम)	2.57
4	चमोली	1. कालेश्वर (कर्णप्रयाग)	2.07
5	रुद्रप्रयाग	1. मटवाणी सैंण	2.50
6	उत्तरकाशी	1. मोरी	2.68
		2. डुण्डा	1.11
		3. गवाणा	1.10
		4. पुरोला	1.60
7	हरिद्वार	1. लक्सर (पिपली)	2.50
8	नैनीताल	1. बेतालघाट	2.50
9	ऊधमसिंहनगर	1. किच्छा	2.45

10	चम्पावत	1. चम्पावत (पुनेठी)	2.50
11	अल्मोड़ा	1. द्वाराहाट (ताड़ीखेत)	2.798
		2. भिकिया सैंण	2.35
		3. चिलियानौला	2.118
12	पिथौरागढ़	1. मुनस्यारी	1.906

3. यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रः

क्र. सं.	जनपद	औद्योगिक आस्थान/स्थान का नाम	क्षेत्रफल (एकड़)
1	देहरादून	1. सेलाकुई	260.00
2	टिहरी	1. ढालवाला	25.47
3	पौड़ी	1. जशोदरपुर	81.96
		2. बलभद्रपुर	26.00
4	चमोली	1. शिमली	28.85
5	हरिद्वार	1. हरिद्वार	106.13
		2. बहादराबाद	132.55
		3. लण्ढौरा	102.99
6	नैनीताल	1. भीमताल	107.85
		2. पीपलसाना	30.18
7	चम्पावत	1. शक्तिपुर	8.30
8	उद्यमसिंह नगर	1. बाजपुर–1	43.76
		2. बाजपुर–2	43.75
		3. काशीपुर	97.78
		4. हेमपुर	803.00
		5. खटीमा	25.79
9	अल्मोड़ा	1. मोहान	46.00

उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास शाखा–1
संख्या 1234/औ.वि.–1/69–उद्योग/2001
देहरादूनः दिनांक 15 जनवरी, 2002

कार्यालय–ज्ञाप

यू.पी.एस.आई.डी.सी.लि. के उत्तरांचल में स्थित औद्योगिक आस्थानों में उद्यमियों द्वारा भू–खण्ड आवंटित किए जाने हेतु प्रस्तुत किये जा रहे आवेदनों पर विचार–विमर्श हेतु सचिव, औद्योगिक विभाग, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में एक समिति निम्नानुसार गठित की जाती हैः–

1.	सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
	प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.आई.डी.सी.लि. का प्रतिनिधि (यदि प्रबन्ध निदेशक आवश्यक समझे)	सदस्य
	क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू.पी.एस.आई.डी.सी.लि., मेरठ	सदस्य
	संयुक्त निदेशक उद्योग/नोडल अधिकारी, उत्तरांचल	सदस्य
	महाप्रबन्धक, सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र (जिस जनपद में भूखण्ड स्थित हो)	सदस्य

2. उक्त समिति भूखण्ड आवंटन के प्रकरणों पर तब तक विचार करती रहेगी जब तक यू.पी.एस.आई.डी.सी.लि. की परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण उत्तरांचल राजय को नहीं हो जाता, सम्पत्तियॉ हस्तान्तरित होने के पश्चात् उक्त समिति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। उक्त समिति के सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन अन्य निर्णय लेने हेतु भी सक्षम होगा।

एस.कृष्णन,
सचिव।

पृष्ठांकनः /औ.वि.–1/69–उद्योग/2001, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समिति के समस्त सदस्यगण।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पुनीत कंसल,
अपर सचिव।

संख्या 11/औ.वि./07–उद्योग/2004

प्रेषक,

श्री संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक विकास विभाग, देहरादून दिनांक 27 जनवरी, 2004

विषयः उत्तरांचल राज्य में निजी क्षेत्र में नये औद्योगिक आस्थान केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि औद्योगिक नीति, 2003 के अन्तर्गत सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्रों, निर्यात, निर्यात क्षेत्रों, थीम पार्कों, बायोपालिस, पर्यटक स्थलों, विद्युत ऊर्जा उत्पादन, पारेषण व वितरण, सड़कों, विमानपत्तन आई.सी.डी., एकीकृत औद्योगिक नगरो, नागरिक आवस्थापनों सहित अन्य अवस्थापना क्षेत्रों क परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की सहभागिता किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति के अर्न्गत एवं प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता को देखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है कि नये औद्योगिक केन्द्रों को स्थापित करने एवं उनके विकास हेतु स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देते हुए निजी क्षेत्र, अप्रवासी भारतीयों, सावर्जनिक क्षेत्रों तथा सहकारिता, पंचायती राज, नगर पालिका परिषदों आदि को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाय। इस निमित्त राज्य उपक्रम उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (सिडकुल) देहरादून को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। नोडल एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार विभिन्न क्षेत्रों के संचालकों/व्यवसायियों आदि से विचार–विमर्श किया गया है, जिसके आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं अवस्थापना हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्धारित किये गये हैंः–

1. संस्था/व्यवसायी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 60 एकड़ भूमि तथा पर्वतीय इलाकों में न्यूनतम 30 एकड़ भूमि क्रय स्वयं करेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने हेतु प्रबन्धन करेगी।
2. इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व प्राधिकरण रेवेन्यू अथॉरिटी अग्नि शमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि द्वारा स्वीकृत/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि सम्बन्धी

जो वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होगी वह संस्था/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

3. शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु निर्गत किये गये आदेशों के अनुसार भू–उपयोग एवं (Building Bye-laws) आदि का अनुपालन किया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में (Development authority) विकास प्राधिकरण का कार्य सिडकुल सम्पादित करेगी।
4. इसके अलावा संस्था/कम्पनी को समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने वाली संस्था/कम्पनियों के पास यह विकल्प होगा कि वे सिडकुल को 11 प्रतिशत की निःशुल्क इक्यूटि उपलब्ध कराकर सिडकुल की भागीदारी प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव दे सकती है। इस स्थिति में सिडकुल संस्था को औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु यथासम्भव सहयोग प्रदान करेगा।
6. ऐसे औद्योगिक आस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं की जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था/कम्पनी होगी।
7. कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित की गयी दरों पर विपणन, विकास आदि किये जायेंगे।
8. निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान बनाने हेतु इच्छुक उद्यमी/संस्था इस आशय का आवेदन संक्षिप्त प्रोजेक्ट प्रोफाइल/प्री–फिजिवल्टी रिपोर्ट के साथ सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केनद्र के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे एवं महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र 15 दिन के अन्दर विस्तृत आख्या निदेशक उद्योग एवं सिडकुल को प्रेषित करेंगे।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकनः 11/1 /औ.वि.–1/07–उद्योग/2004, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., देहरादून।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तरांचल को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इसे उत्तरांचल वैबसाइट में प्रसारित करने का कष्ट करें।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन एवं सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

घोषित औद्योगिक एकीकृत विकास केन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक आस्थानों से भिन्न स्थलों पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय/संक्रमण के संबंध में व्यवस्था।

प्रदेश में घोषित औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक आस्थानों तथा एकीकृत अवस्थापना विकास केन्द्रों की भूमि से भिन्न स्थलों पर औद्योगिक इकाइयॉ स्थापित करने एवं ऐसे अन्य प्रयोजनार्थ भूमि क्रय के सम्बन्ध में व्यवस्था निम्नवत् हैः–

1. उत्तरांचल (उ.प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 154(4) (2) (ङ) के अनुसार कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी उत्तरांचल की औद्योगिक नीति के अनुसार (1) एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र (2) औद्योगिक क्षेत्र (3) औद्योगिक आस्थान में भूमि खरीद सकता है।
2. धारा 154 के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा निगमित निकाय उत्तरांचल में सरकार की पूर्व अनुमति से कृषि और औद्योगिकी से भिन्न अधिनियम की धारा 154(4) (3) (क) (V) में दी गयी व्यवस्थानुसार औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने एवं ऐसे अन्य प्रयोजनार्थ भूमि क्रय कर सकते हैं। औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की अनुमति के लिए व्यक्ति अथवा कम्पनी को विहित प्राधिकारी को आवेदन–पत्र वांछित प्रपत्रों सहित प्रस्तुत करना होगा।
3. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154(1) के अन्तर्गत 12.50 एकड़ से अधिक भूमि का संक्रमण प्रतिबन्धित है, किन्तु धारा 154(2) के अधीन कतिपय परिस्थितियों में उक्त सीमा से अधिक भूमि का संक्रमण राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। अतः यदि कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी धारा 154(4) (3) (क) (V) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु 12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय करना चाहता है, तो उसे उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–1 दिनांक 8 जनवरी, 1989 द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किये जाने के लिए विहित अधिकारी को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होता।

उत्तरांचल (उ.प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी, 2004 तथा उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 8 जनवरी, 1989 की प्रतियां अग्रिम पृष्ठ पर मार्गदर्शन हेतु उपलब्ध हैं।

संख्या 94/औ.वि./2004–05

प्रेषक,

श्री संजीव चोपड़ा,
सचिव,
औद्योगिक विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक विकास विभाग, देहरादूनः दिनांक 03.06.2005

विषयः औद्योगिक आस्थानों में प्लाटों/शेडों के विभाजन की प्रक्रिया एवं स्थापित उद्योगों के अतिरिक्त उपयोग में न आने वाली भूमि पर उद्योग स्थापना तथा प्रथम तल पर निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–460/18–2–2001–67 ल.उ./98 दिनांक 13.03.2001 के क्रम में उत्तरांचल राज्य हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के फलस्वरूप तथा उत्तरांचल में औद्योगिक विकास हेतु उपलब्ध भूमि की कम उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये उद्योग निदेशालय द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक आस्थानों में प्लाटों/शेड़ों के विभाजन की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा आंशिक संशोधन करते हुये निम्नवत् निर्णय लिये गये हैः–

प्लाट का विभाजनः–

(क) इकाई का भूखण्ड/शेड 800 वर्गमीटर या उससे अधिक होने की दशा में इकाई, जो अपने भूखण्ड/शेड में दूसरे उद्योग की स्थापना करेगी या किराये पर देगी, उसका क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(ख) किसी भी इकाई को भूखण्ड/शेड पर एक से अधिक किरायेदार रखने की अनुमति नहीं होगी तथा किरायेदार किसी अन्य को आंशिक रूप से किराये पर देने हेतु अधिकृत नहीं होगा।

(ग) किराये पर दिये गये भू–भाग की अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी। साथ ही किरायानामा पंजीकृत होगा। इसके अतिरिक्त वह केवल उसी कार्य को कर सकेगा, जिसके लिये मुख्यालय द्वारा अनुमोदन प्रापत किया गया है। अन्य कार्य को करने पर किरायेदारी स्वतः निरस्त हो जायेगी।

(घ) किराये के भाग में स्थापित होने वाली इकाई का उत्पाद पुरानी इकाई के उत्पाद के समान ही होमोजीनियस प्रकृति का होगा।

इकाइयों के प्रथम तल के निर्माण के सम्बन्ध में:–

(क) इकाइयों के प्रथम तल पर भवन निर्माण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति एवं सिडकुल के जनरल डेवलपमेंट कन्ट्रोल रेगुलेशन (जी.आर.डी.सी. –2004) के तहत सक्षम प्राधिकरण के निर्धारित मानकों के अनुरूप होगा। निर्मित भवन की कुल ऊँचाई किसी भी दशा में 10 मिटर से अधिक नहीं होगी।

(ख) इकाई के भूखण्ड के प्रथम तल पर केवल भूतल पर स्थापित उद्योग के अनुरूप लाइट इंजीनियरिंग के कार्य, निरीक्षण, परीक्षण आदि ऐसे तत्सम्बन्धी गतिविधियों के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाया जायेगा।

(ग) जीर्ण–शीर्ण शेड़ों के पुनर्निर्माण हेतु इकाई द्वारा निर्माण कार्य सक्षम प्राधिकरण/प्राधिकृत अधिकारी विनियमित क्षेत्र जो भी लागू हों, स्थानीय बायोलॉज एवं नार्मस के अनुसार कराया जायेगा तथा जिस कार्य हेतु अनुमति प्रदान की गई है, वही कार्य प्रस्तावित कार्यशाला भवन में किया जायेगा। औद्योगिक आस्थानों में भूखण्डों/शेड़ों को किराये पर दिये जाने की अनुमति एवं इकाई के प्रथम तल पर भवन निर्माण की अनुमति अन्य किसी भी प्रकार का परिवर्तन इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है, समुचित प्रस्ताव उद्योग निदेशक को स्वीकृत/अनुमोदन के लिये भेजे जायेंगे तथा उद्योंग निदेशालय का अनुमोदन प्राप्त होने पर कार्य निष्पादित किया जायेगा। सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उक्त प्राविधानों/नियमों को सुनिश्चित कराने हेतु प्राधिकृत होंगे।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।
औद्योगिक विकास।

पृष्ठांकनः 94/औ.वि./2005–06 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., देहरादून।
3. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।
औद्योगिक विकास।

राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल)

राज्य में अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से सम्पादित कराये जा रहे हैं। उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराना तथा अवस्थापना विकास का कार्य राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) द्वारा प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य के लिये घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज तथा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित करने, पूँजी निवेश आकर्षित करने तथा मैत्रीपूर्ण उद्योग नीति के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य, निवेशकों हेतु एक अत्यन्त आकर्षक एवं उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है तथा उद्यमियों द्वारा राज्य में उद्योगों की स्थापना की अभिरूचि निरन्तर दर्शायी जा री है। प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों एवं बड़े तथा नव उद्यमियों द्वारा राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तीव्रगति से जारी है।

राज्य में निवेश के विभिन्न ऑकड़ों एवं प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार वर्तमान तक 2033 इकाइयों में रू. 9554 करोड़ का पूंजी विनियोजन तथा 120202 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने सम्भावित है। राज्य में नई औद्योगिक नीति के घोषणा के उपरान्त वर्तमान तक समुचित पूंजी निवेश की 260 से अधिक इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। इन इकायों में रू. 528 करोड़ के पूंजी विनियोजन के साथ 14172 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुये हैं।

- उद्यमियों को औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध कराने एवं औद्योगिक आस्थानों मुं अवस्थापना विकास कार्यों, यथा सड़कों का निर्माण, विद्युत सब स्टेशनों की स्थापना तथा अन्य अवस्थापना विकास सुविधाओं हेतु शासन द्वारा वर्ष 2005–06 में कुल रू. 70 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई।
- उद्योगों को आधुनिक सुविधा युक्त औद्योगिक आस्थान उपलब्ध कराने हेतु जनपद हरिद्वार में एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। वर्तमान तक 785 एकड़ भूमि 509 औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराई गई हैं। इन इकाइयों में रू. 2250 करोड़ का पूंजी विनियोजन एवं 34500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होना सम्भावित है। वर्तमान तक इस औद्योगिक क्षेत्र में 39 औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। अन्य इकाइयॉ स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं।
- पन्तनगर में विकसित एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र में अब तक 320 इकाइयों को 658 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इन इकाइयों में रू. 1590 करोड़ का पूंजी विनियोजन एवं 26475 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वर्तमान तक 17 इकाइयॉ, जिनमें रू. 180 करोड़ से अधिक पूंजी विनियोजन हुआ है तथा

2700 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है, द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। अन्य इकाइयॉ स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं।

- राज्य में लघु औद्योगिक इकाइयों के विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं युक्त एकीकृत अवसंरचनात्मक केन्द्रों (IID'C) की स्थापना अधिक औद्योगिक सम्भावना वाले क्षेत्रों, यथाः देहरादून, हरिद्वारा व पंतनगर में की जा रही है। इन केन्द्रों की स्थापना के लिये भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा भूमि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास को गति देने के दृष्टि से सिगड्डी, कोटद्वार में रू. 27 करोड की लागत से विकास केन्द्र की स्थापना 100 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। विकास केन्द्र की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा रू. 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। अतः राज्य सरकार से इसमें अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
- राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में त्वरित विकास हेतु प्रयत्नशील है। सिडकुल द्वारा देहरादून में सहस्त्रधारा रोड़ पर 60 एकड़ भूमि में आई.टी. पार्क विकसित किया जा रहा है। इस आई.टी. पार्क में 3–4 लाख मिलियन स्क्वायर फिट निर्मित एरिया दो साईबर टावरों के साथ, जिसमें एक लाख से अधिक स्क्वायर फिट बिल्ट–अप एरिया उद्यमियों हेतु प्लग एण्ड प्ले के रूप में उपलब्ध होगा, बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक पार्क की 40 एकड़ भूमि में औद्योगिक इकाइयों हेतु प्लाट भी उपलब्ध कराये जायेंगे। वर्ष 2005–06 में आई. टी. पार्क हेतु रू. 40 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।
- जनपद देहरादून के औद्योगिक क्षेत्र, सेलाकुई में 50 एकड़ भूमि पर फार्मा सिटी का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में 20 इकाइयॉ, जिनमें रू. 175 करोड़ के पूंजी निवेश प्रस्तावित हैं, उत्पादन के विभिन्न चरणों में है। इन इकाइयों में 3727 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हुआ है।
- राज्य में अवस्थापना विकास मं सुयुक्त क्षेत्र/निजी क्षेत्र की सहभागिता की नीति के अन्तर्गत ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं देहरादून में सिडकुल, उद्योग संघों एवं निजी उद्यमियों के सहयोग एवं भागीदारी से 20 औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गई है। इन औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में 725 एकड़ उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु उपलब्ध होगी।

उद्योग निदेशालय के नियंत्रणाधीन मुख्य याजनायें एवं कार्यकलाप

कार्यरत वृहत एवं मध्यम तथा लघु उद्योग

राज्य में वृहत एवं मध्यम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित होने वाले उद्योगों को एल0ओ0आई0/एम0ओ0यू0 आदि भारत सरकार की नीति के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं। राज्य की नई औद्योगिक नीति एवं भारत सरकार के विशेष पैकेज के फलस्वरूप राज्य में वृहत उद्योगों/औद्योगिक घरानों ने उद्योगा स्थापना में रुचि दर्शाई है। अब तक स्थापित एवं कार्यरत वृहत एवं मध्यम उद्योगों की संख्या निम्नवत हैः

वृहत एवं मध्यम उद्योगों की संख्या

क्र. सं.	जनपद का नाम	कार्यरत इकाइयों की संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ रू. में)	रोजगार
1	देहरादून	43	213.28	5555
2	पौड़ी	21	160.87	1258
3	टिहरी	4	6.59	226
4	हरिद्वार	37	13794.92	25393
5	नैनीताल	7	838.05	3424
6	बागेश्वर	1	9.97	539
7	ऊधमसिंहनगर	47	1064.10	10594
	योगः	160	16087.60	46993

लघु उद्योगों की स्थापनाः

लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय के अधीन जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से राज्य में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, नव उद्यमियों को सूचनायें एवं मार्गदश्नन, लघु उद्योग इकाइयों को फेसिलिटेशन, अवस्थापना सुविधायें एवं विपणन सुविधाऐं उद्योग निदेशालय के अधीन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में वर्ष 2004–05 में कुल 735 के लक्ष्य के विरूद्ध 749 लघु औद्योगिक इकाईयॉ एक लाख से अधिक पूंजी विनियोजन वाली स्थापित की गई, जिनमें कुल पूंजी विनियोजन रू. 5090.65 लाख है एवं 2934 को रोजगार प्राप्त हुआ। यह बीस–सूत्रीय कार्यक्रम का बिन्दु है। अतः बीस–सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन इकाइयों की स्थापना का शत–प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किया गया। एक लाख से कम पूंजी विनियोजन की भी 2066 लघु औद्योगिक इकाईयॉ स्थापित हुई हैं। जिसमें रू. 6.83 लाख का पूंजी विनियोजन हुआ 3712 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। वर्ष 2005–06 में भी बीस–सूत्रीय

कार्यक्रम के अधीन एक लाख से अधिक पूंजी विनियोजन वाली इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 में जनपदवार स्थापित इकाइयों की संख्या का चार्ट आगे निम्नवत् दिया गया है।

एक लाख से अधिक पूंजी विनियोजन वाली स्थापित लघु इकाइयों की संख्या

क्र. सं.	जनपद	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1	नैनीताल	60	63	105
2	ऊधमसिंहनगर	100	100	100
3	अल्मोड़ा	40	40	100
4	पिथौरागढ़	40	41	103
5	बागेश्वर	25	28	100
6	चम्पावत	25	26	104
7	देहरादून	95	95	101
8	पौड़ी	80	80	100
9	टिहरी	60	62	103
10	चमोली	40	40	100
11	उत्तरकाशी	40	40	100
12	रुद्रप्रयाग	30	32	107
13	हरिद्वार	100	104	104
	योगः	735	749	102

एक लाख से अधिक पूंजी विनियोजन वाली स्थापित इकाइयों की संख्या

वर्ष 2006–07

क्र. सं.	जनपद	लक्ष्य	उपलब्धि
1	नैनीताल	75	75
2	ऊधमसिंहनगर	160	160
3	अल्मोड़ा	47	47
4	पिथौरागढ़	45	46
5	बागेश्वर	28	28
6	चम्पावत	28	28
7	देहरादून	140	141
8	पौड़ी	100	101
9	टिहरी	68	73

10	चमोली	42	42
11	उत्तरकाशी	42	42
12	रुद्रप्रयाग	35	36
13	हरिद्वार	160	162
	योगः	**970**	**981**

एक लाख से अधिक पूंजी विनियोजन वाली स्थापित इकाइयों की संख्या

क्र. सं.	जनपद	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1	नैनीताल	70	70	100
2	ऊधमसिंहनगर	125	125	100
3	अल्मोड़ा	45	45	100
4	पिथौरागढ़	42	44	104
5	बागेश्वर	27	27	100
6	चम्पावत	27	28	103
7	देहरादून	115	121	105
8	पौड़ी	95	95	100
9	टिहरी	65	72	110
10	चमोली	41	41	100
11	उत्तरकाशी	41	41	100
12	रुद्रप्रयाग	32	33	103
13	हरिद्वार	125	127	101
	योगः	850	869	102

एक लाख से कम पूंजी विनियोजन वाली स्थापित इकाइयों की संख्या वर्ष 2004–05

क्र.सं.	जनपद	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1	नैनीताल	175	150	86
2	ऊधमसिंहनगर	300	206	69
3	अल्मोड़ा	200	200	100
4	पिथौरागढ़	150	151	101
5	बागेश्वर	50	50	100
6	चम्पावत	50	50	100
7	देहरादून	250	250	100
8	पौड़ी	200	200	100

9	टिहरी	175	175	100
10	चमोली	140	140	10
11	उत्तरकाशी	140	141	101
12	रुद्रप्रयाग	50	52	104
13	हरिद्वार	300	301	100
	योगः	2180	2066	95

एक लाख से कम पूंजी विनियोजन वाली स्थापित इकाइयों की संख्या वर्ष 2005–06

क्र.सं.	जनपद	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1	नैनीताल	175	175	100
2	ऊधमसिंहनगर	300	252	84
3	अल्मोड़ा	200	200	100
4	पिथौरागढ़	150	103	68
5	बागेश्वर	50	50	100
6	चम्पावत	50	50	100
7	देहरादून	250	252	101
8	पौड़ी	200	200	100
9	टिहरी	175	175	100
10	चमोली	140	140	100
11	उत्तरकाशी	140	140	100
12	रुद्रप्रयाग	50	50	100
13	हरिद्वार	300	301	100
	योगः	2180	2088	96

भारत सरकार द्वारा कराई गई लघु उद्योगों की तृतीय गणनाः

भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर प्रारम्भ से मार्च, 2001 तक पंजीकृत समस्त लघु उद्योगों की गणना कराई गई इस प्रकार कुल 27385 पंजीकृत इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 15282 इकाईयॉ कार्यरत पाई गई। लघु उद्योगों की तृतीय गणना की राज्य स्तरीय रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें प्रत्येक जनपद में स्थापित इकाइयों संख्या, सर्विस व बिजनेस इकाईयॉ, अनुपूरक इकाईयॉ, महिला उद्यमी, कार्य की प्रकृति, अनुसूचत जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग द्वारा स्थापित इकाईयॉ, बीमार इकाईयॉ, रोजगार सृजन, पूंजी निवेश, निर्यात आदि विभिन्न सूचनायें दी गई हैं। यह पुस्तिका प्रकाशित की जा चुकी है।

कुल कार्यरत पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या

क्र. सं.	जनपद	वर्ष 2005–06 कुल कार्यरत पंजीकृत लघु उद्योग
1	उत्तरकाशी	2607
2	चमोली	1839
3	रुद्रप्रयाग	770
4	टिहरी	2279
5	देहरादून	4019
6	पौड़ी	3016
7	हरिद्वार	4318
8	पिथौरागढ़	1525
9	बागेश्वर	669
10	अल्मोड़ा	2270
11	चम्पावत	465
12	नैनीताल	1704
13	ऊधमसिंहनगर	2175
	योगः	27656

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

केन्द्र पुरोनिधानित इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों का बैंकों के माध्यम से ऋण अनुदार सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें स्वतः रोजगार स्थापित कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रू. 2 लाख तक की परियोजना एवं व्यवसाय में रू. 1 लाख तक की लागत के प्रोजैक्ट हेतु उद्यमियों की राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में सहायता प्रदान करायी जाती है। इस योजना में उत्तरांचल राज्य की प्रगति देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में से है तथा ऋण की वसूली का प्रतिशत भी अन्य राज्यों से अधिक है। वर्ष 2004–05 में योजना के अन्तर्गत 7000 के लक्ष्य क सापेक्ष 7435 लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत किये गये, इसमें से 6215 लाभार्थियों को रू. 4206.15 लाख का ऋण वर्ष के अन्त तक वितरित किया जा चुका है। योजना की सफलता देखते हुये वर्ष 2005–06 से भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल हेतु स्वतः रोजगार का लक्ष्य बढ़ाकर 8000 निर्धारित किया गया है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 तथा वर्ष 2005–06 की उपलब्धियों की तालिका आगे दी गई है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

वर्ष 2004–05

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. सं.	जनपद	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण		वितरित ऋण		स्विकृति का प्रतिशत	वितरित का प्रतिशत
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि		
1	नैनीताल	850	830	626.20	767	485.73	98	90
2	ऊधमसिंहनगर	970	934	673.60	868	638.36	96	89
3	अल्मोड़ा	620	679	451.03	589	366.16	110	95
4	पिथौरागढ़	430	481	312.65	415	269.75	112	97
5	बागेश्वर	170	141	150.15	180	134.25	106	95
6	चम्पावत	240	243	177.44	215	139.85	101	90
7	देहरादून	990	1128	846.00	976	683.20	114	99
8	पौड़ी	520	573	469.78	436	327.16	110	84
9	टिहरी	430	466	338.91	427	302.94	108	100
10	चमोली	400	430	265.78	338	204.81	108	85
11	उत्तरकाशी	280	315	197.52	240	150.41	113	89
12	रुद्रप्रयाग	130	154	115.74	131	96.76	118	101
13	हरिद्वार	970	1021	126.44	621	406.77	105	64
	योगः	**7000**	**7435**	**5359.25**	**6215**	**4206.15**	**105**	**89**

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

वर्ष 2005–06(मार्च 06)

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. सं.	जनपद	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण		वितरित ऋण		स्विकृति का प्रतिशत	वितरित का प्रतिशत
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि		
1	नैनीताल	987	952	725.20	834	516.93	96	84
2	ऊधमसिंहनगर	1075	947	687.06	834	576.25	88	78
3	अल्मोड़ा	711	747	496.00	596	360.00	105	84
4	पिथौरागढ़	178	211	184.60	205	163.74	119	115
5	बागेश्वर	489	558	356.20	446	290.87	114	91
6	चम्पावत	267	301	232.30	274	185.22	113	103
7	देहरादून	1155	1215	911.25	970	697.00	105	84
8	पौड़ी	578	661	550.65	495	384.37	114	86
9	टिहरी	444	529	394.06	483	329.97	119	109
10	चमोली	471	530	380.49	388	271.48	113	82
11	उत्तरकाशी	356	395	240.14	307	176.20	111	86
12	रुद्रप्रयाग	178	208	160.46	184	135.02	117	103
13	हरिद्वार	1111	1154	763.49	729	486.22	103	66
	योगः	**8000**	**8408**	**6081.88**	**6745**	**4573.27**	**105**	**84**

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

वर्ष 2006–07

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. सं.	जनपद	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण		वितरित ऋण		स्विकृति का प्रतिशत	वितरित का प्रतिशत
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि		
1	नैनीताल	987	849	623.50	657	423.35	**86**	**67**
2	ऊधमसिंहनगर	1075	788	630.40	663	506.95	**73**	**62**
3	अल्मोड़ा	711	629	447.26	485	329.38	**88**	**68**
4	पिथौरागढ़	178	223	197.19	197	161.44	**125**	**111**
5	बागेश्वर	489	456	357.25	422	325.75	**93**	**86**
6	चम्पावत	267	294	257.79	269	207.36	**110**	**101**
7	देहरादून	1155	1221	915.75	932	652.40	**106**	**81**
8	पौड़ी	578	667	530.76	472	376.49	**115**	**82**

9	टिहरी	444	521	425.87	464	351.25	**117**	**105**
10	चमोली	471	470	352.91	401	307.43	**100**	**85**
11	उत्तरकाशी	356	403	266.58	323	197.83	**113**	**91**
12	रुद्रप्रयाग	178	204	176.55	184	159.25	**115**	**103**
13	हरिद्वार	1111	1047	713.90	749	457.75	**94**	**67**
	योगः	**8000**	**7772**	**5895.71**	**6218**	**4456.63**	**97**	**78**

प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रगति का बैंकवार वर्गीकरण

वर्ष 2005–06

क्र. सं.	बैंक का नाम	बैंक को भेजे गये आवेदन पत्र	बैंक द्वारा स्वीकृत संख्या	वितरित संख्या
1	भारतीय स्टेट बैंक	5936	3968	3363
2	पंजाब नेशनल बैंक	2741	1418	1095
3	केनरा बैंक	476	310	292
4	बैंक आफ इण्डिया	197	91	79
5	सेन्ट्रल बैंक	412	222	165
6	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	280	122	98
7	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	417	264	218
8	ओ.बी.सी.	552	293	186
9	इण्डिया ओवरसीज बैंक	284	160	115
10	बैंक आफ बडौदा	973	599	459
11	इलाहाबाद बैंक	265	169	133
12	यूको बैंक	312	188	144
13	स्टेट बैंक आफ पटियाला	135	62	49
14	नैनीताल बैंक	609	471	293
15	विजया बैंक	15	9	6
16	देना बैंक	7	0	0
17	इण्डियन बैंक	17	8	5
18	स्टेट बैंक आफ बीकानेर,जयपुर	7	5	3
19	सिन्डीकेट बैंक	69	33	29
20	बैंक आफ महाराष्ट्र	8	0	0
21	कार्पोरेशन बैंक	15	11	9
22	यूनाईटैड बैंक आफ इण्डिया	2	2	1
23	आन्ध्र बैंक	5	3	3
24	यू.टी.आई.	0	0	0
25	यू.डी.एफ.सी.	0	0	0
26	कर्नाटक बैंक	1	0	0
27	बैंक ऑफ सौराष्ट्र	0	0	0
	योग :	13735	8408	6745

प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस–2005

राज्य में वर्ष 2005–06 में नई योजना के रूप में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस–2005 योजना प्रारम्भ की गई है, ताकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के जो सफल लाभार्थी हैं, उनके कार्य को और आगे विस्तारित किया जाय। योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश 315 लाभार्थियों की धनराशि रू. 716.86 लाख के आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को प्रेषित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष अब तक 162 लाभार्थियों को धनराशि रू. 281.38 लाख का ऋण स्वीकृत कर 115 लाभार्थियों को धनराशि रू. 176.49 लाख वितरित किया जा चुका है।

पी.एम.आर.वाई. प्लस की तालिका

क्र. सं.	जनपद	स्वीकृत ऋण		वितरित ऋण	
		संख्या	धनराशि (लाख रू. में)	संख्या	धनराशि (लाख रू. में)
1	नैनीताल	20	56.06	10	20.14
2	ऊधमसिंहनगर	15	26.00	8	17.22
3	अल्मोड़ा	10	20.90	4	10.10
4	बागेश्वर	4	22.93	2	5.84
5	पिथौरागढ़	15	17.65	12	11.65
6	चम्पावत	14	19.60	13	15.57
7	देहरादून	25	43.00	18	31.00
8	पौड़ी	11	20.22	11	20.22
9	टिहरी	20	17.49	19	16.81
10	चमोली	7	7.10	3	3.10
11	उत्तरकाशी	2	2.30	2	2.30
12	रुद्रप्रयाग	3	2.00	1	0.50
13	हरिद्वार	16	26.13	12	22.04
	योगः	**162**	**281.38**	**115**	**176.49**

पी.एम.आर.वाई. प्लस की तालिका

वर्ष 2006–07

क्र. सं.	जनपद	स्वीकृत ऋण		वितरित ऋण	
		संख्या	धनराशि (लाख रू. में)	संख्या	धनराशि (लाख रू. में)
1	नैनीताल	22	41.05	17	24.05
2	ऊधमसिंहनगर	13	36.50	9	26.80
3	अल्मोड़ा	25	65.28	23	46.63
4	बागेश्वर	16	50.24	16	34.50
5	पिथौरागढ़	17	26.20	15	23.24
6	चम्पावत	16	25.25	15	22.60
7	देहरादून	35	116.06	20	82.06
8	पौड़ी	14	18.41	12	15.46
9	टिहरी	23	21.96	23	21.91
10	चमोली	3	2.25	3	2.25
11	उत्तरकाशी	8	14.69	6	9.37
12	रुद्रप्रयाग	2	1.30	2	1.30
13	हरिद्वार	19	29.11	12	20.15
	योगः	**213**	**448.30**	**173**	**330.32**

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का स्वरूप

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन युवाओं को लघु उद्योग स्थापित करने एवं लघु उद्योगों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं उद्यमियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती हैं और इसके आधार पर अपने उद्यम के चयन, सरलता पूर्वक स्थापना एवं संचलान हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण सूचना श्रोतों की जानकारी भी उन्हें मिलती है।

राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार परिषद

उद्यमिता विकास के कार्यक्रमों के विकास, नियोजन एवं क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति में शासन द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सलाहकार नामित किये गये हैं। समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों को जनपदों में आयोजित किये जा रहे उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित रूप से आमंत्रित किया जा रहा है।

प्रदेश में शिक्षित युवाओं की बड़ी संख्या है, जिन्हें समुचित जानकारी एवं मार्गदर्शन देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वेतन आधारित सेवाओं में रोजगार की सीमित संभावनाओं संभावनाओं को देखते हुये उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने में बेरोजगारी की विकट समस्या का न केवल समुचित समाधान होता है, अपितु प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी तेजी आती है। तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर मुख्य चुने हुये स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम विभाग द्वारा संपादित किये जाते हैं, ताकि भावी व उत्साही उद्यमियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु प्रारम्भिक प्रशिक्षण, औद्योगिक जागृति व मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न उद्यम स्थापित करने हेतु जागरूकता, अभिप्रेरण, मार्गदर्शन तथा उद्योग स्थापना एवं उद्यम प्रबन्ध में प्रारम्भिक प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिया जाता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को अधिकाधिक उपयोगी बनाने एवं इनकी गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से राज्य में स्थापित विशिष्ट संस्थाओं जैसे आई.आई.टी. रुड़की, पतंनगर विश्वविद्यालय, ई.एस.टी.सी. आदि का भी सहयोग लिया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों जैसे निसीएट, नीसबड तथा स्थानीय स्तर पर भी प्रबन्ध एवं कार्यशैली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राज्य उद्यमिता विकास सलाहकार समिति की देखरेख में इन कार्यक्रमों को और अधिक कारगर बनाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में निम्न अवयव सम्मिलिहत हैंः–

- विशिष्ट तकनीकी शोध, विकास एवं अन्य विशिष्ट संस्थाओं का समुचित सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रमों का आयोजन।
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अंग के अधीन जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों, सहायक प्रबन्धक स्तरीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
- उद्यमियों तथा प्रशिक्षको का फील्ड विजिट, जिसमें औद्योगिक दृष्टि से सफल औद्योगिक कलस्टरों एवं आदर्श उद्यमिता संस्कृति के क्षेत्रों का भ्रमण।
- जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमियों के लिये आवश्यक सामयिक साहित्य, सूचना एवं नवीनतम प्रशिक्षण तकनीक एवं उपकरणों से सुसज्जित करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार आयोजित किये जा रहे हैंः–

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रत्येक जनपद में आवश्यकतानुसार तीन दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस कार्यक्रम में 15–20 व्यक्तियों के समूह में उद्योग स्थापना संबंधी जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

द्विसाप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम यथासम्भव किसी विशिष्ट उद्योग के लिये 15–20 उद्यमियों के समूह में आयोजित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम प्रायः तकनीकी ज्ञान व मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आयोजित किये जा रहे हैं। इन्हें विशिष्ट तकनीकी संस्थाओं, जैसे आई.आई. टीह/इंजीनियरिंग कालेज, पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, ई.एस.टी.सी. आदि अन्य विभिन्न तकनीकी संस्थाओं से तथा जनपदों में योग्य एवं अनुभवी संस्थाओं के माध्यम से आवश्यकतानुसार सम्पादित कराये जाने का प्राविधन रखा गया है।

चार साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

उद्यमिता प्रशिक्षण हेतु उद्यमिता के क्षेत्र में शीर्ष राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संस्थाओं जैसे उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थान, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ इण्टरप्रीनियरशिप गुवाहाटी, आसाम आदि से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में 20–25 व्यक्तियों के समूह को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्य में लगे फील्ड स्टाफ तथा जनपद के महाप्रबन्धक, सांख्यिकी सहायक, सहायक प्रबंधक, अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) आदि को प्रदेश में व प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय स्तर के उच्च कोटी तथा प्रबन्धकीय व तकनीकी संस्थाओं के अधीन उद्योगों की आधुनिक व प्रबन्धन में प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे उद्यमियों को आधुनिक परिवेश में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न राजकीय अथवा प्रतिष्ठित संस्थान जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फार इंटरपिन्योरशिप एण्ड स्माल विजनिस उवलपमेन्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग आदि के तत्वाधान में आयोजित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2004–05 में 102 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया तथा वर्ष 2005–06 में अब तक 81 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

वर्ष 2004–05 आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	जनपद	तीन दिवसीय		द्विसाप्ताहिकी		छः सप्ताहिकी	
		कार्यक्रम सं.	प्रशिक्षित सं.	कार्यक्रम सं.	प्रशिक्षित सं.	कार्यक्रम सं.	प्रशिक्षित सं.
1	नैनीताल	5	176	2	36	1	25
2	ऊधमसिंहनगर	4	129	1	20	1	28
3	अल्मोड़ा	5	167	1	20	1	25
4	पिथौरागढ़	10	224	0	0	1	22
5	बागेश्वर	4	226	1	25	0	0
6	चम्पावत	8	219	1	30	0	0
7	देहरादून	5	255	1	25	0	0
8	पौड़ी	5	181	1	25	1	26
9	टिहरी	9	325	2	50	1	25
10	चमोली	9	217	1	20	0	0
11	उत्तरकाशी	6	289	0	0	1	25
12	रुद्रप्रयाग	8	226	1	24	0	0
13	हरिद्वार	6	147	1	40	0	0
	योगः	**84**	**2821**	**13**	**315**	**7**	**176**

वर्ष 2005–06 आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	जनपद	तीन दिवसीय		द्विसाप्ताहिकी		चार सप्ताहिकी	
		कार्यक्रम सं.	प्रशिक्षित सं.	कार्यक्रम सं.	प्रशिक्षित सं.	कार्यक्रम सं.	प्रशिक्षित सं.
1	नैनीताल	11	445	3	63	1	27
2	ऊधमसिंहनगर	4	117	1	22	0	0
3	अल्मोड़ा	9	372	1	25	1	25
4	पिथौरागढ़	8	186	2	52	0	0
5	बागेश्वर	6	189	2	37	0	0
6	चम्पावत	11	272	1	27	0	0
7	देहरादून	6	215	1	25	0	0
8	पौड़ी	11	226	1	24	1	25
9	टिहरी	9	303	2	46	1	28
10	चमोली	9	250	1	54	0	0
11	उत्तरकाशी	9	435	2	50	1	26
12	रुद्रप्रयाग	11	272	4	99	0	0
13	हरिद्वार	11	261	3	65	1	25
	योगः	**115**	**3543**	**24**	**589**	**6**	**156**

वर्ष 2006–07 में आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

क्र.सं.	जनपद	जनपदवार व्यय (लाख रू. में)	तीन दिवसीय		द्विसप्ताहिकी		चार सप्ताहिकी		योग	
			कार्यक्रम	प्रशिक्षित सं.	कार्यक्रम	प्रशिक्षित सं.	कार्यक्रम	प्रशिक्षित सं.	कार्यक्रम	प्रशिक्षित सं.
1	नैनीताल	2.11	11	388	3	69	1	26	15	483
2	ऊधमसिंहनगर	2.50	8	270	3	80	1	25	12	375
3	अल्मोड़ा	1.73	8	420	1	32	0	0	9	452
4	पिथौरागढ़	3.12	10	298	4	115	2	68	16	481
5	बागेश्वर	0.88	9	313	1	20	0	0	10	333
6	चम्पावत	4.00	6	133	2	121	2	49	10	303
7	देहरादून	3.00	8	322	3	126	3	77	14	525
8	पौड़ी	3.90	22	462	3	84	1	26	26	572
9	टिहरी	3.52	8	214	7	177	1	28	16	419
10	चमोली	3.85	12	277	4	100	2	64	18	441
11	उत्तरकाशी	3.85	14	376	5	147	2	53	21	576
12	रुद्रप्रयाग	1.54	8	179	1	20	1	28	10	227
13	हरिद्वार	4.41	12	291	3	73	3	83	18	447
	योगः	**38.41**	**136**	**3943**	**40**	**1164**	**19**	**527**	**195**	**5634**

उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें

इस योजनान्तर्गत उत्तरांचल की औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने, आई.एस.ओ. (9000–14000) प्रमाण–पत्र प्राप्त करने तथा पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु निम्न सीमा तक सहायता देने विषयक कार्यक्रमों को समन्वित किया गया है।

1. आई.एस.ओ. प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 2 लाख।
2. पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन हेतु व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 2.00 लाख।
3. प्रदूशण नियंत्रण साधनों के उपयोग पर प्रोत्साहन स्वरूप सहायता व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.00 लाख।

वर्तमान समय में इकाईयॉ स्थापनाधीन हैं, अतः आगामी वर्ष में इकाईयॉ अधिक संख्या में इस लाभ को प्राप्त कर सकेंगी।

पर्वतीय एवं दूरस्थ स्थानों हेतु विशेष राज्य पूंजी उपादान

पर्वतीय एवं दूरस्थ स्थानों पर औद्योगों पर ओद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शासन द्वारा विशेष राज्य पूंजी उपादान योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1 लाख तक की धनराशि पूंजी उपादान के रूप में अनुमन्य होगी।

एक मुश्त समाधान योजना

विभिन्न विभागीय ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वितरित की गई धनराशि की वसूली एवं उद्यमियों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत मूलधन की वसूली को सुनिश्चित करने हेतु ब्याज में 75 प्रतिशत तक छूट दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

परिवहन सहायता योजना

पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को परिवहन लागत कम करने के दृष्टिकोण से शत–प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित इस योजना के अन्तर्गत इकाइयों को निकटतम रेलवे

शीर्ष से कार्यशाला तक कच्चामाल लाने तथा तैयार माल विक्रय हेतु ले जाने पर हुये परिवहन व्यय का निर्धारित दरों पर 75 प्रतिशत तक सीमा तक धनराशि की प्रतिपूर्ति उपादान के रूप में की जाती है। योजना की अवधि भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2007 तक बढ़ाई जा चुकी है तथा इकाइयों के मामलों में अब उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से उपादान स्वीकृत किया जा रहा है।

औद्योगिक मेल, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमिनार व प्रचार–प्रसार

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों, हथकरघा एवं हस्तशिल्पियों को विपणन प्रोत्साहन तथा प्रचार की दृष्टि से राज्य के जनपदों में पारम्परिक मेलों, शरदोत्सव, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय मेले, प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाती है। जनपद स्तर पर आयोजित औद्योगिक प्रदर्शनियों व शरदोत्सव के अलावा वर्ष 2004–05 में प्रगति मैदान नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2003 तथा अप्रवासी भारतीय दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया गया। इसके अलावा देहरादून में परेड ग्राउण्ड में उत्तरांचल फेयर क्राफ्ट बाजार आदि आयोजित किया गया। ओ0एन0जी0सी0 स्टेडियम में विरासत 2004 के अवसर पर स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो का आयोजन किया गया। हरिद्वार में कुम्भ मेले के अवसर पर विभाग द्वारा हथकरघा हस्तशिल्प एवं खादी की प्रदर्शनी आयोजित की गयी है। वर्तमान वर्ष 2005–06 में भी उक्त कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले प्रगति मैदान, नई दिल्ली में पार्टनर स्टेट के रूप में भाग लिया गया। राज्य क पैवेलियन को विशेष प्रशंसा पुरूस्कार प्राप्त हुआ है। अप्रवासी भारतीय मेले मुम्बई में विभाग द्वारा भाग लिया गया है व विभिन्न राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के अलावा हथकरघ क्षेत्र में काशीपुर व देहरादून में विशेष राज्य स्तरीय दो हथकरघा प्रदर्शनियॉ आयोजित की गई।

जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण

नव उद्यमियों को उद्योग स्थापना संबंधी सूचना एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने व जनपद स्तर पर सूचनाअें एवं आंकडों के संग्रहण तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु जिला उद्योग केन्द्रों को आधुनिकीकृत किया जा रहा है। जिला उद्योग केन्द्रों को कम्प्यूटर, इन्टरनेट सुविधाओं, जरनल्स, पत्र–पत्रिकायें तथ प्रोजैक्ट रिपोर्ट्स तथा उद्यमियों के मार्गदर्शन हेतु उपयुक्त सूचनाओं से सम्बन्धित आवश्यक सामग्री से सुसज्जित किया जा रहा है। वर्ष 2004–06 में भी रू. 24 लाख की धनराशि जनपदों को उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2006–07 में भी योजना को और प्रभावी किया जा रहा है तथा सभी जनपदों को सूचना एवं विपणन सेवा केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

उद्योग मित्र

1. राज्य स्तरीय उद्योग मित्र :

राज्य के उद्यमियों के निराकरण, उनके साथ सतत् संवाद एवं परामर्श एवं नये उद्योगों/उद्यमियों के प्रस्तावों पर विचार हेतु राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय उद्योग मित्र का गठन किया गया है। उद्योग मित्र की बैठक मा. मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है। सचिव, औद्योगिक विकास इसके सदस्य सचिव हैं। राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के कर्य एवं दायित्वों के संचालन हेतु शासन द्वारा माननीय उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग मित्र पद पर नियुक्त की गई है।

राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के कार्य :

राज्य स्तर पर उद्योग मित्र के कार्य निम्न प्रकार प्रस्तावित हैंः–

1.1 राज्य में होने वाले औद्योगिकीकरण एवं लम्बी अवधि से लम्बित मामलों की समीक्षा एवं उन पर निर्णय करना।

1.2 नीति विषयक मामलों तथा उन उद्योगों की विशेष समस्याओं पर निर्णय किया जाना, जिनमें विभागीय स्तर पर अथवा औद्योगिक विकास परिषद में निर्णय सम्भव न हो सकें।

1.3 राज्य में औद्योगिक रूग्णता को दूर करने हेतु प्रस्तावों पर विचार करना एवं मार्ग निर्देशन प्रदान करना।

1.4 औद्योगिक विकास में बाधक नियम, अधिनियम एवं शासनादेश जिनमें शिथिलीकरण की आवश्यकता हो, से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार एवं निर्णय करना।

1.5 ऐसे बिन्दुओं/प्रस्तावों, जो औद्योगिक नीति में समाहित नहीं हैं, किन्तु उन्हें स्वीकार किया जाना औद्योगिक विकास के हित में हैं, पर विचार एवं निर्णय करना।

2. जनपद स्तरीय उद्योग मित्रः–

राज्य की औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन एवं जनपद स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण, उनके साथ सतत् संवाद एवं परामर्श एवं नये उद्योगों/उद्यमियों के प्रस्तावों पर विचार हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय उद्योग मित्र का गठन किया गया है। जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र इसक सदस्य सचिव हैं।

उद्योग मित्र की बैठक अधिक गतिविधियों वाले जनपद देहरादून, हरिद्वार ऊद्यमसिंहनगर तथा नैनीताल जनपदों में प्रत्येक माह में एक बार तथा शेष जनपदों में दो माह में एक बार आयोजित की जाती है।

जिला स्तरीय उद्योग मित्र कार्यः–

2.1 जिला स्तर पर उद्योगों के प्रस्तावों पर स्वीकृतियों को सम्बन्धित विभाग द्वारा समय सीमा के अन्तर्गत जारी किये जाने की समीक्षा।

2.2 समयान्तर्गत जारी न होने वाली स्वीकृतियों के सम्बन्ध में एकल मेज व्यवस्था के रूप में कार्य करते हुये स्वीकृतियॉ जारी करना एवं समयबद्ध आधार पर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

2.3 जनपद के उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाइयों के लिये सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना तथा उद्यमियों की तथा व्यक्तिगत समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही करना।

2.4 आवश्यकतानुसार राज्य स्तर पर मामलों को सन्दर्भित करना।

2.5 रूग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में विस्तृत कार्यवाही के साथ व्यक्तिगत मामलों पर सुस्पष्ट प्रस्ताव जिला स्तरीय उद्योगों मित्र द्वारा निर्णीत किये जायेंगे।

हथकरघा क्षेत्र

1. दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित) :

हथकरघा क्षेत्र की यह एक व्यापक योजना है। यह योजना विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2000–01 से चलाई जा रही है। नये पैकेज में केन्द्र सहायता का अनुपात 90:10 कर दिया गया है। योजना के अधीन बुनकर सहकारी समितियों व संस्थाओं को उनके उत्पादन व कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सुविधायें व सहायता समग्र रूप से प्रदान की जाती है, यथा–इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता, उपकरणों की आपूर्ति, विपणन प्रोत्साहन, डिजाइन सुधार, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार आदि। योजनान्तर्गत न्यूनतम 25 तथा अधिकतम 100 सदस्यों की बुनकर सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2. आवास से सम्बद्ध कार्यशाला योजना (शत प्रतिशत केन्द्र पोषित)

हथकरघा उत्पादन कार्यक्रम को सुनियोजित आधार पर चलाने तथा बुनकरों को आवासीय सुविधायें एक साथ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में भारत सरकार द्वारा इस योजना का वित्त पोषण संशोधित किया गया है। योजना के अन्तर्गत अब ग्रामीण कार्यशाला के निर्माण की लागत में से रू. 7000 तक अनुदान एवं शहरी कार्यशाला निर्माण की निर्धारित लागत में से रू. 10000 तक अनुदान देय है, जिसके अन्तर्गत 50

से 75 वर्गफीट आकार की कार्यशाला बनाई जा सकती है। आवास से सम्बद्ध कार्यशाला निर्माण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित लागत में से रू. 18000

6. हथकरघा स्टाक की बिक्री पर एकबारगी देय 10 प्रतिशत विशेष छूट की प्रतिपूर्तिः–

यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002–03 से प्रारम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत राज्य हथकरघा निगम/हथकरघा शीर्ष समितियों/अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समितियॉ/राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा हथकरघा वस्त्रों के विक्रय पर दी गई 10 प्रतिशत छूट की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

7. भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी :

भारत सरकार द्वारा वाराणसी में संस्थापित इस संस्थान के माध्यम से हथकरघा तकनीकी संस्थान में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स चलाया जाता है, जिसमें प्रदेश के लिये 2 सीटें आरक्षित कराई गई है। चयनित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान प्रथम वर्ष में रू. 200/– द्वितीय वर्ष में रू. 225/– तथा तृतीय वर्ष मं रू. 250/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष 2 अभ्यर्थी चयनित कर संस्थान में भेजे जाते हैं।

8. राजकीय डिजाइन केन्द्र काशीपुर :

राज्य के बुनकरों एवं छीपियों के उत्थान हेतु राजकीय डिजाइन केन्द्र, काशीपुर की स्थापना वर्ष 1977 में की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बुनकरों/छीपियों को हथकरघा क्षेत्र में मार्गदर्शन एवं आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर नई तकनीक की जानकारी प्रदान करना है। राज्य में कार्यरत बुनकरों/बुनकर सहकारी समितियों, छीपियों को स्वावलम्बी बनाने एवं बुनकरों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ–साथ विभिन्न हथकरघा क्षेत्र की लाभकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय संसाधन सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से उत्तरांचल राज्य द्वारा केन्द्र का पुनर्गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2003–04 में केन्द्र का पुनर्गठन के फलस्वरूप 28 पद सृजित किये गये हैं, भवन की मरम्मत व रखरखाव का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा केन्द्र में कम्प्यूटर एडेड डिजाइन (कैड) सिस्टम की स्थापना की गई है तथा केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण सम्बन्धी गतिविधियॉ प्रारम्भ कर दी गई हैं। भारत सरकार द्वारा भी इस केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है।

हस्तशिल्प

भारत सरकार, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना लागू की गई है, जिसके तहत हस्तशिल्पियों को विभिन्न

प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं, जिसमें सामानय जागरूकता उत्पन्न करना, लक्षित समूहों को प्रोत्साहन, उत्पादन क्षमता, डिजाइन विकास, प्रौद्योगिकी सवंर्द्धन, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन प्रोत्साहन व वित्तीय एवं कल्याण, वकशेड आदि विभिन्न सहायतायें समग्र रूप से प्रदान की जाती है। एतद्विषयक आवेदन पत्र भारत सरकार द्वारा सीधे संग्रहीत किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा अब तक 8 समितियों/स्वयं सेवा संस्थाओं के मामलें स्वीकृत किये जा चुके हैं।

अरबन हाट की स्थापना :

हस्तशिल्पियों के आर्थिक उत्थान एवं प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार द्वारा एक अरबन हाट की स्थापना देहरादून में की जा रही है। यह 70 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिये भूमि की व्यवस्था देहरादून–हरिद्वार मार्ग पर की गई थी, किन्तु वहॉ पर फ्लाई ओवर प्रस्तावित होने के कारण इसका निर्माण बाधित हुआ है। योजना की विस्तृत परियोजना इन्टेक द्वारा तैयार की गयी है। परियोजना की कुल लागत रू. 181 लाख हैं।

उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा वर्ष 2005–06 में किये गये प्रमुख कार्य

- राज्य में शिल्प काष्ठकला के पुनर्जीवीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य से उद्योग विभाग के विभिन्न पापडी काष्ठकला केन्द्रों के तकनीकी कर्मचारियों को एफ0आर0आई0 बम्बू बोर्ड एवं सहारनपुर आदि स्थानों पर व्यवस्थित आधुनिक यन्त्र–संयत्र आदि का अवलोकन कर काष्ठकला के आधुनिक टूल्स एवं उपकरणों तथा तकनिकी जानकारी उपलब्ध कराई गयी एवं एफ0आर0आई0 के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त एक कार्य योजना तैयार किये जाने का प्रस्ताव किया गया। इस संबंध में श्रीनगर गढ़वाल काष्ठ कला पर एक प्रशिक्ष्ज्ञण कार्यशाल आयोजित करने हेतु एक प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।
- दिनांक 20 अप्रैल, 2005 से 26 अप्रैल, 2005 तक पिरान–ए–कलियर शरीफ में "दरगाह साबिरे पाक उर्स मेला" के अवसर पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जनपदों से प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- दिनांक 26 जून, 2005 से 30 जून 2005 तक श्रीकोट–श्रीनगर गढवाल में ''काष्ठ आधारित प्रतीक चिन्ह उद्योग'' साविनियर उद्योग के विकास पर कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शिल्पियों एवं विभागीय

केन्द्रों के लगभग 40 लोगों द्वारा भाग लिया गया। इस कार्यशाला में वन अनुसंधान संस्थान भारतीय पैकेजिंग संस्थन, लघु उद्योग सेवा संस्थान, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, गढ़वाल विश्वविद्यालय, वन विकास निगम, बॉस एवं रेशा विकास परिषद आदि संस्थाओं/विभागीय अधिकारियों/विशेषज्ञों द्वारा सक्रिय योगदान दिया गया।

- **"द्वितीय राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन–2005"** के अवसर पर परिषद क्राफ्ट इन उत्तरांचल प्रदर्शनी का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में दिनांक 27 से 29 जुलाई, 2005 तक किया गया जिसमें राज्य के विभिन्न जनपदों से 25 शिल्पियों/बुनकरों तथा रेशम विभाग, फल संरक्षण एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संस्थाओं द्वारा विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।
- दिनांक 29 अगस्त, 2005 को राजकीय डिजाइन केन्द्र, काशीपुर में विकास आयुक्त (हथकरघा) भारत सरकार द्वारा हथकरघा, क्षेत्र के विकास के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी के उद्देश्य नेशनल हैण्डलू डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि., लखनऊ एवं परिषद के माध्यम से कुमाऊं मण्डल के जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियो/कर्मचारियों हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बुनकरों द्वारा भी भाग लिया गया।
- देहरादून में दिनॉक 20.10.2005 से 30.10.2005 तक क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश व देश के विभिन्न प्रदेशों के हस्तशिल्पियों के उत्पादों के विपणन एवं प्रदर्शन हेतु 200 स्टाल निर्मित किये गये। मेले में लगभग रू. 2.00 करोड़ की बिक्री हुई।
- उत्तरांचल राज्य स्थापना की पॉचवी वर्षगांठ के अवसर पर तृतीय राज्य स्थापना दिवस व्याख्यान का आयोजन दिनॉक 8 नवम्बर, 2005 को किया गया, जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति श्री एम0एम0वैंकटचलैया को माननीय मुख्य मंत्री उत्तरांचल द्वारा सम्मानित किया गया।

- दिनांक 14 नवम्बर, 2005 से 27 नवम्बर, 2005 तक ''भारत अन्तर्राष्ट्र व्यापार मेला–2005'' प्रगति मैदान, नई दिल्ली में उत्तरांचल राज्य द्वारा पार्टनर स्टेट के रूप में भाग लिया गया। उत्तरांचल राज्य के महामहिम श्री राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मेले में उत्तरांचल पैवेलियन का भ्रमण एवं अवलोकन किया गया। वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा उत्तरांचल के समस्त जनपदों में एन0आई0सी0 के माध्यम से उत्तरांचल पैवेलियन का सजीव प्रसारण किया गया। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री द्वारा उत्तरांचल को पार्टनर स्टेट के रूप में सराहनीय सहभागिता के लिये पुरस्कृत किया गया। मेले में राज्य के 40 से अधिक उद्यमियों, शिल्पियों, बुनकरो के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। मेले में लगभग रू. 1.00 करोड़ के हस्तशिल्प/हथकरघा एवं कृषि व प्रसंस्कृत फल उत्पादों की बिक्री हुई तथा लगभग रू. 10.00 करोड़ के आडर्स प्राप्त हुये।
- विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार के सहयोग से दिनांक 21–12–2005 से 04–01–2006 तक देहरादून में स्पेशल हैण्डलूम एक्स्पो का आयोजन किया गया। हथकरघा उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु 100 स्टाल लगाये गये जिनमें राजय के 60 हथकरघा सहकारी समितियां/बुनकरों तथा अन्य प्रदेशों के 40 सहकारी समितियों/बुनकरों द्वारा भाग लिया गया। एक्सपों में लगभग 1.15 करोड़ की बिक्री हुई।
- 26 जनवरी, 2005 को गणतंत्र दिवस क अवसर पर परेड़ ग्राउण्ड, देहरादून में हथकरघा, हस्तशिल्प एवं खादी क्षेत्र की थीप पर आधारित झॉकी परिषद द्वारा तैयार की गयी जिसमें विभागीय कार्य–कलापों का प्रस्तुतीकरण किया गया। परिषद की झॉकी को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

1–नीति (Policy)

भारत सरकार की औद्योगिक नीति

भारत वर्ष यद्यपि एक कृषि प्रधान देश है, किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार वृद्धि की सम्भावनाओं को देखते हुये गैर कृषि क्षेत्र में विगत वर्षों की तुलना में अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ प्राप्त की हैं। गत वर्ष कृषि क्षेत्र तथा उद्योग व्यापार क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की दर 70 प्रतिशत है। इसी प्रकार गत वर्ष कृषि क्षेत्र में रोजगार 15 प्रतिशत था, जो अब 19 प्रतिशत है तथा सेवा व्यवसाय में 21 से 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अतः स्पष्ट है कि उद्योग व सेवा व्यवसाय क्षेत्र निरन्तर रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है एवं उद्योग व सेवा क्षेत्र में कुल 46 प्रतिशत रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।

भारत सरकार स्तर पर औद्योगिक नीति एवं संवद्धन विभाग स्थापित है तथा विकास आयुक्त, लघु उद्योग तथा विकास आयुक्त, हथकरघा एवं विकास आयुक्त, हस्तशिल्प के कार्यालय सृजित हैं, जो राज्यों के लिये मार्ग–निर्देशक सिद्धान्त तय करते हैं। इसी के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये जनवरी, 2003 में विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति मुख्यतः औद्योगिक लाईसेन्स निर्गत करना, विदेशी पूंजी निवेश व प्राविधिक समन्वय तथा निजी क्षेत्र में विकास करना है तथा इसके समान्तर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करना तथा राज्य द्वारा सहायता व सुविधायें उपलब्ध कराना है।

- भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में जारी की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पाद में वृद्धि तथा समान वितरण था तथा यह मिश्रित अर्थ व्यवस्था पर आधारित थी।
- इण्डस्ट्रियल वरेगुलेशन ऐक्ट 1951 में पारित किया गया, जिसकके मुख्य बिन्दु निम्न थे :

(1) उक्त ऐक्ट में नये एवं कार्यरत उद्योगों के विस्तार हेतु लाईसेन्स जारी करने की व्यवस्था थी।
(2) शासन को कुछ विशेष उद्योगों में निरीक्षण करने के अधिकार प्राप्त थे।
(3) शासन के निर्देशों के अनुसार कार्य न करने वाले उपलक्रमों का प्रबन्धन अपने अधिकार क्षेत्र में लिये जाने की व्यवस्था थी।
(4) शासन द्वारा अधिसूचित मूल्यों, प्रक्रियाओं, उत्पादन की मात्रा का उचित वितरण किये जाने की व्यवस्था थी।
(5) 100 से कम श्रमिकों के रोजगार एवं रू. 10 लाख से कम स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाइयों को लाईसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं थी।

- भारत सरकार की औद्योगिक नीति 1956, 1977 एवं 1980 के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया गयाः–

1. औद्योगिक नीति 1956 का उद्देश्य आर्थिक विकासदर की गति को बढ़ाना एवं सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप प्राप्त करने हेतु उद्योगों को बढ़ावा देना था।
2. औद्योगिक नीति 1977 में उद्योगों के विकेन्द्रिकरणएवं लघु सतरीय, लघुत्तर एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। देश में समस्त जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। उक्त केंद्र स्थानीय औद्योगिकरण के केन्द्र बिन्दु प्रस्तावित किये गये।
3. औद्योगिक नीति 1980 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के प्रभावी प्रबन्धन हेतु कदम उठाये गये। आर्थिक संघों की परिकल्पना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को

प्रात्साहन तथा क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने की नीति तय की गई। इसके अतिरिक्त अधिक क्षमताओं को नियंत्रित किया गया।

- भारत सरकार की वर्ष 1991 में जारी औद्योगिक नीति में निम्न मुख्य नीति विषयक सिद्धान्त सम्मिलित किये गयेः–

1. उक्त नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक अर्थ व्यवस्था को अधिकारियों के नियंत्रण से मुक्त करना, सुधारीकरण को लागू करना, भारतीय अर्थव्यवस्था को संचार की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बाधाओं को दूर करना तथा एम.आर.टी.पी बाधाओं को दूर करना था।
2. उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, नियम प्रक्रिया का सरलीकरण, नियामक यांत्रिकी को हटाना, शोध विकास में पूंजी निवेश व नई तकनीकी लाना, साधारण व्यक्ति के लाभ हेतु प्रतियोगिता बढ़ाना, निर्यात प्रोत्साहन तथा क्रेडिट फ्लों में सुधार लाना था।

राज्य सरकार की औद्योगिक नीति

- राज्य सरकार की नीति मुख्यतः राजकीय सहायतायें, सुविधायें एवं अवस्थापना विकास से सम्बन्धित हैं।
- उक्त नीति नवस्थापित राज्य क पोटेन्सियल एवं सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये व्यवस्थापित की गई।
- नीति का मुख्य केंद्र बिन्दु उन क्षेत्रों में है, जहॉ राज्य की विकास की सम्भावनायें छिपी हुई हैं।

औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन के मुख्य बिनदुः

- राज्य में एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है।
- उद्योग मित्र का गठन किया गया है।
- अवस्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई।
- दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष सहायता कार्यक्रम प्रस्तावित किये जा रहे हैं।
- मूलय एवं क्रय वरीयता निर्धारित कर दी गई है।
- फ्लोरीकल्चर एवं पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
- ब्याज उपादान, आई0एस0ओ0/पर्यावरण नियंत्रण आदि योजनाओं को पूर्व ही अधिसूचितकर दिया गया है।

भारत सरकार के पैकेज के बिन्दुः

आर्थिक सहायता में भारत सरकार द्वारा नये उद्योगों हेतु प्रथम 10 वर्ष के लिये उतपाद शुल्क, प्रथम वर्षों में आयकर में पूर्ण छूट तथा आगामी 5 वर्षों में 30 प्रतिशत छूट की सुविधा तथा मशीन व संयंत्र में पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत, किन्तु अधिकतम रू. 30 लाख की उत्पादन सहायकता।

- भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक सहायता के अन्तर्गत नियम/प्रक्रिया, प्रार्थना पत्र का प्रारूप अन्तिम रूप से तैयार कर उद्यमियों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।

2–प्रक्रियात्मक सुधार (Procedural Reforms)

- समस्त विभागीय योजनाओं का संकलन कर जिला उद्योग केन्द्रों में परामर्श कक्ष स्थापित किया गया है, जिसमें पुस्तकें, प्रोजैक्ट प्रोफाइल एतद्विषयक पुस्तिकायें समस्त जिला उद्योग केन्द्रों में उपलब्ध कराई गई।
- अनुमोदन, प्रस्तावों की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यों को समयबद्ध कियागया।
- उद्योग संघों/चैम्बरों के साथ नियमित सम्पर्क किया जा रहा है तथा प्रत्येक जनपद में उद्योग मित्र की मासिक/द्विमासिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
- पूर्व सम्मिलित राज्य उत्तर प्रदेश में कार्यरत सम्बन्धित विभिन्न निगमों के स्थान पर उत्तरांचल राज्य में समन्वित रूप से एक निगम उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (SIDCUL) की स्थापना की गई है।
- पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में काग्रत उद्योग, हथकरघ आदि विभिन्न निदेशालयों के स्थान पर राज्य में एक उद्योग निदेशालय की स्थापना की गई।
- हथकरघाएवं हस्तशिल्प के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद का गठन किया गया है।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट के प्रारूपों को विकसित किया गया है तथा इन्टरनेट/ई–मेल सुविधायें निदेशालय में स्थापित की गई।
- जिला उद्योग केन्द्रों का कम्प्यूटराईजेशन किया गया है तथा वर्ष के अन्त तक इन्टरनेट सुविधा प्राप्त हो जायेगी।
- मासिक वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है।
- औद्योगिक नीति का केन्द्र बिन्दू अधिसूचित थ्रस्ट क्षेत्र का त्वरित औद्योगिक विकास रखा गया है।
- राज्य में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का द्रुत गति से विकास किया जा रहा है।

- भारत सरकार की विशेष सहायता सुविधाओं के अतिरिक्त नई औद्योगिक नीति में कई आर्थिक सहायतायें प्रस्तावित की गई हैं।
- राज्य में खादी बोर्ड का गठन किया गया है।
- विगत दो वर्षों में अधिकांशत व्यय अवस्थापना विकास पर किया गया है, जिसके भविष्य में आशातीत परिणाम रहेंगे।
- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास भविष्य में केन्द्र बिन्दु रहेगा।

उद्योग निदेशालय के अधीनसंचालित योजनाओं के विषय में विस्तृत विवरण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित नियमों का उल्लेख सूचना के अधिकार 2005 हेतु तैयार मैनुअल के भाग–2 मैनुअल 5 के खण्ड प्रथम, द्वितीय में दिया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
मैनुअल बिन्दु–13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतें, अनुज्ञापयों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ

विभाग द्वारा विभिनन योजनाओं के अन्तर्गत उद्यमियों को प्रदत्त की जाने वाली रियायतें, अनुज्ञां पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण व्यस्थित किया जाता है जो कि निम्नवत् हैंः–

1. केन्द्रीय पूंजी उपादान–प्रदेश के चिन्हित औद्योगिक आस्थानों में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को कुल स्थायी पूंजी विनियोजन में प्लांट एवं मशीनरी मद में किये गये पूंजी विनियोजन पर 15 प्रतिशत केन्द्रीय पूंजी उपादान अधिकतम रू. 30 लाख देय है। औद्योगिक आस्थानों से बाहर स्थापित होने वाली थ्रस्ट सैक्टर की इकाइयों को भी यह सुविधा उपलब्ध है। योजना का विस्तृत विवरण मैनुअल के भाग–2 संख्या–5 में संलग्न भारत का राजपत्र पृष्ठ संख्या–26 से 31 में देखा जा सकता है। उक्त योजना वर्ष 2010 तक लागू रहेगी।
2. केन्द्रीय परिवहन उपादान–उत्तरांचल में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा निकटतम रेलवे हैड, से फैक्ट्री हैड तक परिवहन पर किये गये कुल व्यय तथा तैयार माल को फैक्ट्री हैड से रेलवे हैड तक किये गये परिवहन व्यय पर 25 प्रतिशत केन्द्रीय परिवहन उपादान देय है। यह सुविधा नई औद्योगिक नीति के तहत दी गई है। यह सुविधा वर्ष 2007 तक लागू है।
3. ब्याज प्रोत्साहन उपादान योजना–प्रदेश में स्थापित नई लघु इकाइयों को जिनके द्वारा बैंक ऋण से इकाईयां स्थापित की गई हैं उन्हें ब्याज प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू. 2 लाख प्रतिवर्ष तथा वर्तमान इकाइयों को उनके आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण हेतु भी उक्त सुविधा देय है। थ्रस्ट उद्योगों एवं दूरस्थ स्थापित इकाइयों को यह सुविधा 5 प्रतिशत अधिकतम रू. 3 लाख प्रतिवर्ष तक उपलब्ध हो सकती है। विस्तृत विवरण मैनुअल के भाग–2 संख्या–5 में संलग्न नई औद्योगिक नीति के पृष्ठ–9 में संलग्न है।
4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना– यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 से चलाई जा रही है। योजनान्तर्गत प्रदेश के युवक एवं युवतियों को रोजगार स्थापित करने हेतु व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम रू. 1लाख तथा उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में 2 लाख तक ऋण सुविधा राष्ट्रकृत बैंकों के माध्यम से दी जाती है, जिसमें 15 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू. 1500 तक देय है। योजना का लाभ केवल उन्हीं युवक/युवतियों को देय है, जिनकी आयु सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत 18 से 40 वर्ष तथा आरक्षित श्रेणी के लिए 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है तथा लाभार्थी की वार्षिक आय रू. 40000 प्रतिवर्ष से अधिक न हो एवं लाभार्थी वहॉ का निवासी हो या वहां पर 3 वर्ष से अधिक समय से रह रहा हो। उपरोक्त की पूर्ति होने पर ही योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है।

अन्य योजनाओं का विवरण मैनुअल भाग–4 संख्या–12 में संलग्न पृष्ठ संख्या–1 से 52 में किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल बिन्दु–14

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे

निदेशालय तथा जनपद स्तर पर औद्योगिक विकास सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को त्वरित आदान–प्रदान हेतु वैबसाईट तथा इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है। निदेशालय का email: di@ua.nic.in तथा उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. का email: sidcul@sidcul.com एवं website: www.sidcul.com है।

वर्तमान में NIC की website में नई औद्योगिक नीति को उपलब्ध कराया गया है तथा उत्तरांचल में उद्योगों की स्थापना हेतु स्थापित औद्योगिक आस्थानों, उनके निर्मित भूखण्ड एवं स्थापित इकाइयों का ब्यौरा भी NIC की website पर उपलबध कराया गया है, जिन्हें सिडकुल की उपरोक्त website पर देखा जा सकता है।

इस प्रकार NIC website पर निम्न सूचनाएं उपलबध हैं।

1. नई औद्योगिक नीति।
2. प्रदेश में स्थापित औद्योगिक आस्थान, उनमें निर्मित/उपलब्ध भूखण्ड एवं उनमें स्थापित इकाईयां।

उक्त के साथ ही NIC की website पर प्रदेश में स्थापित वृहद एवं मध्यम इकाइयों का विवरण तथा यूएचएचडीसी से सम्बन्धित सूचनाएं भी शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल बिन्दु–15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष की यदि लोग उपयोग के लिये व्यवस्था की गई है, तो उसका भी विवरण।

उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न सहायतायें/सुविधायें प्रदत्त किये जाने के संबंध में निदेशालय एवं जनपद स्तर पर परामर्श कक्षों की स्थापना की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी साहित्य प्रोजैक्ट रिपोर्टस तथा अन्य आवश्यक सूचनायें उपलब्ध करायी जाती हैं। निदेशालय/जनपद स्तर पर चलाई जा रही औद्योगिक विकास सम्बन्धी विभिनन योजनाओं की गाइडलाइन्स व उद्योग स्थापना सम्बन्धी तकनीकी साहित्य एवं पुस्तिकायें आदि उपलब्ध हैं। इसमें जनपद स्तर पर मुख्यालय में तैनात सहायक प्रबन्धक/वरिष्ठ सहायक की तैनाती की गयी है जो इच्छुक उद्यमियों को उद्योग सम्बन्धी सभी सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जनपद स्तर पर परामर्श कक्ष महाप्रबन्धक की देखरेख में कार्य करते हैं एवं निदेशालय स्तर पर यह कार्य अपर निदेशक उद्योग की देखरेख में होता है। परामर्श कक्षों में कार्यालय 10 बजे प्रातः से 5 बजे सायं तक सुचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

उद्योग निदेशालय स्तर	**लोक सूचना अधिकारी**	
	श्री एस.सी.चन्दोला, अपर निदेशक उद्योग	2728226
	श्री सुधीर चन्द्र नौटियाल, संयुक्त निदेशक उद्योग	2728227
जिला स्तर	**लोक सूचना अधिकारी**	
	श्री डी.एस.बांगडी, महाप्रबन्धक, जि.उ.के. रुड़की	262452
	श्री एम.आर.यादव महाप्रबन्धक, जि.उ.के. कोटद्वार	222266
	श्री एस.बी. बहुगुणा महाप्रबन्धक, जि.उ.के. नरेन्द्रनगर	227297
	श्री शंकर राम, महाप्रबन्धक, जि.उ.के. रुड़की	262452
	श्री के.एस. चौहान, महाप्रबन्धक, जि.उ.के. चमोली	252126
	श्री एस.एल. आर्य, महाप्रबन्धक, जि.उ.के. रुद्रप्रयाग	233119
	श्री एल.एस.कुंवर, महाप्रबन्धक, जि.उ.के. उत्तरकाशी	222744
	श्री एम.सी पाण्डे, महाप्रबन्धक, जि.उ.के. हल्द्वानी	220669
	श्री फतेह बहादुर, महाप्रबन्धक, जि.उ.के. अल्मोड़ा	230177
	श्री यू.के.जोशी, महाप्रबन्धक, जि.उ.के. उद्यमसिंहनगर	243204
	श्री बी.आर.आर्य, महाप्रबन्धक, जि.उ.के. पिथौरागढ़	223574
	श्री बी.आर.आर्य, महाप्रबन्धक, जि.उ.के. चम्पावत	230082
	श्री एस.के.कुरील, महाप्रबन्धक, जि.उ.के. बागेश्वर	221476
	सहायक लोक सूचना अधिकारी	
	श्री डी.पी.मंमगई, प्रबन्धक जि.उ.के. देहरादून	2724903
	श्री महेश नेगी सहायक प्रबन्धक जि.उ.के. कोटद्वार	222266
	श्री एस.एस नेगी अन्वेाक–सह –संगणक जि.उ.के. नरेन्द्रनगर	227297
	श्रीमती कौशल्या बन्धु, प्रबन्धक, जि.उ.के. देहरादून	2724903
	श्री डी.एस.गाडियाल, सहायक प्रबन्धक, जि.उ.के. चमोली	252126
	श्री पी.एस. सजवाण, सहायक प्रबन्धक, जि.उ.के. रुद्रप्रयाग	233119
	श्री जे.एम.बहुगुण, सहायक प्रबन्धक, जि.उ.के. उत्तरकाशी	222724
	श्री वाई.सी.पाण्डे, सहायक प्रबन्धक, जि.उ.के. हल्द्वानी	220669
	श्री एस.के. अग्निहोत्री, सहायक प्रबन्धक, जि.उ.के. अल्मोड़ा	230177
	श्री त्रिलोक सिंह, प्रबन्धक, जि.उ.के. उद्यमसिंहनगर	243204
	श्री ललित मोहन शाह, अन्वेषक कम संगणक, जि.उ.के. पिथौरागढ़	223574
	श्री जी.डी.जोशी, सहायक प्रबन्धक, जि.उ.के. चम्पावत	230082
	श्री एच.सी.तिवारी सहायक प्रबन्धक, जि.उ.के. बागेश्वर	221476

विभागीय अपीलीय अधिकारी

जनपद स्तरीय अधिकारियों के अपीलीय अधिकारी अपर निदेशक उद्योग/संयुक्त निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय तथा निदेशालय स्तर पर निदेशक उद्योग, उत्तरांचल अपीलीय अधिकारी होंगे।

उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, मैनुअल 2006
भाग–4, बिन्दु–17

उत्तरांचल राज्य में त्वरित औद्योगिकीकरण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की भाँति अलग से उद्योग निदेशालय की स्थापना, पटेलनगर देहरादून में की गई है एवं यह निदेशालय उद्योग निदेशक के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्यरत है। उत्तरांचल में लघु उद्योग/ मध्यम उद्योग/ वृहद् उद्योग/ हथकरघा/ हस्तशिल्प/ जड़ी–बूटी/ इकोटूरिज्म/ से सम्बन्धित इकाइयों की स्थापना के लिए संकल्परत रहकर प्रोत्साहिति करता है। औद्योगिक विकास हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। राज्य में स्थापित उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों के बाजार/विपणन हेतु भी प्रयासरत रहता है, इसके लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मेलों/प्रदर्शनियों में इनके उत्पादों को प्रदश्रित करने की भी सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है।